भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय
आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर

कार्यालय आदेश सं. .का./591/021 दिनांक 01 जुलाई 2016

विषय - उप संविदा प्रक्रिया
संदर्भ - कार्यालय आदेश स. .का./519/012,
दिनांक 1.1.1996(यथा संशोधित)

1.0 उप संविदा मामलो में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दिनांक 1.1.1996 के कार्यालय आदेश सं. .का./591/021 तथा उत्तरवर्ती संशोधनों के माध्यम से निर्धारित की गई थी । कंपनी की बहु यूनिट प्रचालनो तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र और सभी यूनिटो/ एसबीयू में एसएपी लागू किये जाने के उपरांत, विशिष्ट अभिलक्षणो की ध्यान में रखते हुये, इन प्रक्रियाओ की समीक्षा की गई है।

2.0 इस समीक्षा के आधार पर, 'उप- संविदा प्रक्रिया -2010' शीर्षक से एक संशोधित प्रक्रिया, यूनिटो/ एसबीयू / कार्यालयों के द्वारा अनुपालन के लिए निर्धारित की गई है ।

3.0 संशोधित प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होती है तथा इस विषय पर पहले जारी सभी आदेशों /अनुदेशों को अधिक्रमित करती है ।

हस्त/-
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सभी यूनिट प्रमुख / सभी एसबीयू प्रमुख
सभी का. निदेशक /महा प्रबंधक
सभी क्षेत्रीय कार्यालय /विपणन केंद्र
कंपनी सचिव

नि (मा.सं.) नि (बें.कॉ.) नि (अनु व वि) नि (वित्त) नि (विपणन) नि (अ.यू.) सीवीओ

उप संविदा प्रक्रिया

2010

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
पंजीकृत एवं कार्पोरेट आफिस,
आउटर रिंग रोड, नागवारा,
बेंगलूर - 560045

उप संविदा प्रक्रिया - 2010

विषय सूची

पैरा नं	विषय	पृष्ठ नं
1.0	प्रस्तावना	3
2.0	उद्देश्य	3
3.0	उप- संविदाकरण के कारण	3
4.0	विभागों / अधिकारियों के दायित्व	4
4.1	मांगकर्ता विभाग/ आधिकारी के दायित्व	4
4.2	औद्योगिक इंजीनियरों के दायित्व	7
4.3	उप संविदा विभाग / आधिकारी के दायित्व	7
4.4	वित्त अधिकारियों के दायित्व	10
4.5	गुणवत्ता अधिकारियों के दायित्व	11
5.0	विक्रेताओं का प्रतिस्थापन	11
6.0	शक्तियों का प्रत्यायोजन	13
7.0	आर्डर प्रेषित किया जाना	14
7.1	आई ई डी अनुमानित मूल्य पर आर्डर देने की प्रक्रिया	14
7.2	आर्डर दुबारा दिया जाना (पुनरादेश)	14
7.3	निविदा- प्रक्रिया के माध्यम से आर्डर देने की प्रक्रिया	15
7.4	निविदा कृत आइटमों के संबंध में मूल्य-वार्ता	16
7.5	सार्वजनिक उद्यमों /लघु स्तरीय क्षेत्र /स्वदेशी सप्लायरों को मूल्य-प्राथमिकता	17
8.0	उप संविदा/सेवा - आर्डर	17
9.0	बैंक गारंटी और बीमा	18
10.0	सामग्री जारी करने और प्राप्त करने का लेखा जोखा	19
11.0	सामग्री का प्रेषण	21
12.0	सामग्री की प्राप्ति	22
13.0	निरीक्षण और आहरण	22
14.0	सामग्री-लागत की वसूली	24

15.0	भुगतान निबंधन (शर्तें)	25
16.0	टूलिंग	26
17.0	उप संविदा आर्डरों की समीक्षा	26
18.0	उप संविदा कारों को सहायता	27
19.0	उप संविदा आर्डरों/रिपिट आर्डरों में संशोधन	27
20.0	केंद्रीय उप संविदा विभाग की भूमिका (बें.का. में)	28
21.0	सामान्य निबंधन एवं शर्तें	29
22.0	विक्रेता रेटिंग	29
संलग्नक 1	क्रय अनुरोध हेतु जांच सूची	30
संलग्नक 2	कोटशन हेतु अनुरोध (आर एफ़ क्यू)	31
संलग्नक 3	विक्रेता पंजीकरण हेतु प्रश्नावली	32
संलग्नक 4	फर्मों का पाजीकरन रद्द करने,निलंबित करने तथा उन पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रक्रिया	35
संलग्नक 5	क्रय आर्डर रिलीज़ करने हेतु प्रक्रिया	38
संलग्नक 6	सामान्य बैंक गारंटी	45
संलग्नक 7	अग्रिम हेतु बैंक गारंटी	47
संलग्नक 7 क	अग्रिम भुगतान	48
संलग्नक 8	विक्रेता से उसके पास पड़ी सामग्री के संबंध मे , लिया जाने वाला प्रमाण पत्र	59
संलग्नक 9	सामान्य निबंधन एवं शर्तें	61
संलग्नक 10	सामान्य निबंधन एवं शर्तें (बी ओ एम आर्डर के लिए)	62
संलग्नक 11	विक्रेता रेटिंग रिपोर्ट	65
संलग्नक 12	आर्डर - मात्रा का विखंडन - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के दिशा निर्देश	72

उप - संविदा प्रक्रिया - 2010

1.0 प्रस्तावना

उप संविदा मामलो में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दिनांक 1.1.1996 के कार्यालय आदेश सं. प्रका/591/012/तथा उत्तरवर्ती संशोधनों के साथ निर्धारित की गई थी। कंपनी की बहु यूनिट प्रचालनो तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र-जिनमे कंपनी कार्य कर रही है, के चलते विशिष्ट अभिलक्षणो की स्थिति में कंपनी की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2006 में इन प्रक्रियाओ की समीक्षा की गई थी । समस्त यूनिटो/एसबीयू में सैप लागू किये जाने के उपरांत सैप प्रक्रियाओ/गतिविधियो मे उपयुक्त्त इन लाइन बदलाव करने के लिए संशोधित उप-संविदा प्रक्रिया मे और बदलाव किये गए है। समीक्षा के आधार पर निम्न प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई है। जिनका पालन सभी यूनिटों द्वारा किया जाना है।

2.0 उद्देश्य -

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मे सभी उप-संविदा गतिविधियो का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि -

2.1 निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सामग्रियाँ/ सेवाएँ विश्वसनीय विक्रेताओ से, सही मात्रा में, सही समय पर तथा सही क़ीमत पर आउटसोर्स (बाहरी साधनो से) प्राप्त की जाती है।

2.2 विक्रेताओ के साथ दीर्घकालीन व्यावसायिक सबंध स्थापित करने के लिए उप- संविदा कार्य में निष्पक्ष और समावेशी व्यवहार किया जाता है ।

2.3 प्रापण (खरीद) कार्य में लगने वालो सपूर्ण 'अग्रता काल' में न्यूनतम स्तर तक की कमी की जाती है।

2.4 उप- संविदा कार्य उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रो पर ध्यान देने के प्रयासो से लाभों के साथ साथ निम्म/उच्च दोनों प्रौद्योगिकियो के क्षेत्र में किया जाना चाहिए, ताकि अधिकतम (इष्टतम) लागत-लाभ हासिल किया जा सके ।

2.5 ग़हन अवसंरचना तथा निम्म END क्षेत्रो में पूंजीगत निवेश कम से कम रखा जाता है।

2.6 कंपनी के आर्थिक और कानूनी हितो को हर समय परिरक्षण किया जाता है।

2.7 आयात प्रतिस्थापन तेज गति से हासिल किया जाता है।

3.0 उप- संविदा करण के कारण -

बाहरी एजेसियो से उप-संविदा की जरुरत निम्न कारणो से पड़ती है -

3.1 विनिर्माण/सेवा सुविधाएँ यूनिट में उपलब्ध है किन्तु निम्न क्षेत्रो में क्षमता संबंधी बाध्यताओ के चलते इन्हे निष्पादित नही किया जा सकता है

क) मशिनिग, शीट मैटल आदि कार्य समेत संविरचन आइटमे

ख) प्लेटिंग, पेटिंग, हीटिंग उपचार, स्क्रीन प्रिटिंग, उत्कीर्णन आदि जैसे सेवा कार्य

ग) केबल फार्म, केबल असे., पीसीबी असे., उप-यूनिट/यूनिट असे. आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स असे. एवं पीसीबी असे. उप-यूनिट आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट परीक्षण।

घ) सम्पूर्ण उपस्कर असेम्ब्ली (इसमे संविरचन, संयोजन परीक्षण और पर्यावरणीय परीक्षण भी शामिल है)

ङ) मोल्डिंग, स्पॉट झलाई, डाई/वायर बोडिंग, टिनिगं, ब्रडिंग, सक्रिय और अक्रिय उपकरणो की असेम्ब्ली और परीक्षण जैसे गौण, प्रचालन ।

च) पी.सी.बी. ब्लैक्स का विनिर्माण (सिंगल साइडिग ,डवल साइडिग और बहु पर्तीय)

छ) ट्रांसफारमर्स, क्वाइल्स, और चोक्स आदि का विनिर्मान व संयोजन

ज) तैयार उपस्कर और उपकरणो के लिए पैकिंग-केस (बढईगिरि वाली या अन्य प्रकार के)

झ) तकनीकी सूचीपत्रो, विपणन लीफलैट्स तथा तकनीकी साहित्य से सबधित कार्यो की फोटो कोपियाँ, प्रिटिंग, वाइडिंग, ।फ्टिंग और तैयारी।

ञ) व्यवस्थात्म्क ड्राइंगो से-परिपथ अभिकल्प, पी सी बी लेआउट, फर्स्ट ऑफ सेम्पल विनिर्माण, परीक्षण एवं सोफ्टवेयर विकास को शामिल करते हुए उत्पाद को विकसित करना ।

3.2 यूनिट में विनिर्माण शृंखला के अतर्गत निम्म प्रक्रियाओ जैसी प्रचालनो/प्रक्रियाओ की सुविधाएँ उपलब्ध नही है।

ओधोगिक टेलरिंग, एफ़.आर.पी मोल्डिंग, रबर मोल्डिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, बहिर्वेधन, सिप्रिंग, नाम पट्टिकाएँ इत्यादि तथा कुछ विशिष्ट कार्ये जैसे एल्यूमीनियम प्रलेपित शैल्टेर, एफ़आरपी शैल्टेर, मैटल फ़ार्मिंग इत्यादि ।

3.3 यूनिट में हार्डवेयर विनिर्माण सुविधा उपलब्ध नही है।

4.0 विभागो/ कार्यालयो के दायित्व

4.1. मांगकर्ता विभाग / आधिकारी के दायित्व -

उत्पादन- व्यवस्था के अतर्गत सामान्यत: उत्पादन नियंत्रण विभाग मांगकर्ता विभाग होता है। यह निम्न प्रक्रियाएँ अपनाकर अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाओ /क्षमत ।ओ को देखते हुए उप संविदा जरूरत की मात्रा निर्धारित करता है।

4.1.1 बिक्री आदेश के आधार पर, संव्यवहार कोड ZPP002 का उपयोग करके एमआरपी को एसएपी में चलाएँ तथा फ्री स्टॉक पेगिग के साथ जाँच करें । एमआरपी को चलाने से पहले उत्पादन नियंत्रण विभाग एमआरपी, लेखा, लागत कार्य अनुसूची, मूल्यांकन तथा आगामी वर्ष के लिए समस्त विनिर्माण- पार्टस और असेम्ब्लियो हेतु जेआईआईआईडी तालिका समेत गुणवत्ता-विचार अनुरक्षित करेगा। इसके उपरांत नियोजित आर्डर्स सुजित करने के वास्ते एमआरपी को SAP का उपयोग करते हुए चलाया जाएगा, तब नियोजित आर्डर्स का संव्यवहार बड़ी मात्रा में उत्पादन आर्डर्स और क्रय अनुरोधों में संपरिवर्तित हो जाएगे। नियोजित आर्डर्स का संपरिवर्तन उत्पादन ऑर्डर/ क्रय अनुरोधों में हो जाएगा ।

4.1.1.1 विनिर्माण-पार्टस और असेम्ब्लियो की सूची उत्पादन नियंत्रण द्वारा एमआरपी चलन (सामग्री-बिल) से प्राप्त की जाएगी। उपलब्ध क्षमता निर्धारित करने के उपरांत आउटसोर्स (उप-संविदा) से प्राप्त किये जाने वाले "इन हाउस" आइटमों की पहचान की जाती है और उप संविदा से प्राप्त किये जाने वाले आइटमों की एमआरपी समेकित सूची तैयार की जाती है । उन मामलो में जब उत्पादन नियंत्रण एक समय पर समेकित एमआरपी सृजित करने में समर्थ नही होता, अलग-अलग क्रय अनुरोध तैयार किये जा सकते है जिनमे उत्पादन नियंत्रण को यह प्रमाणित करना चाहिए कि "इन हाउस" क्षमता की संमावना परख ली गई है।

4.1.2 तथापि, यदि किसी करणवंश आइटम को एमआरपी मे शामिल नही किया जा सका है, उप संविदा हेतु आइटमों के लिए अलग से स्वतत्र क्रय-अनुरोध (विक्रेता सामग्री/बीईएल - सामग्री/सेवा) तैयार किया जा सकता है।

4.1.3 किसी भी जरूरी तकनीकी स्पष्टीकरण में विक्रेता की सहायता करनी है।

4.1.4 इसकी जाँच करें कि उप संविदा हेतु समस्त आइटमो के लिए SAP में एक अधतन ड्राइंग विधमान है, ताकि उप संविदा विभाग की ड्राइंगो तक आसान पहुँच हो सके जिससे आगे चलकर अ ता - काल मे समय कम लगेगा ।

4.1.5 एसएपी में प्रयुक्त क्रय अनुरोधों का नमूना नीचे दर्शाया गया है

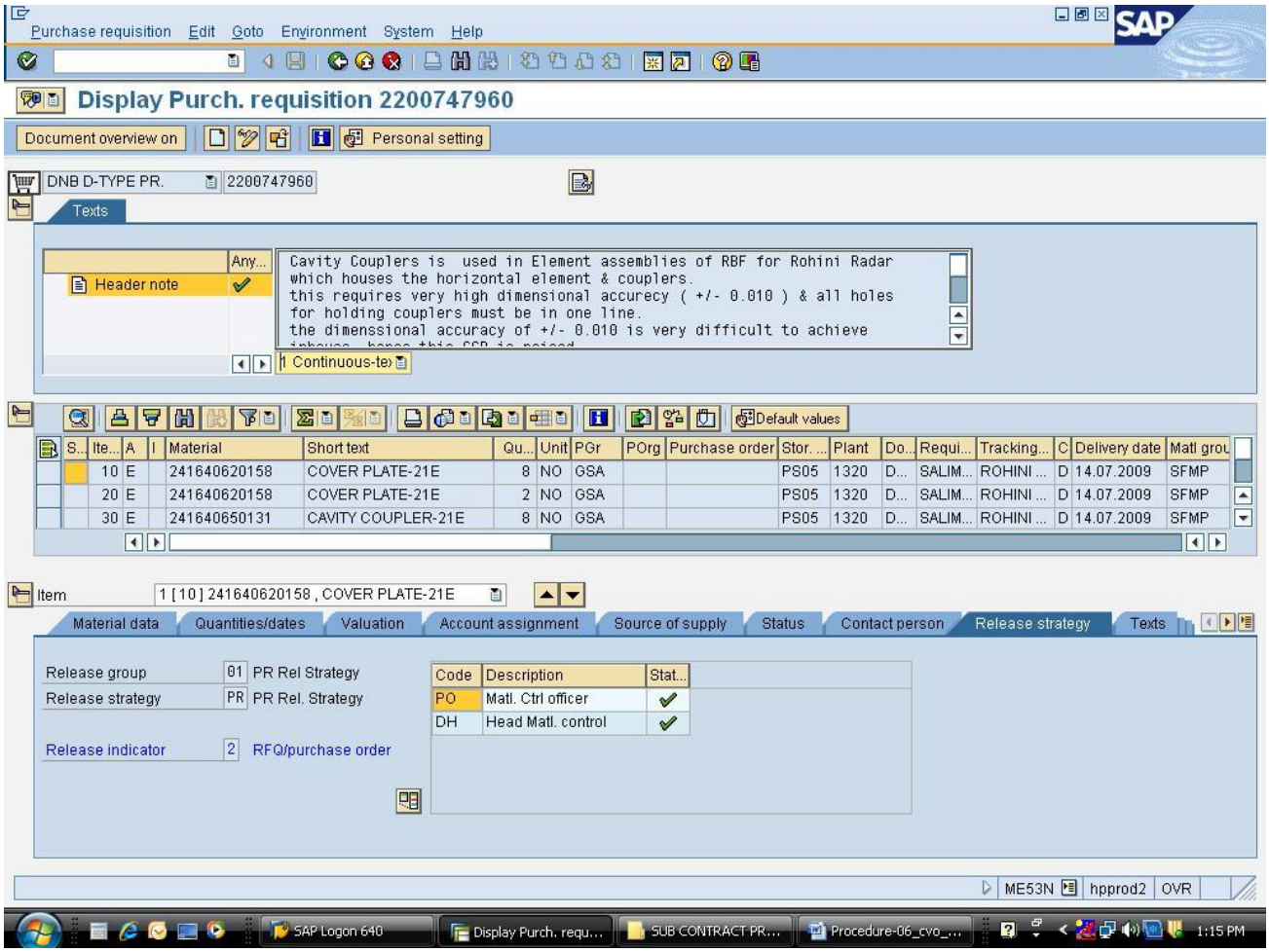

चित्र 1- क्रय अनुरोध (विक्रता सामग्री) सीएनबी/डीएनबी/एफएनबी टाइप

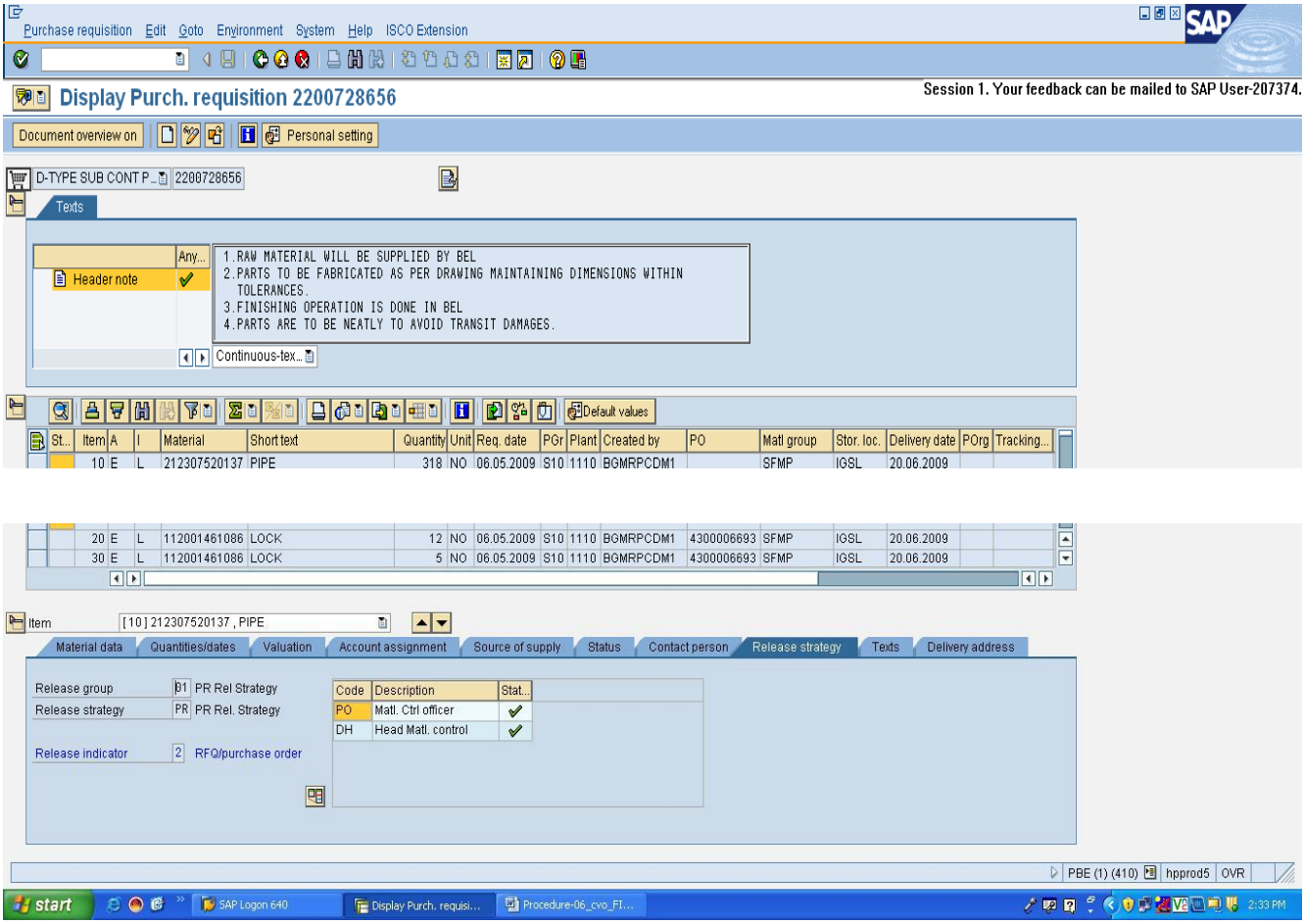

चित्र - 2 क्रय अनुरोध (बीईएल सामग्री) सीएससी/डीएससी/एफसीएस टाइप

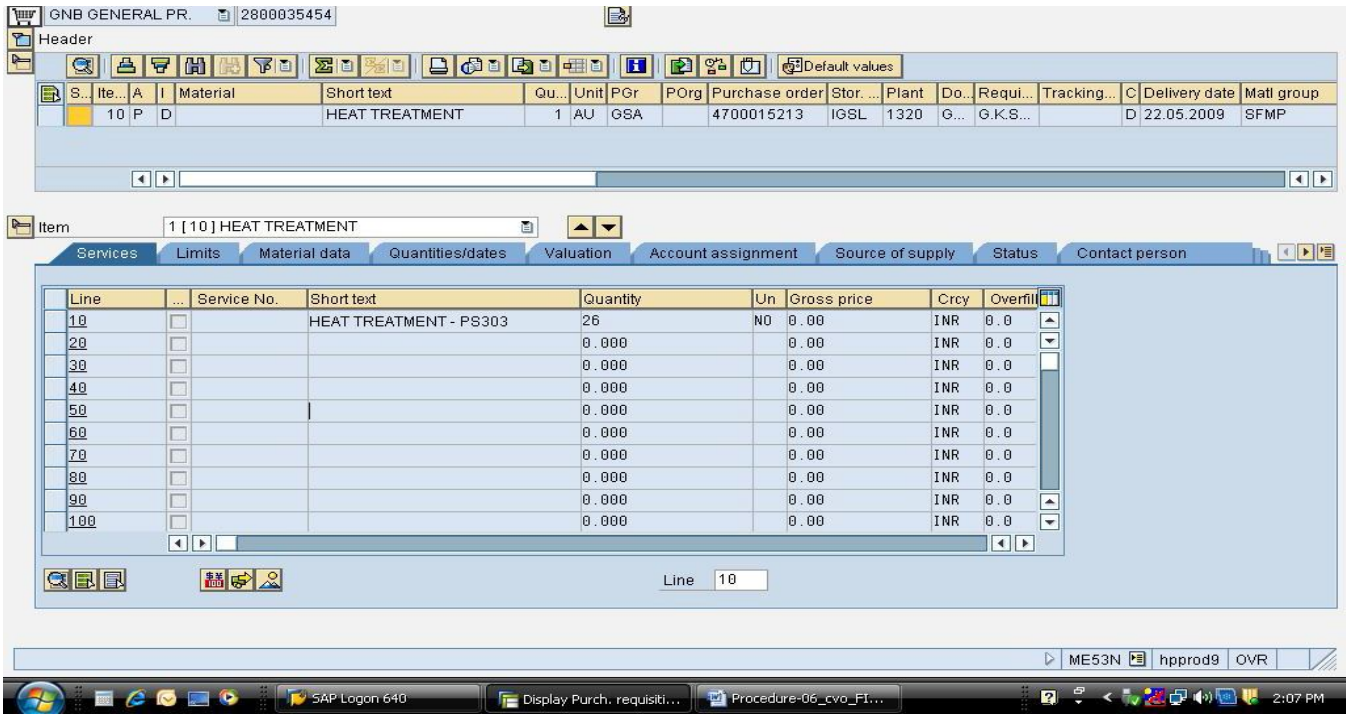

चित्र 3 - सेवा हेतु क्रय अनुरोध (जीएनबी/एफएनबी टाइप)

4.1.6 जाँच सूची (संलग्नक-1) के साथ क्रय अनुरोधों की सूची जिस के साथ परियोजना प्रभारी द्वारा पुनरीक्षित अघतन ड्राइंग की प्रति लगी होगी तथा क्रय अनुरोध के विषय में जानकारी दी गई होगी आगे करवाई हेतु सबन्धित उप संविदा विभाग को भेजी जाएगी ।

क्रय अनुरोध जारी करते समय, माँगकर्ता को यह सुनिशिचत करना चाहिए कि समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्रय अनुरोधों में दी गई, ताकि उप संविदा विभाग के पास खरीद के लिए निर्धारित किए गए पार्ट्स के बारे मे सम्ंस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें। बीईएल द्वारा निशुल्क आधार पर दिए जाने वाली सामग्रियो के ब्योरे, क्रय अनुरोध में स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएगे।

4.2 औधोगिक इजीनियरों के दायित्व

4.2.1 उपसंविदा हेतु निर्धारित समस्त नए आइटमों के लिए आईईडी/ -से को अनुमानित यूनिट- मूल्य का निर्धारण करना चाहिए ।

4.2.2 सभी विनिर्माण पार्ट्स/असेबलीज के लिए अनुमानित यूनिट-मूल्य निर्धारित रखा जाना चाहिए जिसमे निम्न शामिल है -

I) उन मामलो में जहाँ सामग्री बीईएल द्वारा नि:शुल्क सप्लाई की गई, है, केवल श्रम-लागत

II) उन मामलो में जहाँ सामग्री बीईएल द्वारा नि: शुल्क सप्लाई नही की गई, है श्रम-लागत तथा सामग्री-लागत

III) सप्लाई की दी जाने वाली अभिकल्प, सविरचन और केवल बीईएल आइटमों में इस्तेमाल हेतु उपयोग किये जाने वाले विशिष्ट टूल की लागत

4.2.3 मूल्यो में कमो बेशी के सम्ब्ध में विक्रेता के साथ वार्ता करके दोनों पक्षो के लिए उपयुक्त 25000/- की राशि तक किसी एक राशि पर सहमति बनाएँ । 25000/- से आधिक राशि के मामलो में मूल्य वार्ताकरी समिति- जिसमे आईईडी/एमएस, उप संविदा और वित्त के प्रतिनिधि शामिल होगे, के एक सदस्य के रूप में वार्तालाप द्वारा दोनों पक्षो के लिए उपयुक्त राशि पर सहमति बनाएँ। प्रभागों के बीच सामान्य (कोमन) आइटम के मामले में उप संविदा के लिए सामान्य दर सुनिशिचत करे।

4.2.4 वित्त विभाग की सहमति से, आवधिक आधार पर प्रति घंटे की दर से कार्य हेतु मानक- दर से कार्य हेतु मानक-दरे विभिन्न श्रेणियो के विक्रेताओ के लिए प्रत्येक श्रेणी के प्रचालन हेतु (अवधि 2 वर्ष होगी) निर्धारित करे। उप संविदा विभाग इन दरो का उपयोग वार्षिक दर संविदा देते समय करेगा ।

4.2.5 इन हाउस और उप संविदा आइटमों के लिए कुल मानक श्रम-घंटे निर्धारित करने में मागकर्ता विभाग की सहायता करे।

4.2.6 यूनिट-मूल्य का परिकलन करते समय आईईडी/एमएस निम्न तथ्यो पर विचार करेगा
विक्रेता द्वारा बीईएल के कार्यो के लिए किया गया विकास कार्य
- शाप में बनाएँ गए टूल्स, जिन्हे बीईएल की सम्पत्ति नही माना जाएगा।
- जटिलताएँ और अधिगमन वक्र
- आयतन - अर्थशास्त्र

4.3 **<u>उपसंविदा विभाग/ आधिकारी के दायित्व</u>**

4.3.1 एक नियमित अंतरालों पर एसएपी से समस्त लबित क्रय- अनुरोधों की सूची निकाले। क्रय अनुरोधों की सवीक्षा करे, पूर्व उपसंविदा के ब्योरो तथा पूर्व सप्लायरों की निष्पादन की जाँच करे। पहले उपसंविदा पार्ट्स के इतिहास के आधार पर निर्णय करे कि खंड 7.2 के अनुसार आर्डर दुबारा जारी करें अथवा खंड 7.1 के अनुसार जाँच कार्यवाही करे।

4.3.2 <u>कोटेशन हेतु अनुरोध (आरएफ़ओ)</u> (संलग्नक-2) जारी करने के लिए प्राप्त हुई कोटेशनों का विश्लेषण करे और तुलनात्मक विवरण- तालिका तैयार करे ।

4.3.3 जहाँ आवश्यक हो, वित्त, आईईडी/एमएस और मागकर्ता के साथ मूल्य, सुपर्दगी, भुगतान की शर्तें, अथवा अन्य परिस्थितियों के विषय में यथाआवश्यक सक्षम प्र ।धिकारी का अनुमोदन लेकर संविदाकारो के साथ वार्ताएं करे ।

4.3.4 स्रोत सूची रखे और निगमित कार्योलयो द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रत्यायोजन के तहत सक्षम ।धिकारी का अनुमोदन और वित विभाग द्वारा पुनरीक्षण व्यवस्था के उपरांत क्रय आदेश एस ए पी में तैयार करे तथा आईएस (का.आ.) द्वारा जारी (संलग्नक - 3) निर्धारित नीति के अनुसार क्रय आदेश जारी करे तथा उपसंविदा आदेश की प्रगति का अनुवीक्षण करने की व्यवस्था करे।

4.3.5 विक्रेता से/को सामग्री का जारीकरण, लेखाकरण और संग्रहण की पूर्ण ज़िम्मेदारी का वहन करे । सामग्री के लेने- देने के दोरान सभी सरकारी औपचारिकताएँ पूरी करे। सुनिश्चित करे कि समय-समय पर लागू समस्त सांविधिक प्रक्रियाएँ व औपचारिकताएँ (उत्पाद-शुल्क / विक्री कर आदि) अनुपालित की जाती है।

4.3.6 (क) नए विक्रेताओ का पंजीकरण (ख) ज़ेडएमएम 007 का उपयोग करते स्रोत सूची में शामिल किये जाने हेतु फर्मो का अनुमोदन (ग) स्रोत सूची का अद्यतनीकरण और (घ) विक्रेता-अंकन कार्यो के लिये कदम उठाये ।

4.3.7 प्लेटिंग, पेंटिंग जैसी अंतिम स्तर की प्रक्रियाओ को शामिल करते हुए विक्रताओ के साथ वार्षिक दर संविदा तैयार करे।

4.3.8 विक्रेताओ से यथा लागू सम्बधित राशि के लिये बैंक गारंटी प्राप्त करे और सुनिश्चित करे कि जहाँ लागू हो उच्च कीमत के लिये विक्रता बीमा पालिसी हासिल करते है। ऐसा बेंगलुरु कांप्लेक्स के मामलो में केंद्रीय उप संविदा तथा अन्य यूनिटो के मामलो में सम्बधित उप संविदा विभाग द्वारा किया जाएगा

4.3.9 विक्रेताओ को तेजी से समय पर भुगतान तथा उनसे वसूली यदि कोई है, तथा विक्रेता - सम्बधी मुद्दो पर कंपनी में एकल खिड़की के रूप में कार्य करने के लिये वित्त विभाग के साथ समन्वय बनाकर रखे।

4.3.10 क्रय आदेश विक्रेता सामग्री / बीईएल सामग्री/ सेवा का नमूना नीचे दर्शाय । गया है।

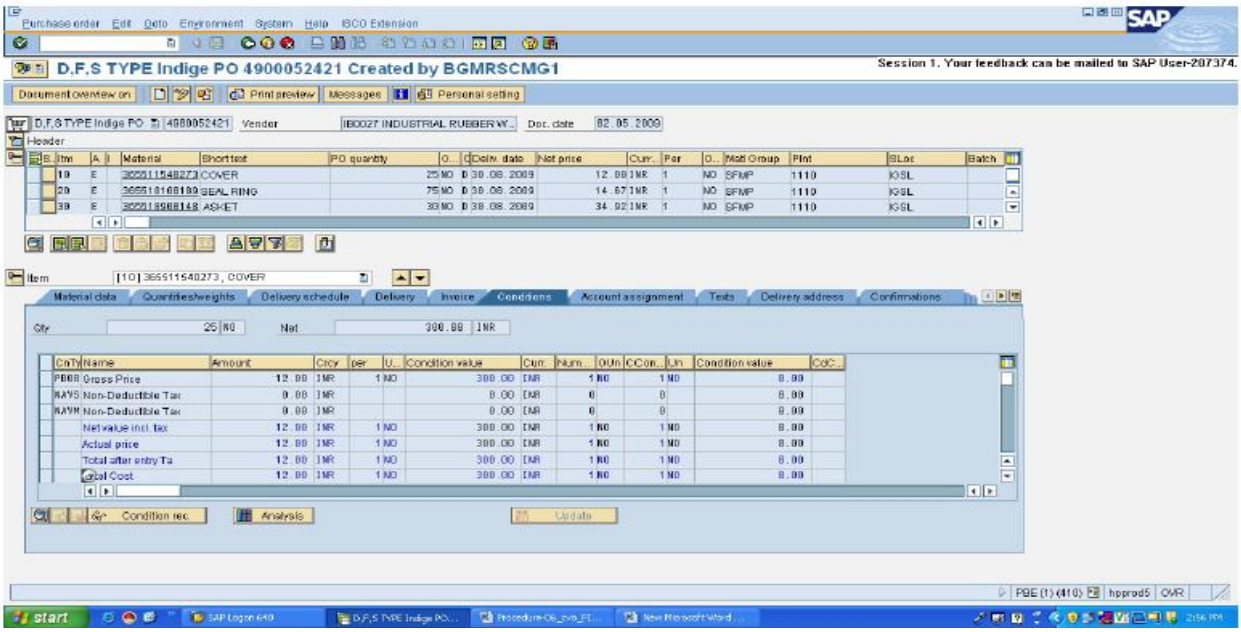

चित्र 4. क्रय आदेश (विक्रता सामग्री)

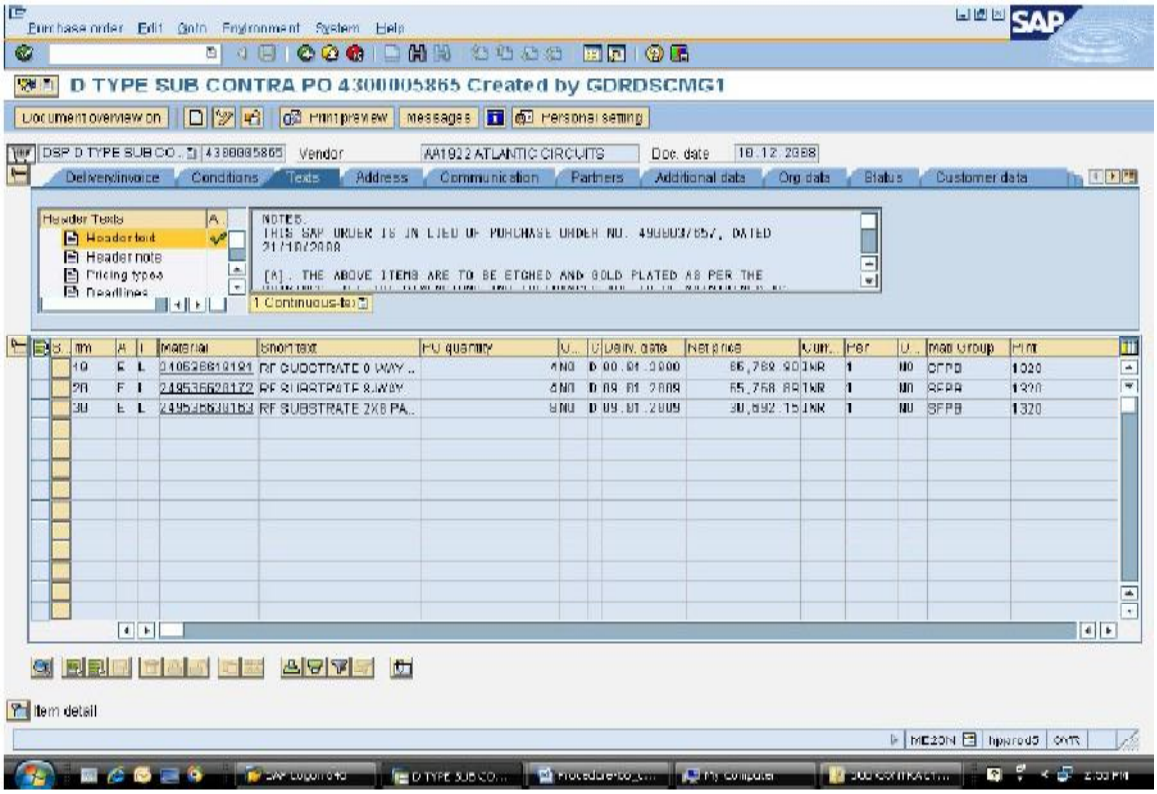

चित्र 5. क्रय आदेश (उच्च सामग्री)

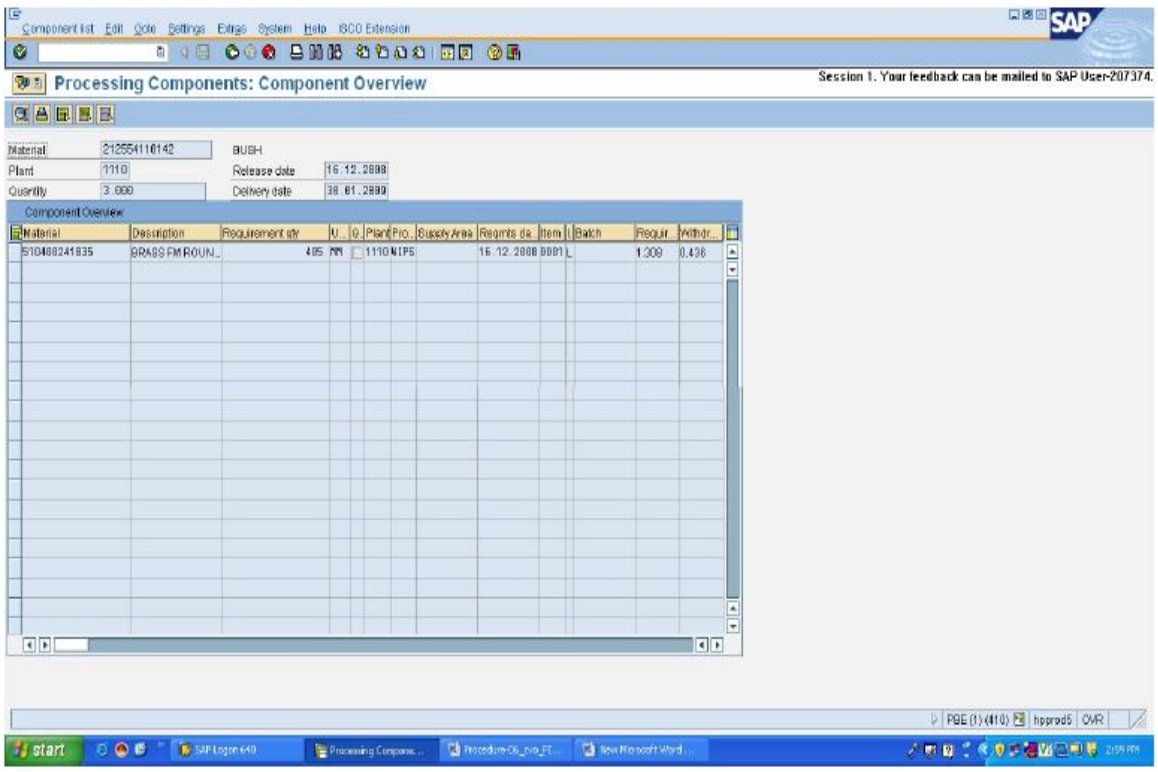

चित्र 6. क्रय आदेश (बीईएल सामग्री) (सामग्री का बिल)

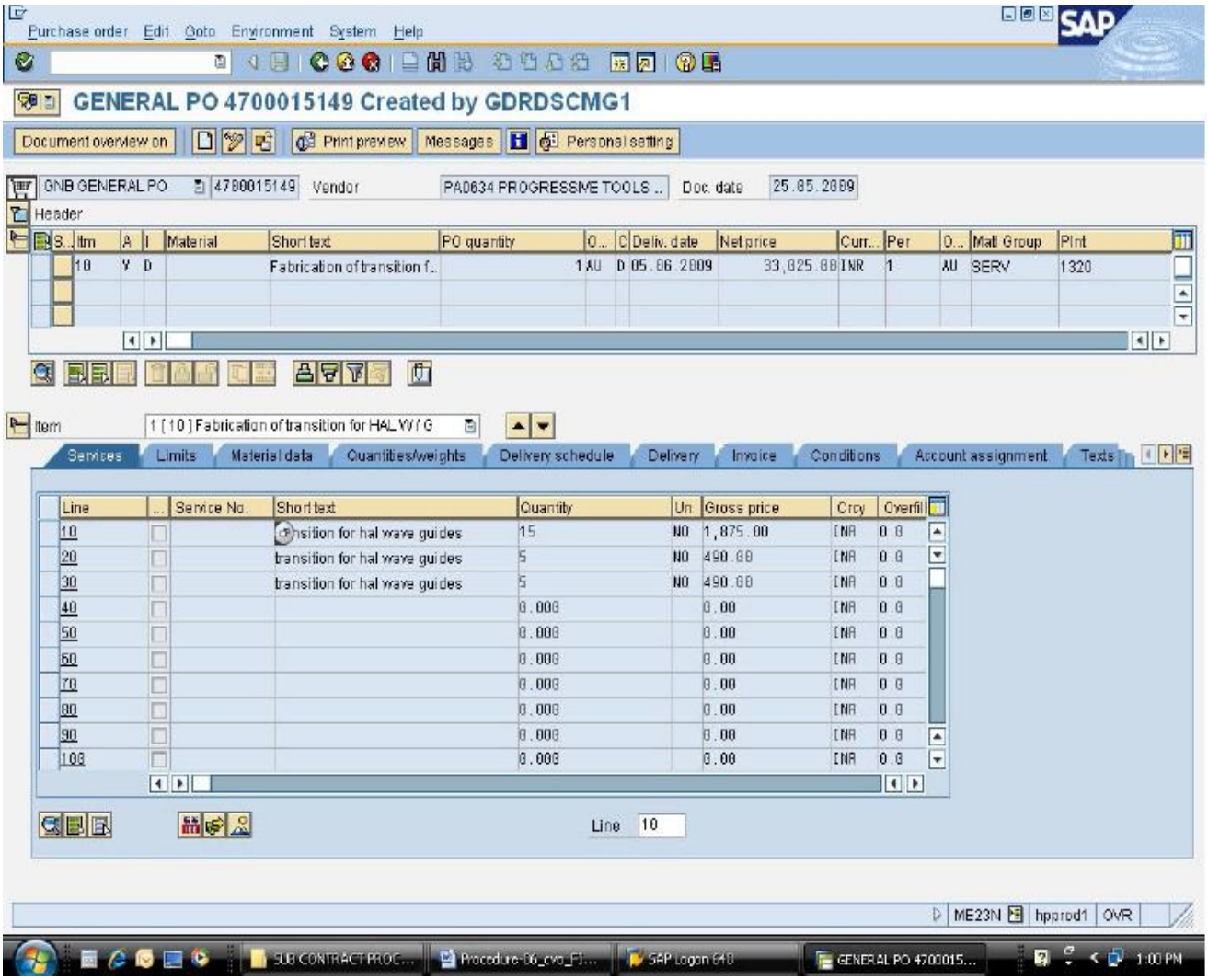

चित्र 7 सामान्य क्रय आदेश (सेवाएँ)

4.4 वित्त आधिकारियों के दायित्व

4.4.1 वार्षिक दर संविदा करते समय सुनिश्चित करे कि निर्धारित नियमो व प्रक्रियाओ का अनुपालन किया गया है। जारी करने से पूर्व क्रय आदेश (2500% से अधिक मूल्य वाले आदेशो में लागू) की पुनरीक्ष । करे।

4.4.2 प्रति घंटा मानक दरे फाइनल करते समय आईईडी/एमएस को साथ जोड़े। मूल्य वार्ताकारी समिति के तोर पर भी कार्य करे

4.4.3 भुगतान संबधी शर्तो के अनुसार विक्रताओ को तेजी से भुगतान करे।

4.4.4 प्रभागो द्वारा प्राप्त की गई बैंक गारंटी रखने की प्रमुख ज़िम्मेदारी बेंगलुरु कांप्लेक्स के मामलो में केंद्रीय उप संविदा तथा अन्य यूनिटो के मामलो में सम्बधित उप संविदा विभाग की होगी, जबकि इस कार्य के अनुवीक्षण की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग की होगी

4.4.5 नए विक्रेता बनाने के लिये विक्रेता समिति के साथ मिलकर कार्य करे ।

4.5 गुणवत्ता नियंत्रण आधिकारी के दायित्व

4.5.1 आगत सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मैनुअल में यथा विहित प्रक्रिया का पालन करे

4.5.2 आगत सामग्री का निरीक्षण विक्रेता के परिसर में करके, निरीक्षण सामग्री का आयतन (परिमाण) युक्तिसंगत रखे ।

4.5.3 विक्रेता के चयन/ मूल्यांकन / अनुमोदन/ विलोपन तथा विक्रेता- प्रक्रियाओ की संपरीक्षा के लिए उपसंविदा विभाग के साथ कार्य करे

4.5.4 दोष- निव ।रण जानकारी तथा सांख्यकी प्रक्रिया निंयत्रण तकनीको में प्रशिक्षित करने के लिए विक्रेताओ को शिक्षित करे।

5.0 विक्रेताओ का प्रतिस्थापन

जैसा कि गुणवत्ता, सुपर्दगी और लागत सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रत्येक श्रेणी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखने के लिए विक्रेताओ के चयन और प्रतिस्थापन मे अधिकतम सावध ।नी बरती जानी चाहिए। विक्रेताओ के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया मे निम्म कदम उठाये जाएगे -

(क) नये विक्रेताओ का पंजीकरण / वैकल्पिक स्रोतो का विकास

(ख) स्रोत सूची और विक्रेता अंकन (मूल्यांकन)

(ग) विक्रेताओ का पंजीकरण रद्द करना, प्रतिबंध लगाना और निलंबन

क) नये विक्रेताओ का पंजीकरण / वैकल्पिक स्रोतो का विकास

5.1 सामान्यत वर्ष में एक बार, अप्रैल/ मई मे तथ । जब भी अपेक्षित हो, ई टेंडरींग समेत समाचार पत्रो अथवा किसी मीडिया में , उपसंविदा पर कराये जाने वाले आशयित कार्यों के विवरण देते हु ए विज्ञापन जारी किये जाएगे जिनमे इच्छुक फर्मो से पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन करने के लिए विक्रेताओ को 15 दिन का समाया दिया जाएगा । यह कार्य बेंगलुरु कांप्लेक्स के मामलो में केंद्रीय उप संविदा तथा अन्य यूनिटो के मामलो में सम्बधित उप संविदा विभाग द्वारा किया जाएगा ।

5.2 विज्ञापन की अनुक्रिया मे आवेदन करने वाली फर्मो को एक प्रश्नावली (संलग्नक -3) दी जाएगी जिसे भरकर आवश्यक समर्थन दस्तावेज़ो के साथ वापस करना होगा यह प्रश्नावली बीईएल के पास स्वयं आने वाली पार्टियो (फर्मो) को भी दी जाएगी ।

5.3 विक्रेता मूल्यांकन समिति की नियुक्ति यूनिट अध्यक्ष/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसमे निम्न प्रतिनिधि शामिल होगे ।

(क)	उत्पादन प्रभाग ।ध्यक्ष (बेंगलूर कॉप्लेक्स के मामले मे केंद्रीय उपसंविदा प्रभाग ।ध्यक्ष)	अध्यक्ष
(ख)	समबधित एसबीयू/प्रभाग के उपसंविदाध्यक्ष (बेंगलूर कॉप्लेक्स के मामले मे केंद्रीय उपसंविदा प्रभाग ।ध्यक्ष)	सदस्य सचिव
(ग)	आईईडी/एमएस के प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	उत्पादन नियत्रण/ मागकर्ता के प्रतिनिधि	सदस्य
(ङ)	वित्त नियत्रण/ मागकर्ता के प्रतिनिधि	सदस्य
(च)	गुणवत्ता नियंत्रण के प्रतिनिधि	सदस्य
(छ)	विशिष्टीकृत प्रक्रियाएँ जैसे पीसीबी, असे. लीड लाइन आदि के प्रतिनिधि	सहयोजित सदस्य

समिति नए विक्रेताओ द्वारा प्रस्तुत भरे हुई प्रश्नावलियो का समर्थन दस्तावेज़ो के साथ अध्ययन करेगी और उपयुक्त विक्रेताओ की विशिष्ट सूची बनाएगी और उनकी क्षमताओ व संगठनात्मक सुविधाओ का अवलोकन करने के लिए उनके परिसर का निरीक्षण करेगी। यदि उसके यहाँ हर प्रकार से उपलब्ध सुविधाएँ पर्याप्त पाई जाती है तो, समिति विक्रेता के तोर पर उसके पंजीकरण की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन हेतु करेगी। इसके उपरांत एक विक्रेता कोड आवंटित किया जाएगा ।

ख) स्रोत सूची और विक्रेता मूल्यांकन

5.4 एक बार पंजीकृत होने के बाद विक्रेता की गुणवत्ता, सुपुर्दगी और मूल्य के सबंध मे निष्पादन का मूल्याकन करने के उद्देश्य से परख के लिए आदेश (ऑर्डर) (अधिकतम2) दिये जाएगे ।

5.5 पंजीकृत विक्रेताओ के निष्पादन का मूल्याकन करने हेतु एसबीयू/ यूनिट अधयक्ष द्वारा उपसंविदा, गुणवत्ता और उत्पादन विभागो के प्रतिनिधियों की एक अलग विक्रेता मूल्याङ्कन समिति गठित की जाएगी । समिति में वरिष्ठ सदस्य इसका अध्यक्ष होगा । यह समिति पंजीकृत विक्रेता के निष्पादन की समीक्षा करेगी ।

5.6 निष्पादन का मूल्याकन प्रणाली जनित विक्रेता अकंन पर आधारित होता है और बाद मे समिति स्रोत सूची में शामिल करने हेतु, यूनिट अध्य द्वारा अनुमोदन की सिफ़ारिश, केवल उस स्थिति में करेगी जब विक्रेता का अकंन अपेक्षित स्तर (सबधित यूनिट)/ एसबीयू की विक्रेता समिति द्वारा निधारित स्तर से ऊपर पाया जाता है । अनुमोदन की प्रक्रिया बेंगलुरु कांप्लेक्स के मामलो में केंद्रीय उप संविदा तथा अन्य यूनिटो के मामलो में सम्बधित उप संविदा विभाग द्वारा पूरी की जाएगी । विक्रेताओ से यथा लागू सम्बधित राशि के लिये बैंक गारंटी प्राप्त करे और सुनिश्चित करे कि जहाँ लागू हो उच्च कीमत के लिये विक्रता बीमा पालिसी हासिल करते है। ऐसा बेंगलुरु कांप्लेक्स के मामलो में केंद्रीय उप संविदा तथा अन्य यूनिटो के मामलो में सम्बधित उप संविदा विभाग द्वारा किया जाएगा द्वारा निष्पादित की जाएगी।

5.7 स्रोत सूची मे निम्म शामिल होने चाहिए -

(1) जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, परख ऑर्डर देने तथा समिति द्वारा निष्पादन का मूल्याकन किए जाने के बाद एसबीयू/ यूनिट अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विक्रेतागण ।

(2) विक्रेतागण जिनका निष्पादन नियमित आपूर्तियों मे अच्छा रहा है तथा जिनकी विक्रेता- अकंन निर्धारित स्तर से ऊपर है ।

5.7.1 जैसे ही और जब भी, नए विक्रेताओ को शामिल करने का अनुमोदन मिलता है, स्रोत सूची को अद्यतन किया जाता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ।

5.8 स्रोत सूची की समीक्षा वर्ष मे एक बार अप्रैल - मई में की जानी है।

ग) <u>विक्रेताओ का पंजीकरण रद्द करना/ निलबन और प्रतिबंध (रोक) लगाना</u>

5.9 यदि विक्रेताओ से पार्ट्स की खरीद प्रक्रिया के दोरान स्रोत सूची मे दिए गए किसी विक्रेता का निष्पादन अपेक्षित स्तर तक संतोषजंनक नही पाया जाता है तो गुणवत्ता सुपुर्दगी और नैतिक व्यवहार सबधी उसके निष्पादन के आधार पर विक्रेताओ की सेवाएँ समाप्त करने की जरूरत होगी। किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार किये जाने से विक्रेता के खिलाफ संदर्भ सं. 18869/आईबी/एमएस दिनांक 12.1.2009 (संलग्नक-4 का संदर्भ ले), के अनुसरण मे महाप्रबंधकों/एसबीयू अधयक्षो/यूनिट अध्यक्षो/कार्यरत (क्रियाशील) निदेशक द्वारा, विक्रेता सूची से विलोपन/ रोक लगाया जाना/ निलबंन क्रिया/यथा निर्धारित उपयुक्त बैंक गारटी का नकदीकरण की कारवाई की जा सकेगी।

5.10 विक्रेताओ की अनुमोदित सूची को किये जाने वाले कार्यो की प्रकृति के आधार पर- जैसे कि 1 मशीनिग 2 विशिष्ट मशीनिग 3 संविरचन 4 झलाई 5 असेबली 6 संपूर्ण असेबली आदि के साथ साथ उपलब्ध क्षमता को वर्गीकृत किया जाता है । फ़र्में निम्न प्रकार क, ख और ग श्रेणियों मे होगी ।

श्रेणी 'क1'

बड़े सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य क्षेत्र की फ़र्में, जिनमे पर्याप्त इन हाउस अनुसंधान एव विकास, इजीनियरिंग, उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ उपलब्ध है।

श्रेणी ' क2'

बड़े स्तर के निजी क्षेत्र के उधोग अथवा मध्यम स्तर के सार्व उद्यम/ राज्य क्षेत्र की फ़र्में जिनमे पर्याप्त इन हाउस इजीनियरिंग, उत्पादन व गुणवत्ता नियत्रण सुविधाएँ उपलब्ध है ।

श्रेणी'ख'

मध्यम और छोटे निजी क्षेत्र के उघोग जिसमे अधिक इजीनियरिंग सेवाए नही है। किन्तु पर्याप्त उत्पादन व गुणवत्ता नियत्रण सुविधाएँ उपलब्ध है ।

श्रेणी'ग'

लघु दर्जो के उघोग जिनमे अपेक्षित उत्पादन सुविधाओ वाली बीईएल की सहायक यूनिट शामिल है।

टिप्पणी - गुणात्मक रूप से क1 और क2 श्रेणियो में आने वाली फार्मों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हे बीईएल से किसी सहायता की जरूरत नही है तथा ये दिए गए कार्य को क्रम वार तरीके से कर पाएगी। श्रेणी ख में आने वाली फर्मो को केवल कुछ इजीनियरिंग सहायता की जरूरत पड़ सकती है। श्रेणी ग के अन्तर्गत आने वाली फर्मो को न केवल इजीनियरिंग सहायता की जरूरत होगी बल्कि इनके यहाँ गुणवत्ता कार्य की भी सावधानी से जाँच की आवश्यकता पड़ेगी ।

5.11 कार्य दिए जाने के मामले में बीईएल औधोगिक संपदा से आनुषंगिक (सहायक) उधोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की पूरी सभावनाएँ तलाशी जाती है। और प्राथमिकता ग,ख,क2 एवं क1 के क्रम में होनी चाहिए ।

6.0 शक्तियों का प्रत्यायोजन

उप-संविदा मामलो में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर उप प्रत्यायोजन के अनुसार विभिन्न स्तर के कार्यपालको के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाएगा। बहरहाल, उपसंविदा के संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा नीचे दर्शाई गई है।

** **शक्तियों का प्रत्यायोजन**

क. स॰	शक्तियों की प्रकृति	**शक्तियों का उपप्रत्यायोजन**			
		उ॰स॰ प्रमुख सामग्री	प्रभागाध्यक्ष	यूनिट प्रमुख/ महाप्रबंधक /एसबीयू प्रमुख	नि.(बे.कॉ.)/नि.(अ.यू.)
1	एलईडी दरो पर उपसंविदा ओर्डर्स का अनुमोदन	1 लाख तक	3 लाख तक	100 लाख तक (एकल विक्रेता) और 200 लाख तक (बहु विक्रेताएँ)	1000 लाख तक एकता विक्रेता और 2000 लाख (बहु विक्रेताएँ)
2	एकल निविदा	1500 तक	50,000 तक	100 लाख तक	1000 लाख तक
3	सीमित निविदा	100000 तक	300000तक	200 लाख तक	2000 लाख तक
4	उन मामलो में जब मूल नियमत निविदा को नमूना प्रस्तावित है (कारण रिकॉर्ड किये जानेहै)	शून्य	1500 तक	100 लाख तक	1000 लाख तक
5	उन मामलो में जब ओर्डर्स अलग अलग दरो पर एक से अधिक पार्टियो को दिए जाने प्रस्तावित है (कारण रिकॉर्ड किये जाने है)	शून्य	1500 तक	100 लाख तक	1000 लाख तक

क. स॰	शक्तियों की प्रकृति	शक्तियों का उपप्रत्यायोजन			
		उ॰स॰ प्रमुख सामग्री	प्रभागाध्यक्ष	यूनिट प्रमुख/ महाप्रबंधक /एसबीयू प्रमुख	नि.(बे.कॉ.)/नि.(अ.यू.)
6	उन मामलो में जब स्वीकृत हेतु प्रस्तावितमूल्य में विनिर्माण लागत से अधिक है।	शून्य	शून्य	100 लागत तक	1000 लागत तक
7	मूल ऑर्डर के 12 महीनो के भीतर तथा बाजार में मूल्यो में गिरावट न आने की स्थितियों में उसी मूल्य पर 100% तक दुबारा मिले ऑर्डर्स	शून्य	3 लागत क	100 लागत तक (एकता विक्रेता) और 200 लागत तक	1000 लागत तक (एकता विक्रेता) 2000 लागत क (बहु विक्रेतागुण)

* क्रियाशील निदेशक अपने अपने कार्य क्षेत्रो में प्रस्ताव अनुमोदित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगे जैसे बें.कॉ. संबंधित क्रय प्रस्तावों के मामलो में निदेशक (बें.का.), अन्य यूनिटों से संबंधित क्रय प्रस्तावों के मामलो में निदशेक (अ.यू.) सीआरएल से विकास एवं इजीनियरिंग स्तावो के मामलो में निदेशक (अनु.एवंवि.), मानव संसाधन (मा.सं.) के क्रिया कलायो से मिले प्रस्तावो के मामलो में निदेशक (मा.स.) अपने अपने कार्य क्षेत्रो से मिले प्रस्तावो के लिए निदशेक (विपणन) एवं निदशेक (वित्त) तथापि बें.का. तथा निदेशक संबंध में निदशेक (बें.कॉ.) तथा निदशेक (अ.यू.) विभिन्न क्रियों कलापों के लिए मिले समस्त क्रय प्रस्तावो के मामलो में अनुमोदन प्राधिकारी होगे।

(दिनांक 16.09.2011 का आदेश सं./591/024 द्वारा संशोधित)**

6.2 एसएपी में क्रय आदेश जारी किया जाना

क्रय आदेश आईएस (काऑ) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएपी में जारी किये जाने है ।
(संलग्नक -5 देखे)

6.3 क्रय आदेश पर हस्ताक्षर करना

पैरा 6.1 में यथाविहित शक्तियों का प्रत्यायोजन के अनुसार उप संविदा के लिए प्रस्ताव अनुमोदित होने के बाद निम्न लिखित स्तर के उप संविदा आधिकारी उप संविदा आदेशो पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किए गए है ।

कार्यपालको का स्तर	**रुपयो तक**
ई I / ई II	25000
ई III	1,00000
ई IV	2,00000
ई V अथवा प्रमुख (उप संविदा)	पूर्ण शक्ति

7.0 ऑर्डर प्रेषित किया जाना

7.1 आईईडी अनुमानित मूल्य पर ऑर्डर देने की प्रक्रिया

7.1.1 .25000/- तक मूल्य के ऑर्डर वाले आइटमों के मामलो में उप संविदा विभाग अनुमोदित विक्रेता सूची से उपयुक्त विक्रेता का चयन करेगा तथा आईईडी मूल्य का प्रस्ताव करेगा । यदि विक्रेता मूल्य से संतुष्ट नही होता है तो उसे दोनों पक्षो के लिए उपयुक्त एक सहमति पूर्ण मूल्य पर आईईडी के साथ वार्ता के लिए आमत्रित किया जाएगा। मूल्य पर वार्ता के दोरान वित्त विभाग को शामिल किया जाएगा।

7.1.2 ऑर्डर का मूल्य 25000/- से अधिक होने की स्थिति में पैरा 7.3 के अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

7.2 **आर्डर दुबारा दिया जाना (पुनरादेश)** - मूल्य-ऑर्डर मात्रा के 100% तक की मात्रा के आर्डर, एक वर्ष के भीतर सामान्यत: उसी विक्रेता को दुबारा दिए जाएंगे जिसने पहले इनकी सप्लाई की थी । मूल रूप से आदेशित पार्ट्स के लिए अतिरिक्त 100% संख्या में विभिन्न आर्डर्स में किए गए संशोधन शामिल किए जाएंगे। यदि किसी जायज़

कारण से उसी विक्रेता को आर्डर दुबारा नहीं दिया जा सकता है,तो आइटम को नया आइटम माना जाएगा तथा पैरा 7.1.1. का अनुसरण किया जाएगा । दुबारा दिए गए । आर्डर्स के लिए यूनिट – मूल्य में किसी बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके बजाय सप्लायर से मूल्य कम कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

7.2.1 पूर्व आर्डर के विरुद्ध दुबारा आर्डर देने पर विचार निम्न परिस्थितियों में जा सकता है -

क) मूल क्रय आर्डर के अंतर्गत, आदेशित पार्ट्स की सफलता पूर्वक सुपुर्दगीकर दी गई है ।

ख) मूल क्रय आर्डर में अत्यावश्यक / आपातिक मांग को कवर नहीं किया गया था ।

ग) सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से बचाव के लिए, अपेक्षित मात्रा को विखंडित करने के उद्देश्य से मूल क्रय आर्डर दिया नहीं गया है ।

घ) बाजारी आसूचना के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार, कीमतों मे मंडी का रुझान नहीं है।

ङ) फर्म, मूल क्रय आर्डर के अनुसार, सुपुर्दगी-अनुसूची समेत पुरानी कीमत, निबंधन एवं शर्तों पर कार्य करने को तैयार है ।

च) समान प्रकृति/विनिर्देश, नामावली आदि कार्यों की अपेक्षा है। विनिर्देशों में छोटे मोटे सुधार अथवा प्रचलन से बाहर होने के कारण उत्पादों को हटाए जाने को , दुबारा दिए जाने वाले आर्डर के दायरे से हटाया नहीं जाना चाहिए ।

छ) दिया गया मूल क्रय आर्डर निम्नतम (वार्ता में निर्धारित) मूल्य पर आधारित होना चाहिए, सुपुर्दगी प्राथमिकता पर नहीं ।

7.3 निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आर्डर देने की प्रक्रिया -

7.3.1 ऐसी स्थिति में, जब किसी नए आइटम/जॉब/ प्रक्रिया की लिए कोई अनुमोदित विक्रेता उपलब्ध नहीं है, पैरा 5.0 में दी गई विक्रेताओं के स्थापन/पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी । सीमित निविदाओं की इंकवारि केवल स्थापित (सूचीबद्ध),पंजीकृत विक्रेताओं को ही भेजी जाएगी ।

7.3.1.1 यदि अनुमोदित/ स्थापित (सूचीबद्ध), विक्रेता 5 से कम या बराबर हैं, इंकवारि सभी विक्रेताओं को भेजी जाएगी (प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 3 विक्रेता सूचीबद्ध किए जाएंगे । ऐसी स्थिति में, जब 5 से अधिक अनुमोदित/ स्थापित (सूचीबद्ध), विक्रेता उपलब्ध हैं, पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपयुक्त मूल्य के लिए न्यूनतम 5 विक्रेताओं को इंकवारि भेजी जानी चाहिए । इन विक्रेताओं को चुनने के कारणों (आधार) जैसे – (क) कार्य का अपर्याप्त आकार, (ख) विक्रेता की उपयोग न हो पाई क्षमता का प्रमाणित होना, (ग) विक्रेता का विगत निष्पादन- रिकार्ड तथा आर्डर– बुक की स्थिति आदि का उल्लेख किया जाना है । किसी विशिष्ट ग्रुप के विक्रेताओं को प्रोत्साहित न करने अपितु, सभी विक्रेताओं को समान अवसर देने के लिए , जब भी उसी कार्य के लिए इंकवारियाँ दुबारा भेजी जाती हैं, पहली बार में शेष बचे विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

7.3.1.2 पूर्व योग्यता /पश्च योग्यता पूरी तरह से वर्तमान बोली दाताओं की क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होगी, ताकि किसी संविदा कार्य को संतोषजनक ढंग से निष्पादित कर सके । इस कार्य में उनके निम्न कार्यों को देखा जाएगा-

1) अनुभव तथा पिछले 2 वर्षों में इसी तरह के संविदा कार्यों का विगत निष्पादन ।

2) निजी उपस्कर और विनिर्माण सुविधाओं संबंधी सुविधाएं ।

3) वित्तीय स्थिति आधुनिकतम आईटीसीसी वार्षिक रिपोर्टके माध्यम से पिछले तीन वर्षों की (तुलन पत्र एवं लाभ व हानि का लेखा जोखा) ।

पीक्यू मानदंड निर्धारित करते समय, मात्रा, सुपुर्दगी और महत्व संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी बोलीदाता को संविदा को सफलता पूर्वक निष्पादित करने के लिए, अपनी क्षमता और संसाधनों से संबन्धित न होने वाले कारणों के लिए पूर्व योग्यता/पश्च योग्यता से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए ।

यह खंड (धारा) समय समय पर जारी कार्पोरेट परिपत्रों अथवा कार्यालय आदेशों द्वारा अनुशासित है ।

7.3.1.3 आर्डर की मात्रा (संख्या) विखंडित किया जाना -

आवश्यक (अपेक्षित) मात्रा (संख्या) को विखंडित करना यदि समय अनुसूची कायम रखने में कंपनी के हित में होगा, तो इस पर निर्णय निविदाएँ मांगने से पहले लिया जाना चाहिए । ऐसे समस्त मामलों में, निविदाएँ आमंत्रित किए जाने से पहले समस्त संविदाकरों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में जब आर्डर का विखंडित किया जाना आवश्यक हो, आर्डर एल 1 पर तथा उच्चतर बोलीदाताओं को , उनकी कोटेशनों की एल 1 दरों पर आरोही क्रम से विखंडित किया जा सकता है । 31 मई, 2007 के परिपत्र सं. 21326/18/07-08/सी ओ –वी आई जी (संलग्नक -12) का अवलोकन करें ।

7.3.2. सीमित निविदा –इंकवारियाँ निम्न को भेजी जाएंगी -

क) अनुमोदित विक्रेता

ख) आनुषंगिक यूनिटें, जहां मौजूद हैं, और

ग) नए विक्रेता - परख और इसके बाद मूल्यांकन हेतु

7.3.3. आरएफ़क्यू (संलग्नक - 2) में निविदा खोलने की तिथि, समय और स्थान की जानकारी होनी चाहिए। विक्रेताओं को इंकवारि में यह सूचना भी दी जानी चाहिए कि निविदा खोलने की कार्रवाई के दौरान, वे उपस्थित रह सकते हैं (केवल खुले /सीमित निविदाओं के मामले में) ।

7.3.3.1 निविदाकरण प्रक्रिया में किसी त्रुटि से बचाव के लिए, ई-प्रापण के उपयोग को अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए । ई-प्रापण - प्रक्रिया को आईएस/काऑ द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

7.3.4. इंकवारि भेजने से पहले,अनुमानित मूल्य निर्धारित किया जाएगा । यूनिटों/एसबीयू - जहां औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग (आईईडी) कार्य - रत नहीं हैं, लागत अनुमान ड्राइंगों के आधार पर, उत्पादन नियंत्रण विभाग द्वारा लगाया जाएगा ।

7.3.5. जाब की अनुमानित लागत के आधार पर, कोटशन प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम नोटिस समय निम्न प्रकार दिया जाएगा ।)

i) लाख तक - एक सप्ताह

ii) लाख - 5. 0 लाख तक - 10 दिन

iii) लाख से अधिक - 2 सप्ताह

7.3.6. समान्यत: कोटेशनें केवल मुहर बंद लिफाफों में ही स्वीकार की जाएंगी। तथापि,फेक्स/ई-मेल के माध्यम से मिलने वाली कोटेशनें, उप-संविदा विभागाध्यक्ष प्राप्त करके इन पर हस्ताक्षर करेंगे और एक बंद लिफाफे में डाल कर, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, निविदा बक्स में डाल देंगे । इसके लिए उप संविदा विभागाध्यक्ष को एक, एकनिष्ठ, फेक्स / वैयक्तिकृत ई-मेल आईडी बना कर रखनी चाहिए ।

7.3.7. निविदाएँ वित्त और उप संविदा विभाग के प्रतिनिधियों से बनी निविदा खोलने वाली समिति द्वारा खोली जाएंगी । तुलनात्मक विवरण उप संविदा विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे । कुल लागत बीईएल के हिसाब में रखते हुए मूल्यांकित एल-1 निर्धारित किया जाएगा ।

7.3.7.1 ++ यदि निम्न शर्तें पूरी नहीं होती हैं, क्रय–प्राथमिकता, एम एस ई के लिए अपनाई जा सकती है ।

1. एल-1 विक्रेता एमएसई (माइक्रो एवं स्माल) है ।
2. विक्रेता गण, एल-1 के अलावा, एमएसई (माइक्रो एवं स्माल) है ।
3. एमएसई विक्रेता द्वारा दी गई कीमत, एल-1 + एल-1 का 15% के भीतर हैं ।

क्रय प्राथमिकता - यदि एम एस ई विक्रेता एल-1 मूल्य के साथ मेल खाता है,तो एम एस ई विक्रेता को आर्डर कि कुल मात्रा के 20% का आर्डर दिया जा सकता है । यदि आर्डर - मात्रा का 20% आंशिक (अपूर्ण) है, तो निम्नतर पूर्ण संख्या (मात्रा) रखी जा सकती है । यदि एमएसई विक्रेतागण, मात्रा या एल-1 मूल्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो 100% आर्डर एल-1 विक्रेता को दिया जा सकता है । यदि एक से अधिक एम एस ई, एल-1 + एल-1 का 15% के दायरे में हैं, तो ऐसे सभी एमएसई, को अवसर दिया जाएगा और मात्रा आनुपातिक तरीके से विभाजित कि जाएगी (बशर्ते, आर्डर – मात्रा इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त हो) ।

इसके अलावा , समस्त आरएफ़क्यू में निम्न मूल शर्त (निबंधन) शामिल होगी ।

सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार, 20 % आर्डर - मात्रा एम एस ई को दी जाएगी । गैर-एमएसईएल-1 विक्रेता को आर एफ़ क्यू का 80 % आर्डर स्वीकार करना होगा । यदि आप एम एस एम ई हो, तथा अभी तक बीईएल में आपने अपने प्रत्यय - पत्र पंजीकृत नहीं कराए हैं, तो कृपया url;webportal.bel.co.in/supplier-payinfo/msmereg तथा अपने एमएसएमई प्रत्यय – पत्र अपलोड करें ।

(++ (दिनांक 22.1.2016 के का.आ. सं. प्रका/591/028 द्वारा जोड़ा गया)

7.3.8. ऐसी स्थिति में जब सीमित निविदा - इंकवारियाँ की अनुक्रिया में एकल आवेदन आता है, सामान्यत: निविदा पुन: निकली जानी चाहिए । यदि किसी आपातिक स्थिति अथवा अन्य कारणों से (कारण रिक ।र्ड किया जाना है) आवश्यक है, तो पुन: निविदा न निकालने का प्रस्ताव किया जाता है, तो इस मामले को पैरा 7.3-9 के अंतर्गत माना जाएगा ।

7.3.9 ऐसी स्थिति में जब तात्कालिक आवश्यकता के चलते उप संविदा विभागाध्यक्ष केवल एक जगह से संपर्क करने अथवा पैरा 7.3-5 में यथा- विहित अवधि से कम अवधि के लिए नोटिस देने का प्रस्ताव करता है, उप संविदा विभागाध्यक्ष तात्कालिक आवश्यकता का कारण रिक ।र्ड करते हु एतथा किसी विशिष्ट स्रोत के चयन हेतु, मांगकर्ता प्रभागाध्यक्ष से एक प्रमाण पत्र हासिल करेगा ।

7.3.10 आर्डर जारी करने से पहले, पार्टियों से प्राप्त अनुक्रियाओं को मूल्यों की तर्क संगतता - जांच की वास्ते आईईडी/मांग कर्ता को प्रेषित किया जाएगा ।

7.4. निविदा कृत आइटमों के संबंध में मूल्य वार्ता

7.4.1 ऐसी स्थिति में जब प्राप्त हु आ निम्नतम प्रस्ताव अनुमानित दर से अधिक है, इस पर एक मूल्य वार्ताकरी समिति - जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप-संविदा विभाग, उत्पादन नियंत्रण, वित्त, आईईडी/एमएस तथा मांगकर्ता (उत्पादन नियंत्रण से अलग मामलों मे) के प्रतिनिधियों को लेकर गठित किया जाएगा, द्वारा वार्ता की जाएगी । समिति की अध्यक्षता, उप-संविदा विभाग, उत्पादन नियंत्रण, वित्त, आईईडी तथा मांगकर्ता (उत्पादन नियंत्रण से अलग मामलों मे) विभागों के सदस्य - प्रतिनिधियों में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी । वार्ता केवल निम्नतम निविदा दाता (एल-1) के साथ होगी । वार्ता में निश्चित कीमत पैरा 6.1 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जानी है । यदि निविदा के विरुद्ध अनुक्रिया अपर्याप्त लगती है, अथवा वार्ताओं के परिणाम संतोष-प्रद नहीं होते हैं या किसी मिली भगत का संदेह होता है, तो समिति सावधानी पूर्वक पुन: निविदा के विकल्प पर विचार करेगी और पुन: निविदा के मामले में संबोधित की जाने वाली पार्टियों की सूची को भी अंतिम रूप देगी ।

7.4.2 एल-1 के साथ वार्ता करते समय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) द्वारा जारी निम्न दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा-

I) एक अपवाद के तौर पर तथा सं ।पत्तिक आइटमों के मामलों में अथवा सप्लाई के स्रोत सीमित होने की स्थिति में, वार्ता केवल एल-1 के साथ की जाएगी । विक्रेता को प्रति –प्रस्ताव पर भी वार्ता की जाएगी ।

II) वार्ताएं पर्याप्त सोच विचार और वार्ताओं को न्याय संगत ठ्ह राने हेतु वैध व तर्क संगत कारण रिक ।र्ड करने का बाद की जाएगी । यदि वार्ताओं के चलते आर्डर प्रेषण में अनावश्यक देरी होती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी वार्ताओं के सिफ़ारिश करने वाली समिति पर होगी । समिति को अपेक्षित परिणाम हासिल करने में असमर्थ होने की स्थिति में स्पष्टीकरणों को भी रिकार्ड करना चाहिए ।

III) संविदा दिए जाने हेतु अनुमोदन में , सिफ़ारिशें प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए । उच्चतर स्तरों से अनुमोदन कार्य में प्रत्येक स्तर के हिसाब से 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है । समग्र समय –अवधि, निविदा की वैध अवधि के अंदर होनी चाहिए ।

IV) यदि एल-1 हट जाता है, शेष बचे विक्रेताओं को पुन: निविदा दी जानी चाहिए और यदि समय पर्याप्त को तो कुछ अतिरिक्त विक्रेता भी शामिल किए जाने चाहिए ।

7. 5 . सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / लघु स्तरीय क्षेत्र / स्वदेशी आपूर्ति कारों को मूल्य – प्राथमिकता

क्रय संबंधी निर्णय लेते समय विशिष्ट क्षेत्र के आपूर्ति कारों के लिए , भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी, मूल्य – प्राथमिकता दिए जाने संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

7. 5 .1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सी पी एस ई) के लिए क्रय प्राथमिकता दिए जाने पर सरकारी दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं । ध्यान देने की बात है कि पश्च निविदा –वार्तालाप पर प्रतिबंध का अर्थ यह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र को मूल्य – प्राथमिकता दिए जाने संबंधी भारत सरकार की नीति को लागू नहीं किया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में लागू भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, एल-1 न होते हुए भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएस ई) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

7. 5 .2 किसी भी परिस्थिति में,अधिक लागत की सामग्री लेने अथवा अनुपयुक्त खरीददारी की लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएस ई) को किसी ढाल या वाहिका (मार्ग) के तौर पर नही होना चाहिए । ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करने से पहले आर्थिक और दूसरे तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए ।

8. 0 उप संविदा/ सेवा आदेश

8.1 उप संविदा/ सेवा आदेश मे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराये गए (चित्र 6 देखे) उपभोज्य सामग्री समेत, पार्ट सं., विवरण / विनिर्देश, ड्राइंग के इश्यू नम्बर, मूल्य, सुपुर्दगी अनुसूची, विक्री आदेश नम्बर, और सामग्री के बिलों का स्पष्ट ब्योरा दिया जायगा । इसमें वापस किये जाने के आधार पर सप्लाई किए गए टूल्स , निरीक्षण गेज़, मेचिंग पार्ट्स, प्रोटो मोडलो का स्पष्ट ब्योरा भी सार्वजनिक दिया जायगा । भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री के संबंध में, उत्पादन नियंत्रण विभाग प्रत्येक आइटम के निष्पादन हेतु अपेक्षित सामग्री और उसकी मात्रा निर्धारित करेगा तथा कटिंग और मशीनिंग भत्ता का उल्लेख करते हुए सामग्री का मानक बिल तैयार करेगा ।

जब कभी उप संविदाकार कुछ उपभोज्य सामग्री व अन्य सामग्रियों (जिन्हें मूलत:उसके द्वारा खरीदा जाना था) के लिए अनुरोध करता है, इन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के लिए इनकी लागत और इनके लिए संविदाकर द्वारा लगाई गयी कीमत, जो भी उच्चतर हो, को ध्यान मे रखते हुए उपयुक्त दर में कमी के आधार पर , बगैर किसी प्रभार के, जारी किया जा सकता है । आर्डर में यथानुसार सशोधन किया जा सकता है । बी ओ एम में बगैर किसी प्रभार के , के आधार पर जारी सामग्री निविदा फार्म/ इंकवायरी का एक हिस्सा होगी ।

8.2 असेबली कार्यों के लिए उप संविदाकारों को निश्चित मात्रा में सामग्री जारी की जायगी । आर्डर पूरा करने में किसी देरी से बचाव के लिए,जहां तक संभव हो , अनुरूपयोजी मात्रा में सामग्री (किट प्रमोचन) जारी की जायगी ।

8.3 उप संविदा/ क्रय आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायगा कि सृजित स्क्रेप को विक्रेता वापस करेगा अथवा स्क्रेप सामग्री को वापस करने कि आवश्यकता नहीं है , इतना पर्याप्त होगा कि औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वर्तमान दर पर अनुमानित कीमत, विक्रेता से श्रम प्रभार के तौर पर राशि में से काट ली जायगी ।

9.0 बैंक गारंटी एवं बीमा

9.1 सामान्य बैंक गारंटी

उप संविदा विभाग सूचीबद्ध विक्रेताओं से निम्न विवरणों के अनुसार (संलग्नक -6) अनुसूचित बैंकों की सामान्य बैंक गारंटी , वार्षिक नवीकरण के आधार पर हासिल करेगा ।

उप संविदा/ सेवा आदेशो के तहत सामग्री की कीमत (प्रति वर्ष)	बैंक गारंटी की कीमत	
	इलेक्ट्रॉनिक असेंबली विक्रेता	संविरचक
रुपए	रुपए	रुपए

1,00,000 तक	10,000	10,000
100001 से 3,00,000	20,000	20,000
3,00,001 से 10,00,000	30,000	20,000
10,00,001 से अधिक	50,000	20,000

क्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को रखने कीमुख्य ज़िम्मेदारी बेंगलुरु कांप्लेक्स के मामले में केंद्रीय उप संविदा विभाग तथा अन्य यूनिटों के मामले में संबंधित उप संविदा विभागों की होगी , जबकि इसके अनुवीक्षण की कीमुख्य ज़िम्मेदारी वित्त विभाग की होगी ।

टिप्पणी –

सामग्री की कीमत में मूल लागत और ऊपरी खर्च शामिल होंगे । बैंक गारंटी को निर्धारित करते समय इसमें सामग्री की कीमत के साथ टूल्स की लागत और वापस किए जाने के आधार पर सप्लाई किए गए प्रोटो मॉडल की लागत भी शामिल की जानी चाहिए ।

9.2 अग्रिम के लिए बैंक गारंटी उप संविदा विभाग संलग्नक -7 के अनुसार विकास कार्य , संरचना /टूल्स का विकास,विशेष परीक्षण उपस्कर की खरीद और कच्चा माल की खरीद के लिए दिये गए अग्रिमों के बराबर राशि के लिए, विक्रेता से बैंक गारंटी (अनुसूचितबैंकों से) हासिल करेगा ।

9.3 बीमा कवरेज यदि किसी समय विक्रेता कों नि:शुल्क सप्लाई की गई सामग्री की कीमत 2,00,000/- से अधिक होती है, तो उप संविदा विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विक्रेता आग , चोरी और सेंधमारी , बाढ़, भूकंप, विस्फोट, दंगे,हड़ताल,विद्वेष से की गई क्षति, टकराने से हुई क्षति, उप संविदाकार की गैर निष्ठा आदि जैसे जोखिमों के लिए : बीमा कवरेज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और विक्रेता दोनों के संयुक्त नामों से कराता है । तैयार आईटमे सुपुर्दकर दिये जाने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा प्रीमियम की राशि की प्रतिपूर्ति विक्रेता को करदी जायगी ।

टिप्पणी - बेंगलुरु कांप्लेक्स की आनुषंगिक यूनिटों को पैरा 9:1 के संबंध में बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है, तथापि, पैरा 9.2 एवं 9.3 के संबंध में उनसे बैंक गारंटी/बीमा लिया जाना है ।

10.0 सामग्री जारी करने और प्राप्त करने का लेखा जोखा

10.1 उप संविदाकारों को जारी की जाने वाली सामग्री की पुलसूची उप संविदा विभाग द्वारा एसएपी (ZMM 010 से)ली जायगी । सामग्री ठीक उतनी मात्रा में जारी की जायगी जितनी सामग्री के बिल में अंकित होगी । सामग्री के आहरण की प्रणाली निम्न मामलों में लागू होगी -

क) संविरचित आइटमों के लिए जारी समस्त कच्चे माल के लिए ।

ख) इलेक्ट्रोनिक असेंबली कार्यों- जिनमें केबल फार्म, पीसीबी असेंबली, सब असेंबली और उपस्कर शामिल हैं, के लिए जारी समस्त परचेज उपकरणों मेल खाती मात्र । में सामग्री जारी करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि तैयार आइटमें बिना देरी के प्राप्त हो सकें ।

टिप्पणी - ऐसी स्थिति में जब 'इन हाउस' विनिर्माण कार्यों के लिए किसी बिक्री आर्डर के विरुद्ध अहरित समग्रिओं, जिन्हें शॉप फ्लोर में लोड - परिस्थितियों के कारण,उप संविदा पर दिया जाता है, पहले इन्हें स्टोर को वापस किया जायगा और तब पुलसूची केई विरुद्ध आहरित करके उप संविदाकार को दिया जायगा ।ऐसे मामलों में ,एक समेकित स्टोर रिटर्न नोट तथा एक समेकित पुलसूचीका उपयोग किया जा सकता है । उप संविदा के लिए पुलसूचीकरण।

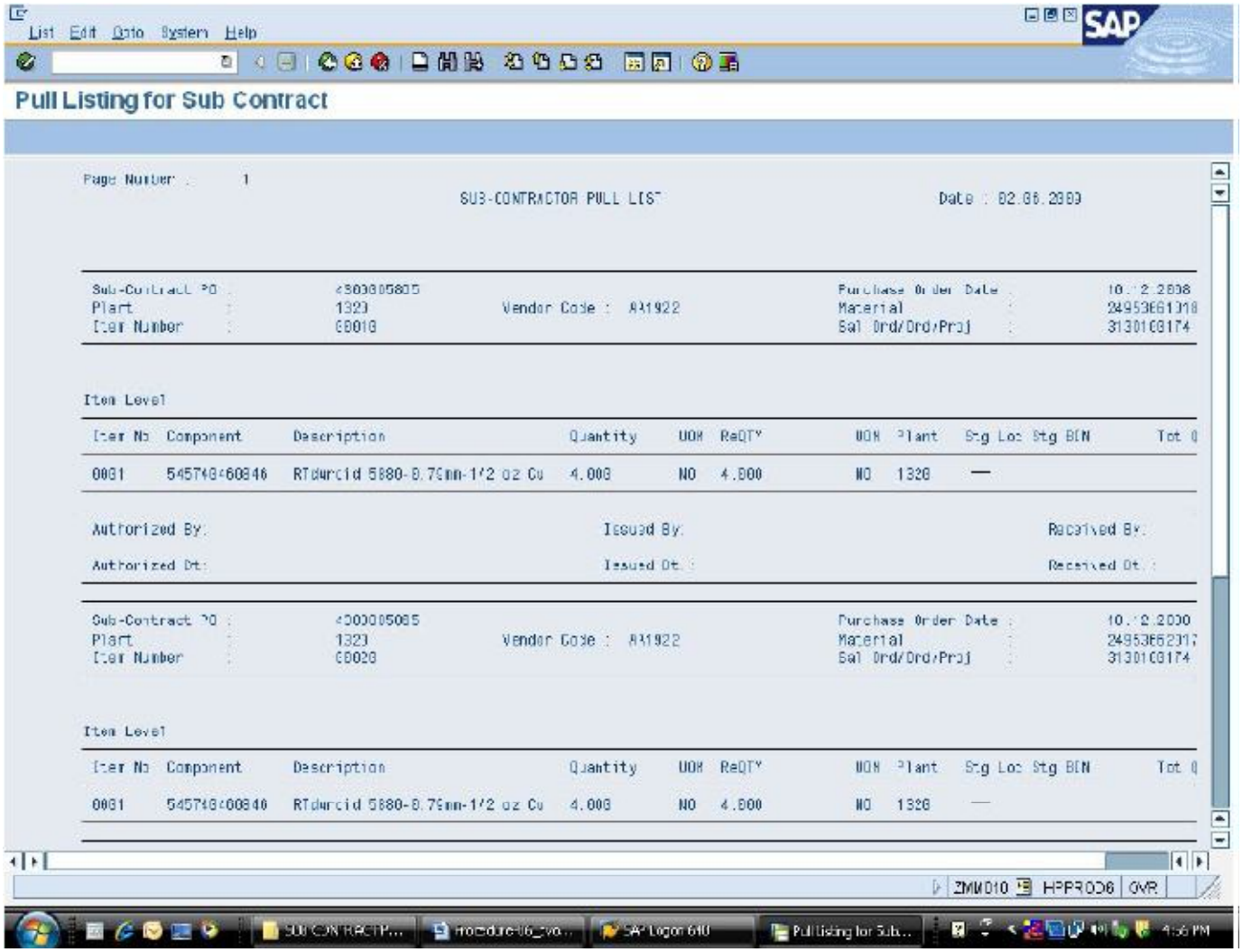

चित्र 8 पुलसूची

10.2 प्लेटिंग,पैंटिंग,ऊष्मा उपचार,जस्तीकरण और किसी प्रकार के माध्यमवर्ती प्रचालन जैसे कार्यों के लिए सामान्य क्रय आर्डर दिया जायगा सामान्य क्रय आर्डरके मामले में अपूर्ण तैयार आइटमें शॉप फ्लोर से उप संविदाकारों को जाती हैं । शॉप फ्लोर से भेजी गई तथा उप संविदाकारों से प्राप्त हुई आइटमों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए उप संविदा विभाग द्वारा एक अद्यतन रजिस्टर रखा जायगा जो किसी भी समय सत्यापन के लिए उपलब्ध होगा ।

10.3 उप संविदाकारों से वापस प्राप्त हुईतैयार आइटमों के संबंध में , किसी आइटमों के सबंध में जानकारी, किसी क्रय आर्डर के विरुद्ध एस ए पी से ली जा सकती है,जैसा की नीचे दर्शाया गया है

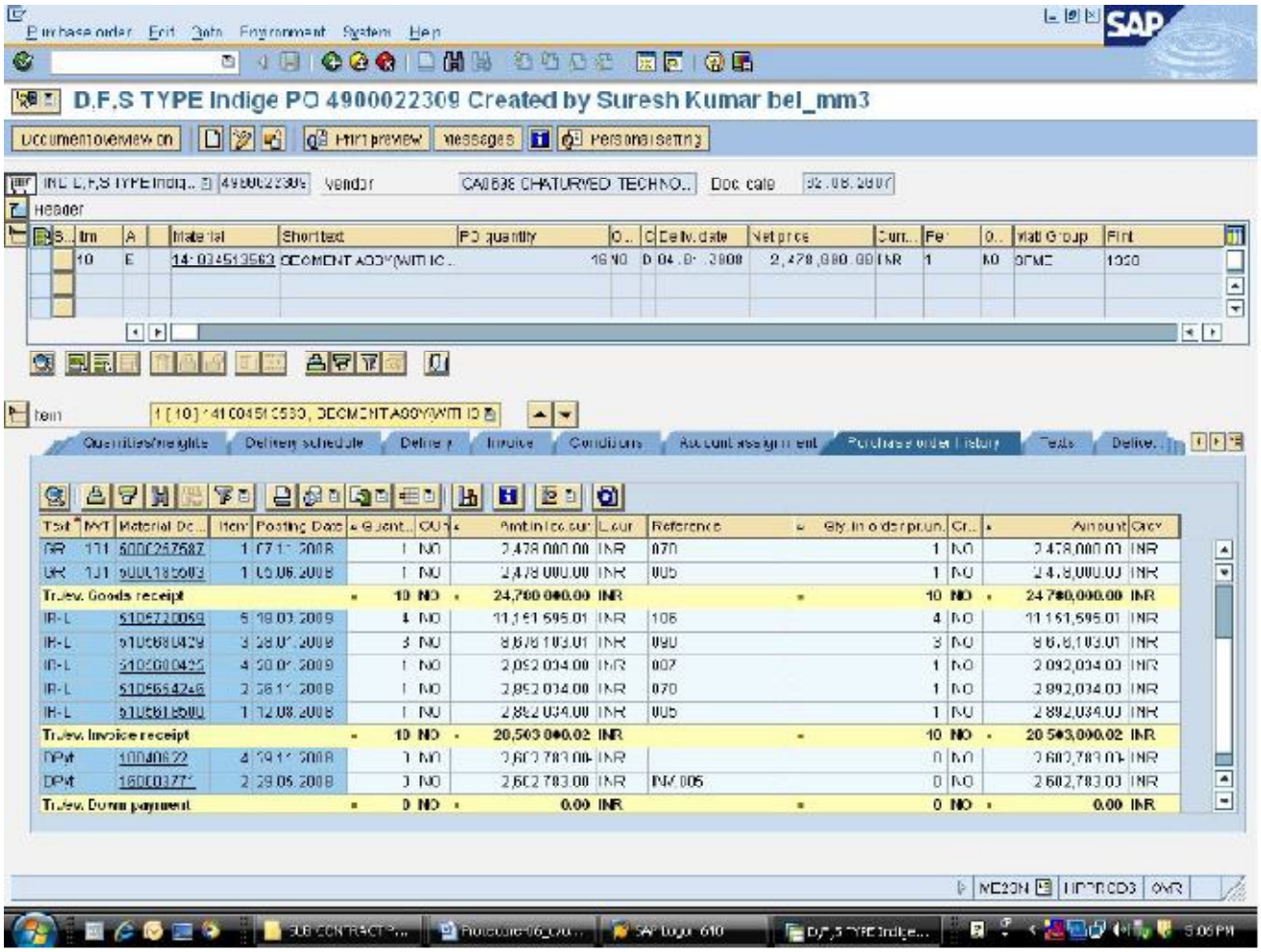

चित्र 9 क्रय आर्डर का इतिहास

10 .4 उप संविदाकारों को सामग्री दिये जाने और बी ई एल में उनसे वापस प्राप्त होनेका लेखा प्रारूप उप संविदाकार विभाग द्वारा प्रचलित उत्पाद शुल्क और सी ए एन वी ए टी नियमों के अनुसार रखा जायगा ।

11.0 सामग्री का प्रेषण

11.1 स्थानीय प्रेषण

उप संविदा विभाग उप संविदाकारों को ज़ेडआईजीपी001 और ज़ेडआईजी पी 007 के उपयोग द्वारा सृजित उत्पाद शुल्क सामग्री गेटपास के साथ सामग्री सुपुर्द किए जाने की व्यवस्था करेगा । तदनुसार उप संविदाकारों से पावती ली जानी चाहिए ।

11. 2 बाहरी स्थानों को प्रेषण

उप संविदा विभाग पुलसूची के विरुद्ध जारी सामग्री, ज़ेडआईजीपी 001 और ज़ेडआईजीपी 007 के उपयोग द्वारा सृजित उत्पाद शुल्क सामग्री गेटपास के साथ, आगे भेजने के लिए सामग्री प्रभाग के शिपिंग /ट्रांज़िट अनुभाग को अग्रेषित करेगा । शिपिंग /ट्रांज़िट अनुभाग पेकिंग एवं सुपुर्दगी परामर्श नोट की एक प्रति सप्लायर से पावती के लिए उप संविदा विभाग को भेजेगा । उप संविदा विभाग उत्पाद शुल्क से संबन्धित रिकार्ड रखेगा ।

12.0 सामग्री की प्राप्ति

12.1 उप-संविदा विभाग जारी की गयी सामग्री की मात्रा, उप संविदाकारों के पास पड़ी सामग्री,वापस की गयी,वापस होने वाली,सामग्री की समीक्षा व नियंत्रण, एसएपी लेनदेन कोड एमबीएलबी और एमई20 अथवाज़ेडआईपीपी 011 अथवा ज़ेडएमएम 040 के उपयोग द्वारा करेगा । इस संबंध मे एक रिपोर्ट 6 महीने में एक बार (30 सितम्बर और 31 मार्च को)मांगकर्ता प्रभाग के उत्पादन अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायगी ।

12.2 उप संविदा विभाग वर्ष में एक बार 31 मार्च को प्रत्येक विक्रेता से, उसके पास पड़ी आर्डर के अनुसार सामग्री की मात्रा की पावती का प्रमाणपत्र (संलग्नक 8)हासिल करेगा ।

टिप्पणी - एसएपी कार्यप्रणाली के अंतर्गत, आर्डर के विरुद्ध नि:शुल्क जारी की गई सामग्री, ज़ेडएमएम 090/ ज़ेडएमएम 008 का उपयोग करके, विक्रेता स्टॉक में भेजी जायगी (विक्रेता - अवस्थिति को आरएम स्टोरेज के तौर पर माना जायगा) । जैसे ही सप्लाई प्राप्त होती है और समान की प्राप्ति रसीद (जीआर) तैयार की जाती है,प्राप्त सप्लाई के अनुसारनि:शुल्क जारी किये गए सामाग्री स्टाक की गणना की जायगी और प्राप्त हुई व विक्रेता के पास बची सामग्री का दैनिक आधार पर अनुवीक्षण एमई 20/एमबीएलबी लेनदेन का इस्तेमाल करके किया जायगा । इस रिपोर्ट के आधार पर, उप संविदा विभाग प्रत्येक विक्रेता से, उनके पास पड़ी सामग्री की आर्डर वार मात्रा की पावती का प्रमाणपत्र वर्ष में एक बार 31 मार्च को हासिल करेगा ।

13.0 निरीक्षण एवं आहरण -

उप संविदाकारों से प्राप्त हुई सप्लाई संबन्धित एसबीयू भंडार के सुपुर्दकर दी जायगी। प्रभागीय आईजी भंडार आवश्यक जीआर (एमआईजीओ का उपयोग करें) तैयार करेगा तथा आगे निरीक्षण की व्यवस्था करेगा । निरीक्षण और स्वीकृति के उपरांत आइटम प्रभागीय / विभागीय स्टोरों को सौंप दिया जायगा । इसके उपरांत

क) जीआर के तहत स्वीकृत आइटम एसएपी सृजित एसआर द्वारा आहरित किए जायेंगे ।

ख) सामान्य क्रय आर्डेरों के अंतर्गत स्वीकृत आइटमें, आईजी द्वारा स्वीकृत सेवा कार्य - मात्रा तक एमएल 81 एन का उपयोग करके,सेवा एंट्री शीट तैयार की जायगी ।

जीआर तथा सेवा एंट्री शीट का नमूना नीचे दर्शाया गया है

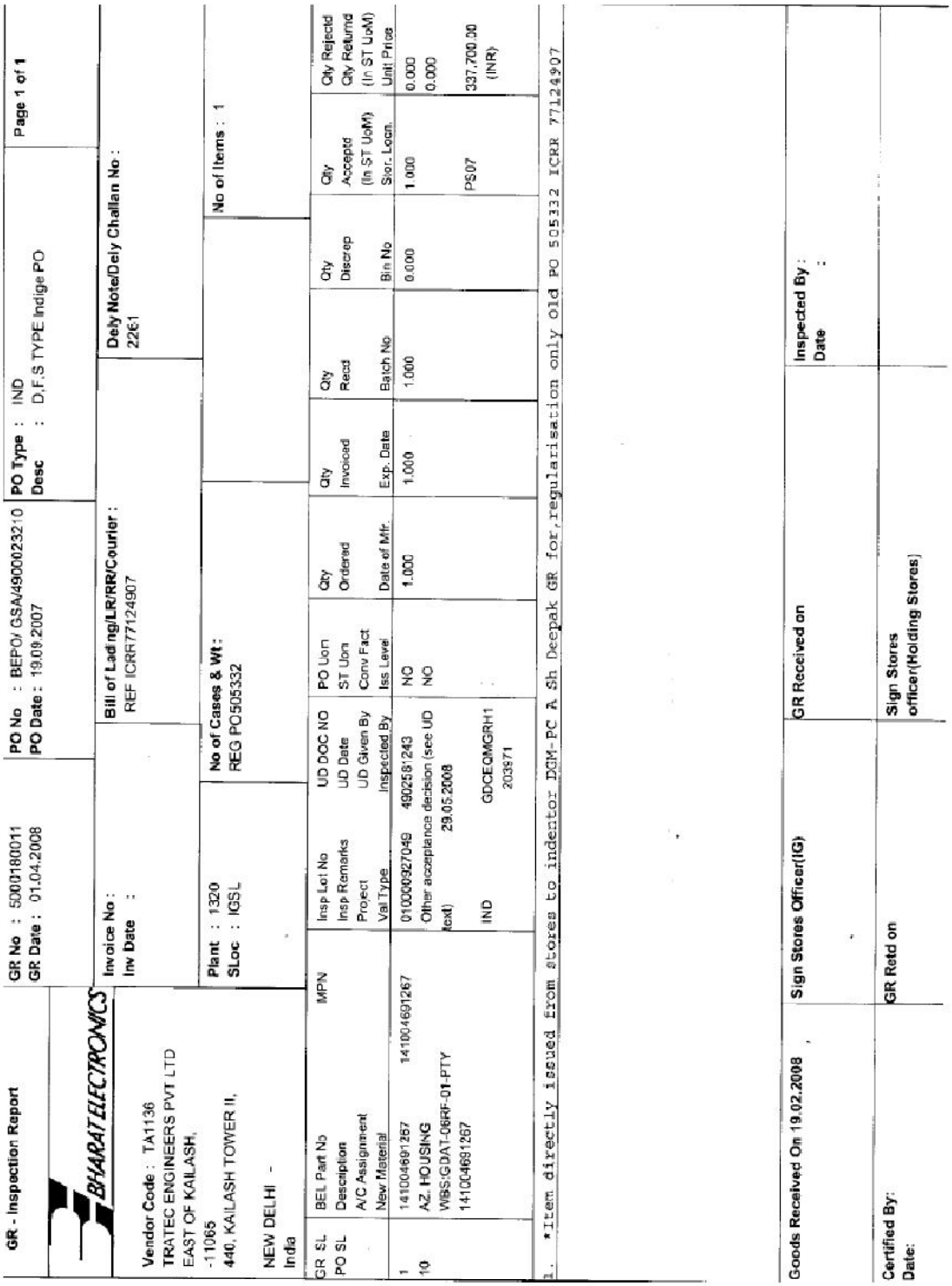

GR - Inspection Report	GR No : 5000180011 GR Date : 01.04.2008	PO No : BEPO/ GSA/4900023210 PO Date : 19.09.2007	PO Type : IND Desc : D,F,S TYPE Indige PO	Page 1 of 1
BHARAT ELECTRONICS Vendor Code : TA1136 TRATEC ENGINEERS PVT LTD EAST OF KAILASH, -11065 440, KAILASH TOWER II, NEW DELHI - India	Invoice No : Inv Date :	Bill of Lading/LR/RR/Courier : REF ICRR77124907	Dely Note/Dely Challan No : 2261	
	Plant : 1320 SLoc : IGSL	No of Cases & Wt : REG PO505332		No of Items : 1

GR SL PO SL	BEL Part No Description A/C Assignment New Material	MPN	Insp Lot No Insp Remarks Project Val Type	UD DOC NO UD Date UD Given By Inspected By	PO Uom ST Uom Conv Fact Iss Level	Qty Ordered Date of Mfr.	Qty Invoiced Exp. Date	Qty Recd Batch No	Qty Discrep Bin No	Qty Acceptd (In ST UoM) Stor. Locn.	Qty Rejectd Qty Returnd (In ST UoM) Unit Price
1 10	141004691267 AZ. HOUSING WBS:GDAT-06RF-01-PTY 141004691267	141004691267	010000927049 Other acceptance decision (see UD text) IND	4902581243 29.05.2008 GDCEQMGRH1 203971	NO NO	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000 PS07	0.000 0.000 337,700.00 (INR)

1. *Item directly issued from stores to indentor DGM-PC A Sh Deepak GR for,regularisation only Old PO 505332 ICRR 77124907

Goods Received On 19.02.2008	Sign Stores Officer(IG)	GR Received on	Inspected By : Date :
Certified By: Date:	GR Retd on	Sign Stores officer(Holding Stores)	

चित्र 9 - जीआर - निरीक्षण रिपोर्ट

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

Company
SATYAM PRECISION COMPONENTS PVT LTD
40A/10, SITE-4, INDL AREA,

GHAZIABAD

Entry Sheet for Services Performed

Number/Date
1000046438 / 02.06.2009
Purchase order item/Date
4700015118/10 / 22.05.2009
nachining by wire cutting
Your vendor number with us
SA3192

ITEM IS O.K.&NO MAT PENDING WITH VENDOR REF : 1/42 DT 1.6.09

Service Entry line Service Item	Description OrdQty	BillQty	Unit	UnitpriceINR	Net Val. INR
10 00010	241452330160 6.000	€	NO	600.00	3,500.00
20 00010	241452340151 6.000	€	NO	525.00	3,150.00
		Total value :INR			6,750.00

Approved By

Signature

चित्र - 10 सेवा एंट्री शीट

14.0 सामग्री लागत की वसूली

जब उप संविदाकारों को नि:शुल्क आधार पर सामग्री, विनिर्मित पार्ट्स, उपकरण व उपभोज्य जारी किए जाते हैं, उप संविदा अध्यक्ष उन सभी मामलों - जहां तैयार उत्पाद के रूप में अथवा आर्डर पूरा होते समय मूल सामग्री के रुप में, पूरी सामग्री लौटाई नहीं गई है, केआई समीक्षा करेंगे । एसे मामलों को निम्न प्रकार वसूली - कार्रवाई के लिए श्रेणीबद्ध किया जायगा ।

14.1 कीमत पर आधारित थोड़ी कमी के साथ पूर्ण किए गए आर्डर

क्रय आर्डेरो का, तर्कसंगत कारणों से,थोड़े समय पहले बंद किए जाने का कोई मामला अनुमोदन के लिए यूनिट अध्यक्ष /एसबीयू अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायगा ।

14.2 जहां बीईएल द्वारा दोष पूर्ण सामग्री सप्लाई किए जाना,अथवा गलत अनुदेश, कार्य आंशिक या पूरी तरह पूर्ण हो जाने के उपरांत सूचित संशोधन के कारण पूरी सप्लाई अस्वीकृत कर दी गई है ।

ऐसे मामलों मेंकोई वसूली नहीं की जायगी, किन्तु उत्पादन नियंत्रण के अध्यक्ष से परामर्श और वित्त विभाग की सहमति के साथ उप संविदा विभाग के प्रमुख से परामर्श करके यूनिट प्रमुख / एसबीयू प्रमुख के अनुमोदन लेकर, संबन्धित उत्पादन वर्क आर्डर में समायोजित किया जायगा । दोष पूर्ण सामग्री सप्लाई किए जाने ,अथवा गलत अनुदेश के मामले में उपयुक्त कार्रवाई हेतु ज़िम्मेदारी निर्धारित करने के लिए,एक आंतरिक इंक्वायरी आयोजित की जानी चाहिए ।

14.3 जहां पूरी सप्लाई पूरी तरह अस्वीकृत कर दी गई है ।

एसे मामले में,बैंक गारंटी जब्त किए जाने के साथ, सामाग्री लेखा के परामर्श पर,वर्तमान क्रय मूल्य तथा पाँच प्रतिशत राशि, उप संविदाकार से वसूली जायगी ।

14.4 सामाग्री खोये जाने की स्थिति में,मामला सामाग्री को बिक्री आधार पर जारी किया गया माना जायगा और तदनुसार वसूली की जानी चाहिए ।

14.5 जहाँ उप संविदाकार द्वारा सामग्री का दुर्विनियोजन क्या गया है और जहाँ उप संविदाकार आर्डर को पूरा करने प्रयास करने में भी असफल रहा है, तथा उसे दी गई सामाग्री भी वापस नहीं कर रहा है -

एसे मामलों में सामग्री को बिक्री आधार पर जारी किया गया माना जायगा और तदनुसार वसूली की जानी चाहिए ।इसके अलावा विक्रेता के खिलाफ निम्न कार्रवाइयां की जानी चाहिए -

I. बैंक गारंटी जब्त किया जाना
II. विक्रेता के व्यापार पर रोक लगाना
III. दुर्विनियोजन के लिए पुलिस में एफ़आईआर दर्ज कराना

14.6 उपरोक्त सभी मामलों में उप संविदा विभाग द्वारा उप संविदाकार के पास शेष पड़े कच्चे माल की मात्रा,जसके लिए वसूली - कीमत निश्चित की जानी है,बताई जानी चाहिए । वित्त विभाग उप संविदाकारों से संबन्धित नियमों के तहत,वसूल की जाने वाली कीमत निश्चित करेगा। वित्त विभाग स्वीकृत सामान्य प्रिविष्टियाँ, डेबिट कोड हैड 584 (उप संविदाकारों को जारी की गई सामग्री-वसूलनीय) और जमा हेतु कोड हैड 507 (उप संविदाकारों को नि:शुल्क जारी की गई सामग्री) के साथ मासिक समेकित परामर्श, वसूली के लिए, बिल्स पेयबल को भेजेगा, ताकि उप संविदाकार के बहीखाते में संबन्धित अवशिष्ट राशि का निपटान किया जा सके । इस परामर्श की एक प्रति उप संविदा विभाग को भेजी जानी चाहिए ।

15.0 भुगतान - निबंधन (शर्तें)

15.1 अग्रिम का भुगतान

क्रय आर्डर के साथ अथवा बीच में, अग्रिम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। आपवादिक परिस्थितियों में, यदि कोई सप्लायर एसे अग्रिम का भुगतान के लिए ज़ोर देता है, तो अनुसिचित बेंकों से संलग्नक 7 के अनुसार,बैंक गारंटी के विरुद्ध, परिपत्र संख्या 18281/99/010-001 दिनांक 28.2.2007, 18281/99/010 - 009, दिनांक 17.7.2008, 18281/99/010 -006, दिनांक 22.4.2009, (संलग्नक 7 ए), के माध्यम से प्रबंधन द्वारा जारी ,समय समय पर यथा संशोधित, दिशा निर्देशो के अनुसार दिया जा सकता है ।

15.2 फाइनल भुगतान - स्वीकृत मात्र के लिए 100% भुगतान,सामग्री प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर,किया जायगा ।30 दिन की अवधि में जीआर तैयारियां, निरीक्षण, यूडी(उपयोग निर्णय) और भुगतान शामिल हैं। फाइनल भुगतान स्वीकृत मात्रा के लिए, केवल सुपुर्दगी और , निरीक्षण के बाद, किन्तु, केवल सुपुर्दगी पर नहीं, होगा ।

15.3 स्वीकृत टूल्स के संबंध में, टूल-लागत, यदि कोई है,का भुगतान बीईएल निरीक्षण द्वारा फर्स्ट-ऑफ सेंपल स्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जायगा ।

15.4 सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योग , इन विक्रेताओं को बीईएल विक्रेता मास्टर में यथानुसार वर्गीकृत किया जायगा। विक्रेताओं से प्राप्त अनुरोधों संवीक्षा और वर्गीकरण मानक विभाग द्वारा की जायगी तथा विक्रेता मास्टरसूची में तदनुसार उपयुक्त फ्लेग लगाए जायंगे । स्टोर भाग निर्धारित समय में सामग्री का निरीक्षण करेगा । स्वीकृति और भुगतान में विलंब से ब्याज व जुर्माना लगाया जा सकता है । माल अस्वीकृत होने के मामले में, स्टोर प्रभाग विक्रेता को तत्काल सूचित करेगा । वित्त विभाग सुनिश्चित करेगा कि भुगतान देय तारीखों तक कर दिया जाता है ।

15.5 उप संविदा विभाग प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में निपटाई गई जीआर कि सूची तैयार करेगा और उसे सत्यापन व भुगतान व्यवस्था हेतु वित्त विभाग को अग्रेषित करेगा (रिपोर्ट के लिए यूएसई क्यूए33) । वित्त विभाग सामग्री प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर न किए गए भुगतानों को अद्यतन करने के लिए एफ़ बी एल एल एन /ज़ेड एफ़ आई एम 023 रिपोर्टों का उपयोग करके,बिल क्लियरिंग - स्थिति कि समीक्षा करेगा । सामग्री प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर भुगतान न किए गए बिलों कि फाइनल रिपोर्ट,समीक्षा और कार्रवाई के लिए, बिल लंबित रहने व स्थिति का हवाला देते हुए, प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में, यूनिट /एसबीयू प्रमुख को भेजी जायगी ।

15.6 प्राथमिकता, भुगतान के ईसीएस/ईएफ़टी/आरटीजीएस तरीकों को दी जानी चाहिए ।

16. 0 टूलिंग

16.1 विशेष टूल्स, जिनकी लागत का भुगतान बी ई एल द्वारा किया गया है, बी ई एल की संपत्ति होंगे । उप संविदाकार द्वारा इंका उपयोग केवल बीईएल के आर्डरों के लिए किया जायगा ।

16.2 एसे विशेष टूल्स, जिनकी लागत का भुगतान बीईएल द्वारा किया गया है, और वे उप संविदाकारों के पास हैं, के संबंध में एक सांख्यकीय रखा जायगा और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जायगा । इस निर्देशिका को तिमाही में एक बार, अन्य प्रभागों / यूनिटों में परिचालित किया जायगा ताकि, डुप्लीकेट, यदि कोई है, होने की स्थिति से बचाव हो सके ।

17. 0 उप संविदा आर्डरों की समीक्षा

17. 1 उप संविदा विभाग प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में, उप संविदा आइटमों के विनिर्माण की स्थिति तथा ट्रांजिक्षण कोड एमई2एल /एमई2एन/एमई2एम/एमई2जे का उपयोग करके, उप संविदाकार को जारी हुए और उससे प्राप्त हुए आइटमों की समीक्षा करेगा ।

टिप्पणी - क्रय आदेश आइटमों की स्थिति के अनुवीक्षण के लिए, क्रय आदेश नं, सामग्री, आइटम नं, शॉर्ट टैक्स्ट, विक्रेता, क्रय आदेश तिथि, क्रय आदेश उन्मोचन तिथि, मात्रा, सुपुर्दकी जाने वाली मात्रा, इन्वोयस की जाने वाली मात्रा, जी आर नं,यू डी कोड,ढेर का आकार, इन्वोयस की गई राशि, इन्वोयस की तिथि, इन्वोयस की संख्या, माइक्रो टैक्स्ट, विक्रेत । अग्रिम, कितनी राशि, भुगतान की गई राशि, मुद्रा, चैक नं, सी/ई तिथि आदि तथ्यों को शामिल करते हुए एक एकल रिपोर्ट का उपयोग किया जायगा ।

17.2 यूनिट/एस बी यू अध्यक्ष द्वारा नामित एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा उप संविदाकारों तथा उत्पादन नियंत्रण विभागों के साथ, उप संविदा की स्थिति और उप संविदा - गतिविधियों का निष्पादन प्रभावित करने वाले मुद्दों तथा इन मुद्दों के समाधान के लिए उपचारी कदम उठाने के लिए, एक तिमाही समीक्षा की जायगी ।

17.3 जैसे ही कोई उत्पादन/असेंबली बिक्री आर्डर पूर्ण हो जाता है इस बिक्री आर्डर से जुड़े समस्त उप संविदा आर्डरों की विशेष तौर पर समीक्षा की जानी चाहिए तथा समग्रिओन का लेखा फाइनल करने हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए ।

17.4 उप संविदा विभाग द्वारा, उप संविदाकारों के अनुसार डाटाबेस बनाया जायगा, जिसमें क्रय आदेश नं, मात्रा, कीमत, सुपुर्दगी की तारीख तथा सुपुर्दगी, अस्वीकृति की दर और संबन्धित विक्रेता की रेटिंग के हिसाब से निष्पादन को शामिल, किया जायगा ।

17.5 उप संविदा विभाग, उप संविदा के लिए नए स्रोतों - जिनकी जरूरत विक्रेता स्थापन समिति को पड़ सकती है, के संबंध मे अन्य स्थानों पर इस विषय में चल रहे नए नए विकास कार्यों पर भी निगाह रखेगा ।

18.0 उप संविदाकारों को सहायता

18.1 उप संविदाकारोंको समस्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, 5 उप संविदा विभाग, उत्पादन नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण विभागों की सहायता से, एक एजेंसी है ।

18.2 एसी स्थिति में जब किसी उप संविदा क ।र को किसी विशेष टूल / गेज़ आदि के रूप में सहायता की जरूरत है, उप संविदा विभाग उन्हें ट्रांजिक्षण कोड ज़ेड आईजीपी 001 और ज़ेड आईजीपी 007 के उपयोग द्वारा, लौटाऊ गेटपास के माध्यम से देने की व्यवस्था कर सकता है । जहां तक संभव हो, आर्डर पूरा होने के दो सप्ताह के भीतर, विशिष्ट जॉब -निष्पादन हेतु,दिए गए इन टूलों / गेज़ों की तत्काल वापसी, पर निगाह रखी जानी चाहिए । जॉब यदि बार-बार बनाए जाने वाले हैं, तो उप संविदाकारों को विशेष टूल/गेजों को खरीदने हेतु प्रेरित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

18.3 उप संविदाकारों द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत, विशेष टूल/गेजों को लौटने पर, उप संविदा विभाग एक निरीक्षण प्रमाण पत्र के साथ इन्हें प्रभागीय टूल स्टोर के सुपुर्द करेगा। किसी प्रकार की क्षति या टूल के खोये जाने पर "आईईडी एस्टीमेट / प्रभागीय टूल क्रिब परामर्श" के अनुसार, लागत की राशि वसूली जायगी ।

19.0 उप संविदा आर्डरों /रिपीट आर्डरों में संशोधन

उप संविदा आर्डरों में संशोधन वे बदलाव होते हैं जो मूल आर्डर के मज़मून में किसी तरह के बदलाव को दर्शाने के लिए किए जाते हैं ।

समान्यत: उप संविदा आर्डरों में संशोधन निम्न लिखित कारणों से होते हैं -

क) विनिर्देशों में बदलाव की आवश्यकता
ख) सुपर्दगी की तिथि बढ़ाया जाना ग)
ग) मात्रा में बदलाव
घ) भुगतान - शर्तों में बदलाव
ङ) सप्लायर के अनुरोध पर किसी दूसरे नाम का अंतरण
च) आर्डर को शॉर्ट क्लोज करने की आवश्यकता

19.1 विनिर्देशों में संशोधन

विनिर्देशों में संशोधन हेतु अनुरोध केवल मांगकर्ता अधिकारी, जिसने मूल रूप से उप संविदा को मांगकर्ता की सहमति से अनुमोदित किया था, द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि एसा करने से सामग्री की गुणवत्ता और कीमतों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।यदि बदलाव के कारण सामग्री की लागत में बदलाव होने की संभावना है,तो कीमत में उपयुक्त कमी किए जाने के लिए सप्लायर के साथ वार्ता की जानी चाहिए । क्रय आदेशो - जिन पर पहले वित्तीय सहमति ली गई थी, में किसी प्रकार के संशोधन / बदलाव करने से पहले वित्त / आई ई डी की सहमति ली जानी चाहिए ।

टिप्पणी -

1. यदि संशोधन विक्रेता द्वारा कार्य शुरू करने से पहले ही किए जा रहे हैं, तो इसे नया आइटम माना जायगा और पैरा 7.3 के अनुसार पुन: टेंडर जारी किए जाएंगे ।
2. यदि संशोधन विक्रेता द्वारा कार्य शुरू करने के बाद किए जा रहे हैं, तो इसे मूल आर्डर में बदलाव माना जायगा ।

19.2 सुपर्दगी की तिथि बढ़ाया जाना

19.2.1 सप्लायर द्वारा अनुरोध किए जाने पर, सुपर्दगी की तिथि में बदलाव करने पर विचार किया जा सकता है तथा उप संविदा को अनुमोदित करने वाले अधिकारी मांगकर्ता विभाग से परामर्श करके इस पर सहमत हो सकते हैं, बशर्ते कि, सुपर्दगी की तिथि को आगे बढ़ाने का सप्लायर का अनुरोध जायज़ कारण से हो,तथा आर्डर समय - प्राथमिकता आधार पर न दिया गया हो । साथ ही यहा भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुपर्दगी की तिथि को आगे बढ़ानेकि वजह से कंपनी पर किसी तरह का अतिरिक्त वित्तीय बोझ (सांविधिक उगाही आदि जैसे वित्तीय बोझ) नहीं पड़ेगा और सुपर्दगी की तिथि को आगे बढ़ाने के समय यह सप्लायर को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए ।

19.2.2 एसे मामलों में, जब आर्डर समय - प्राथमिकता आधार पर दिया गया हो, यदि सप्लायर के जोखिम और लागत पर सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, सुपर्दगी की तिथि को आगे बढ़ाने का सप्लायर का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । यदि यह संभव न हो परिनिर्धारित क्षति की वसूली की शर्त पर, प्रभागीय प्रमुख /यूनिट प्रमुख, जिसका स्तर ई -VII से कम न हो,के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किया जा सकता है ।

19.2.3 सुपर्दगी की तिथि घटाया जाना, सुपर्दगी की तिथि में बदलाव करने पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और जब तक ऐसा करना कंपनी के हित में न हो, समान्यत: स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । साथ ही जहां ऐसा करने में भुगतान निर्धरित तिथि से पहले किया जाना शामिल हो, अनुरोध स्वीकार करने से पहले वित्त विभाग की सहमति ली जानी चाहिए ।

19.2.4 यदि बीओएम के अनुसार उप संविदा कार को देने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है, उप संविदा प्रमुख, उत्पादन नियंत्रण के परामर्श से, सुपर्दगी की तिथि में बदलाव कर सकता है ।

19.3 मात्रा में संशोधन

उप संविदा आर्डर में, मांगकर्ता विभाग सेप्राप्त हुई अतिरिक्त आवश्यकता अथवा आर्डर की गई मात्रा में कमी को शामिल करने के लिए सप्लायर की सहमति से बदलाव किया जा सकता है। बहरहाल, आर्डर में बदलाव करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मात्रा में बढ़ोतरी किए जाने के परिणाम स्वरूप,कीमत में कमी यदि कोई होती है,का लाभ लिया जायगा । संशोधित अतिरिक्त मात्रा और रिपिटिड आर्डरों के माध्यम से आर्डर कि गई मात्रा, यदि कोई है, कुल मिला कर, मूल आर्डर की गई मात्रा के 200 % से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

19.4 **आर्डर को शॉर्ट क्लोज करने की आवश्यकता**

एसे मामलों में, जब सप्लायर के पास पड़ी अवशिष्ट सामग्री की मांग कर्ता विभाग को आगे जरूरत नहीं है, सप्लायर की सहमति से, आर्डर को पहले सप्लाई की गई और स्वीकृत मात्रा की सीमा तक शॉर्ट क्लोज किया जा सकता है। यदि कोई सप्लायर किसी आर्डर के तहत अपने पास थोड़ी मात्रा में पड़ी हुई सामग्री को सप्लाई करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो मांग कर्ता विभाग की सहमति से इसे शॉर्ट क्लोज किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसा करने से कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

20.0 केंद्रीय उप संविदा विभागकी भूमिका (बेंगलूरु काम्प्लेक्स में)

बेंगलूरु काम्प्लेक्स में एक केंद्रीय उप संविदा विभाग होगा जो किभिन्न एसबीयू उप संविदा विभागों के साथ समन्वय करके निम्न गतिविधियों के लिए उत्तरदाई होगा ।

- आनुषंगिक यूनिटों के हितों की देख रेख करना और इस संबंद में सरकार के साथ संपर्क बनाए रखना।
- प्रबंधन को प्रस्तुत करने के लिए कम्प्लेक्स में उप संविदा गतिविधियों की वार्षिक सारांश तैयार करना।
- दो वर्ष में एक बार औद्योगिक इंजीनियरिंग और वित्त विभाग के सहयोग से मानक दर निर्देशिका निकालना ।

- नए विक्रेता शामिल करना/कमजोर निष्पादन के मामले में विक्रेताओं को हटाना । विक्रेता - निर्देशिका और इसका अद्यतनीकरण तैयार करना
- पैकेजिंग, प्लेटिंग,पी सी बी आदि के लिए वार्षिक दर संविदा कार्य करना
- बिक्री कर / उत्पाद शुल्क औपचारिकताओं हेतु संपर्क कायम रखना

- विक्रेताओं को फार्म 37/फार्म "सी" जारी करना
- जनरल बैंक गारंटी का परिरक्षण और नवीकरण कराना

21.0 सामान्य निबंधन एवं शर्तें

बीईएल द्वारा जारी, उप संविदा/सर्विस आर्डरों के साथ, उप संविदा/सर्विस आर्डरों संबंधी सामान्य निबंधन एवं शर्तें, विक्रेता-सामग्री के साथ दिए गए आर्डरों के लिए संलग्नक 9, तथा बीईएल से बीओएम आर्डरों के संलग्नक 10, के अनुसार, भेजी जानी चाहिए ।

22.0 विक्रेता - रेटिंग

राष्ट्रीय विनिर्देश जे एस जी - 015-1995 के आधार पर, उप संविदा पार्ट्स के लिए, गुणवत्ता, सुपुर्दगी ट्रांजिक्षण कोड ज़ेड क्यू एम 053 का उपयोग करें) विक्रेता -रेटिंग प्रक्रिया हेतु क्रिया पद्धति अपनाई गई है।

एसबीयू / यूनिटों द्वारा गठित एक समिति एसएपी द्वारा सृजित विक्रेता - रेटिंग की समीक्षा करेगी ।

संलग्नक - 1

क्रय अनुरोध के लिए जांच सूची

पी आर नं. ---------- तिथि - ----------

पार्ट नं. _____	मात्रा _____	जारी लेवल _____
पार्ट नं. _____	मात्रा _____	जारी लेवल _____
पार्ट नं. _____	मात्रा _____	जारी लेवल _____
पार्ट नं. _____	मात्रा _____	जारी लेवल _____
पार्ट नं. _____	मात्रा _____	जारी लेवल _____

1.	क्या समस्त एम आर पी संबंधी दृष्टिकोण कायम रखे जाते हैं ।	:	☐
2.	क्या कार्य अनुसूची संबंधी दृष्टिकोण कायम रखे जाते है ।	:	☐
3.	क्या लेखाकरण संबंधी दृष्टिकोण कायम रखे जाते हैं	:	☐
4.	क्या मूल्यांकन - टाइप संबंधी दृष्टिकोण कायम रखे जाते हैं	:	☐
5.	क्या गुणवत्ता संबंधी दृष्टिकोण कायम रखे जाते हैं	:	☐
6.	क्या पी आर सही श्रेणी में तैयार की जाती है	:	☐
7.	क्या लेखाकरण सननुदेशन कायम रखे जाते हैं	:	☐
8.	क्या डीएससी/सीएससी/जीएनबी पी आर के मामलों में आइटम श्रेणी भरी जाती है	:	☐
9.	क्या जी/एल लेखा ठीक लिखा जाता है	:	☐
10.	क्या जेआई आईडी तालिका राखी जाती है	:	☐
11.	क्या पी आर अनुरोध की तिथि भरी जाती है (आइटम मात्रा /तिथि टेब)	:	☐
12.	क्या पी आर जारीकरण की तिथि भरी जाती है (आइटम मात्रा/तिथि टेब)	:	☐
13.	क्या पी आर के सभी आइटम जारी कर दिए गए हैं	:	☐
14.	क्या पी आर जारीकरण की तिथि और सुपुर्दगी की तिथि लिख दी गई है	:	☐
15.	क्या ट्रेकिंग नं फील्ड में परियोजना का नाम लिख दिया गया है	:	☐
16.	क्या अनुरोध कर्ता फील्ड में परियोजना इंजीनियर का नाम लिख दिया गया है	:	☐
17.	क्या पुनरीक्षित ड्राइंग -प्रति संलग्न है	:	☐

(आइटमों त्वरित आर्डरिंग के लिए, पीआई स्टेटस वाली ड्राइंगों के मामले में ड्राइंगों के 5 सेट संलग्न किए जाने हैं)

परियोजना इंजीनियर का नाम_____ हस्ताक्षर _____

तिथि _____

संलग्नक - 2

कोटशन हेतु अनुरोध

ध्यानार्थ -

फेक्स नं - 080-8362692

ई मेल – serendip@mantraonline.com

SI0036

संदीप एसोसिएट्स प्रा. लि.,

पीन्य इंडस्ट्रियल एरिया,

बेंगलूरू - 560058,

भारत

BHARAT ELECTRONICS

Bharat Electronics Ltd.,
Jalahalli Post,,
Bangalore Complex
Bangalore-560013
Karnataka-INDIA
Telephone : 080 22195893
Fax : 91-80-28381601
Email : subcontractmr@bel.co.in

विभाग - क्रय/बीईपीओ/एस10

हमारा संदर्भ - एमआर-एससी- 522 आपका संदर्भ -

दिनांक - 15.05.2009 दिनांक -

समाप्ती दिनांक - 20.05.2009

कृपया हमारे संदर्भ का हवाला देते हुए निम्न आइटमों के लिए सर्वोत्तम लागत मूल्य, वापसी **ई-मेल,/फेक्स/ मुहरबंद लिफाफे** के माध्यम से, प्रेषित करें

पीआर/ आरएफक्यू	लाइन आइटम	बीईएल पार्ट नं विवरण	जारी स्तर	विनिर्माता विनिर्माता पार्ट नं	मात्रा	यूनिट	सुपु. शुरू सुपु. समाप्त	मुद्रा/यूनिट मूल्य
2200730955 3100057155	1	112004099389 कंटेनर फिटिड आप	जारी-		सं	नं		

आपकी कोटशन में निम्न लिखित विवरण दिए जाने चाहिए ।

1. भुगतान की शर्तें
2. कीमत की शर्तें
3. कर्तव्य
4. कर
5. आपकी फर्म का पूरा नाम व पता
6. सुपुर्दगी अनुसूची
7. लागू मानक निबंधन व शर्तें
8. अन्य कोई शर्त

विक्रेता संपर्क -

फेक्स नं -

फोन नं -

प्रमुख, रडार उप-संविदा

हैदर टेक्स्ट – 1. कच्चा माल बीईएल द्वारा सप्लाई नहीं किया जायगा ।

2. सप्लायर को अपना निजी कच्चा माल इस्तेमाल करना होगा तथा ड्राइंग के अनुसार संविरचन/मिल/टर्न/मोल्ड/वेल्ड/बैंड/ड्रिल/टेप/ग्राइंड कार्य करने होंगे

3. समस्त विमाएँ क्रांतिक व महत्वपूर्ण हैं ।

4. बीईएल की ड्राइंगे कोटेशनों के साथ वापस करनी हैं ।

5. बड़ी मात्रा में सप्लाई से पहले, फर्स्ट औफ़ अनुमोदन दिया जाना है ।

6. सप्लाई के साथ सामग्री पुष्टीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना है ।

7. सप्लायर द्वारा पूर्व सुपुर्दगी निरीक्षण किया जाना है तथा सेंपल/बड़ी मात्रा में सप्लाई के साथ सम्पूर्ण विमा रिपोर्ट भेजी जानी है।

8. ड्राइंग-विनिर्देशों में किसी प्रकार के अपेक्षित विचलन यदि कोई है, की जानकारी कोटशन में स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए ।

9. तैयार माल होने संबंधी प्रचालन, जैसे पेंटिंग,प्लेटिंग आदि बी ई एल द्वारा किए जाएंगे ।

10. संशो. यदि कोई है, कोटशन में स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए ।

11. भुगतान की शर्तें - बीईएल गुणता आश्वासन द्वारा क्लियरेंस के 15 दिन के भीतर 100% भुगतान कर दिया जायगा ।

12. सुपुर्दगी यथा संकेतित ।

संलग्नक -3

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
नए उप संविदा विक्रेताओं का सर्वेक्षण और पंजीकरण
(प्रश्नावली)

1. फर्म का नाम और पता

क) नाम :

ख) डाक पता :

ग) फेक्टरी का पता :

घ) उद्योग की श्रेणी :
(दर्शाएँ - विशाल/मध्यम/एसएसआई/अन्य)

2. स्थिति

क) मालिकाना/पार्टनरशिप/निजी :

ख) लिमिटेड /पब्लिक लिमिटेड :

3. प्रोप्राइटर /पार्टनर केए संक्षिप्त जीवन वृत्त

क) मालिक का नाम :

ख) मालिक का फोन नं :

ग) पार्टनर यदि कोई है, का नाम :

घ) फोन नं :

4. कार्य क्षेत्र /पावर उपभोग

क) भूमि :

ख) भवन और बिजली कनक्षन कनक्शन :

5. आरंभ करने की तिथि और क्षेत्र का अनुभव :

6. कार्य में लगाए गए कर्मचारियों की संख्या :

7. उद्योग की सक्षमता

क) अभिकल्प,विकास, विनिर्माण और परीक्षण :

ख) विनिर्माण और परीक्षण :

ग) विनिर्माण :

8. सहयोगियों/तकनीकी सहायता/लिए गए लाइसेन्स के ब्यौरे :

9. इस समय हाथ में लिए गए उत्पादों/सेवाओं/के ब्यौरे :
(ब्यौरे संलग्न करें)

10. पंजीकरण /अनुमोदन लेने की तिथि :
(सम्बद्ध प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क) एसएसआई :
ख) डीजीएस एवं आई :
ग) बीआईएस :
घ) सरकारी विभाग :
ङ) सार्वजनिक उद्यम :

11. **<u>उत्पादन सुविधाएं</u>**

क) मशीनरी और उनकी क्षमताओं की सूची :
(सूची संलग्न करें)
ख) किया गया पूंजी गत निवेश :
भूमि :
भवन :
संयंत्र और मशीनरी :

12. आईएसओ 9001/ए एस 9100 बी प्रमाणित :
(प्रति संलग्न करें)

13. ईएमएस 14001 प्रमाणित (प्रति संलग्न करें) :

14. टूलिंग सुविधाएं :

15. **<u>निरीक्षण सुविधाएं</u>** (संबंधित सूची संलग्न करें)

क) गुणवत्ता नियंत्रण परिमापन हेतु अनिवार्य समस्त उपस्करों की उपलब्धता :
ख) अंशांकन सुविधाएं :
ग) क्या उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर है, :
घ) निरीक्षण कर्मियों की क्षमता :
ङ) निरीक्षण उपकरण और उपस्कर :
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति की उपलब्धता :

16. कार्य में आपसे जुड़े प्रमुख ग्राहक (सूची संलग्न करें) :

17. बैंकर :

18. ख्याति प्राप्त संगठन जिनके पास अनुमोदित फर्म के रूप में पंजीकृत हैं, के ब्यौरे :

19. विशेष टिप्पणी /प्रेक्षण :

बीईएल के उपयोगार्थ

बी ई एल कर्मियों के विजिट की तिथि	:	
उद्योग के लिए आसान पहुँच	:	संतोष प्रद /असंतोष प्रद
समस्त सम्बद्ध प्रचालनों की उपलब्धता	:	संतोष प्रद /असंतोष प्रद
भंडारण स्थान की उपलब्धता	:	संतोष प्रद /असंतोष प्रद
निरीक्षण सुविधाओं की पर्याप्तता	:	संतोष प्रद /असंतोष प्रद
आई एस ओ मानकों की जानकारी	:	संतोष प्रद /असंतोष प्रद
ईएमएस मामलों की जानकारी	:	संतोष प्रद /असंतोष प्रद
हाउस किपिंग	:	संतोष प्रद /असंतोष प्रद

विजिट करने वाले हस्ताक्षर दिनांक

(क) पी सी के प्रतिनिधि

(ख) संविरचन के प्रतिनिधि

(ग) असेंबली के प्रतिनिधि

(घ) गुणवत्ता के प्रतिनिधि

(ङ) आई ई डी के प्रतिनिधि

(च) एस सी के प्रतिनिधि

टिप्पणी - अनुमोदित / अनुमोदित नहीं
(यदि अनुमोदित नहीं है, तो कारण दें)

संलग्नक - 4

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
कार्पोरेट प्रबंधन सेवाएँ

संख्या - 18869/आईबी/ .से.
दिनांक - 12.01.2009

विषय - फ़र्मों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया

प्रबंधन द्वारा फ़र्मों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है, जो सभी संबन्धित सभी के द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किए जाने हेतु संलग्न है ।

हस्त/-
(आर श्रीनिवासन)
उ.म. (एमएस)/काऑ

सभी यूनिट /एसबीयू प्रमुख
सभी महाप्रबंधक/ का.नि.
} संबन्धित सभी को आवश्यक अनुदेश जारी करने के अनुरोध के साथ

सभी निदेशक, सीवीओ,
सीएमडी
} - सूचनार्थ

विषय - फ़र्मों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया

1.0 क्षेत्र

बीईएल में सामग्री सप्लाई करने और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए, फ़र्मों के साथ अनुबंध किया जाता है, फ़र्मों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आर्डर में यथा उल्लिखित कार्य पूरा करेंगे तथापि कुछ फ़र्मे इन अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहती हैं,जिसकी वजह से कंपनी को भ ।री दिक्कतें होती हैं । कुछ फ़र्मे अनैतिक व्यवस्था भी अपनाने लगती हैं जिससे देश की सुरक्षा व वाफदारी के संबंध में चिंता होती है। इन परिस्थितियों से उबरने तथा आर्डर पूरे किए जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निवारक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपनाए जाने वाले तरीकों, में एक तरीका है -ऐसी फ़र्मों को हमारे यहाँ भविष्य में की जाने वाली सप्लाई /सेवाओं से हटा दिया जाना । किसी फ़र्मे के साथ व्यापारिक संबंध,उसे प्रतिबंधित करके समाप्त किए जा सकते हैं।

2.0 प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया

2.1 फ़र्मों को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रस्ताव किसी भी प्रभावित विभाग द्वारा, इसके लिए व्यापक औचित्य देते हुएदिया जा सकता है ।

2.2 फ़र्मों को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रस्ताव निम्न संबंधित विभागों में से किसी एक के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित होता है -

2.2.1 क्रय
2.2,.2 संविदा
2.2.3 उप संविदा
2.2.4 मानक (केवल मानक आइटमों के लिए)

2.3 शुरुवात करने वाले विभाग से मिली जानकारी के आधार पर, क्रय, उप संविदा, संविदा विभाग के प्रमुख द्वारा फर्म को, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जायगा । एजेंसी से प्राप्त होने वाला उत्तर, यदि कोई है, की जांच की जायगी और प्रतिबंधित करने संबंधी सिफ़ारिश यदि कोई है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन हेतु जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है, अग्रेषित कर दी जायगी -

2.3.1 प्रमुख, कार्पोरेट मानक - मानक आइटमों के लिए
2.3.2 एसबीयू /यूनिट प्रमुख
2.3.3 यूनिट प्रमुख - एक से अधिक एसबीयू शामिल होने पर, जैसी स्थिति हो,
2.3.4 सीएमडी

यदि, कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के 30 दिन के भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो प्रतिबंधित करने संबंधी कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी

बहरहाल, एजेंसी से प्राप्त होने वाला उत्तर, यदि संतोष जनक पाया जाता है, तथा शुरुवात करने वाले विभाग की सहमति मिलती है, और प्रतिबंध जायज़ नहीं पाया जाता है, तो प्रस्ताव को बंद समझ लिया जाता है ।

2.4 प्रतिबंधित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न प्रकार उपयुक्त अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा -

2.4.1 यदि प्रतिबंध मानक आइटमों के संबंध मे है, तो इसका अनुमोदन प्रमुख, कार्पोरेट मानक द्वारा दिया जाएगा
2.4.2 यदि प्रतिबंध एस बी यू के भीतर है, तो इसका अनुमोदन एसबीयू प्रमुख, द्वारा दिया जाएगा
2.4.3 यदि प्रतिबंध यूनिट स्तर पर है, तो इसका अनुमोदन संबन्धित यूनिट प्रमुख, द्वारा दिया जाएगा
2.4.4 यदि प्रतिबंध कंपनी स्तर पर है, तो इसका अनुमोदन, कार्पोरेट आफिस द्वारा दिया जाएगा

3. अनुप्रयोजनीयता

उपरोक्त के अंतर्गत,यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश-

3.1 कार्पोरेट मानक, कार्पोरेट आफिस, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने पर, सभी कार्यालयों/एसबीयू/यूनिटों पर लागू होगा

3.2 एसबीयू /यूनिटों द्वारा जारी किए जाने पर, संबन्धित एसबीयू/यूनिटों पर लागू होगा

3.3 दूसरी कंपनियों द्वारा जारी किए जाने पर, स्वत: बीईएल पर लागू नहीं होगा

4. प्रतिसंहरण -

4.1 प्रतिबंध के प्रतिसंहरण (वापस लिए जाना) का अनुमोदन वही सक्षम प्राधिकारी करेगा, जिसने पहले फर्म को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। प्रतिसंहरण (वापस लिए जाना) का आदेश, प्रतिबंध की अवधि पूरी हो जाने के बाद, संबन्धित क्रय, उप संविदा, संविदा विभाग के प्रमुख द्वारा, कार्पोरेट आफिस/यूनिट/एसबीयू/कार्पोरेट मानक, जैसी स्थिति हो, के अनुमोदन से, जारी किया जाएगा ।

4.2 एसबीयू/यूनिट के शुरुवात करने वाले विभाग द्वारा उपयुक्त औचित्य दिए जाने के आधार पर कार्पोरेट आफिस/यूनिट/एसबीयू/कार्पोरेट मानक, जैसी स्थिति हो, में, प्रतिबंध की अवधि के दौरान प्रतिसंहरण (वापस लिए जाना) पर विचार किया जा सकता है ।

4.3 रक्षा मंत्रालय से प्रतिबंध के प्रतिसंहरण (वापस लिए जाना) हेतु मिले संदेश पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

5. अनुमोदित विक्रेता सूची -

कार्पोरेट मानक विभाग द्वारा मानक उपकरणों, फ़र्मों को प्रतिबंधित करने तथा उपयुक्त जानकारी के बाद प्रतिबंध को वापस लिए जाने संबंधी अभिलेख, समय समय पर अद्यतन किए जाएंगे । अन्य मामलों में, फ़र्मों को प्रतिबंधित करने तथा प्रतिबंध को वापस लिए जाने संबंधी अद्यतन अभिलेख संबन्धित क्रय, उप संविदा, संविदा विभाग द्वारा रखे जाएंगे ।

संलग्नक - 5

क्रय आदेश जारी प्रक्रिया -

सूचना पदधिति - काऑ

30.01.2009

जारी रणनीति, क्रय आदेश में टेंडर टाइप के संस्करण एवं अद्यतनीक़रण की प्रक्रिया -

1. टेंडर टाइप का अद्यतनीक़रण करना -

क्रय आदेश के हेडर डाटा में, ग्राहक फील्ड के अंतर्गत वेलयूज आप्शन का उपयोग करके, टेंडर टाइप का रख रखाव किया जाता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है -

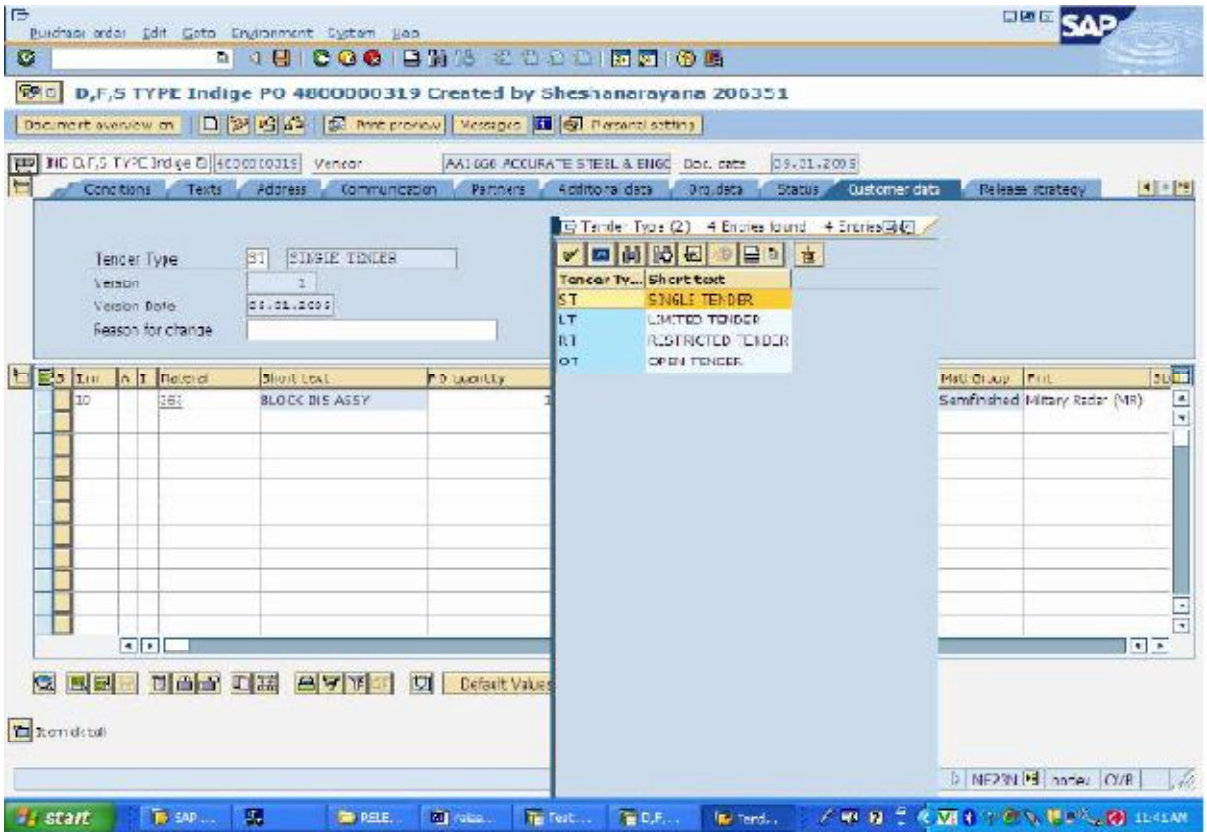

2. संस्करण -

एमई 21 एन का इस्तेमाल करके,सृजित किया गया क्रय आदेश को सेव करने पर प्रणाली तिथि को स्वत: संस्करण तिथि के रूप में बदलते हुए संस्करण-1 (ड्राफ्ट) में अद्यतनीकृत हो जाता है ।

3. क्रय आदेश जारी प्रक्रिया -

क्रय आदेश दस्तावेज़ टाइप और वेल्यू के आधार पर, निम्न तालिका के अनुसार जारी रणनीति सक्रिय हो जाती है। मानलो कि क्रय विभाग द्वारा सृजित किया गया आईएनडी टाइप क्रय आदेश की वेल्यू 50,000,00 रुपए है, इसे नोटिंग के साथ प्रबंधन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। संबन्धित क्रय विभाग के प्राधिकृत व्यक्ति को जारी कोड एस1 के लिए एमई 29एन का इस्तेमाल करके, जारी करना है और प्रबंधन के आवश्यक अनुमोदन के बाद, क्रय आदेश की वेल्यू के आधार पर फाइल, वित्त विभाग को भेजी जाती है वित्त विभाग का प्राधिकृत व्यक्ति एस 2-जिस स्तर पर संस्करण 0(मूल) तक आ जाता है,के लिए जारी करेगा । क्रय विभाग में फाइल प्राप्त किए जाने के बाद, क्रय आदेश का प्रिंट लिया जाएगा और इसे सप्लायर को भेज दिया जाएगा (फलो चार्ट के लिए संलग्नक 1 देखें)

क्रय आदेश	डी ओ ई टाइप	जारी ग्रुप	उप संविदा रण नीति ब्योरे	क्रय आदेश की वेल्यू	जारी ग्रुप	जारी कर्ता
मानक	आईएनडी,आईएनसी आईएमपीआईएमडी डीईसी डीईएफ़	पीटी	वाई 1 पीओ वेल्यू>=50000	>=50000	एस 3	क्रय प्रबंधक
मानक	आईएनडी,आईएनसी आईएमपीआईएमडी डीईसी डीईएफ़	पीटी	वाई 2 पीओ वेल्यू>=50000	>=50000	एस 1 एस 2	क्रय वित्त
अंतर्युनिट स्टॉक अंतरण	डीआईपी सीआईपी एफ़आईपी	पीटी	अंतर्युनिट स्टॉक अंतरण	समस्त	एस 4	उत्पा. निय. प्रबंधक
उप संविदा	डीएसपी सीएसपी एफ़एसपी ईएसपी	पीटी	उप संविदा जारी	समस्त	एस 5 एस 6	उपसंविद वित्त

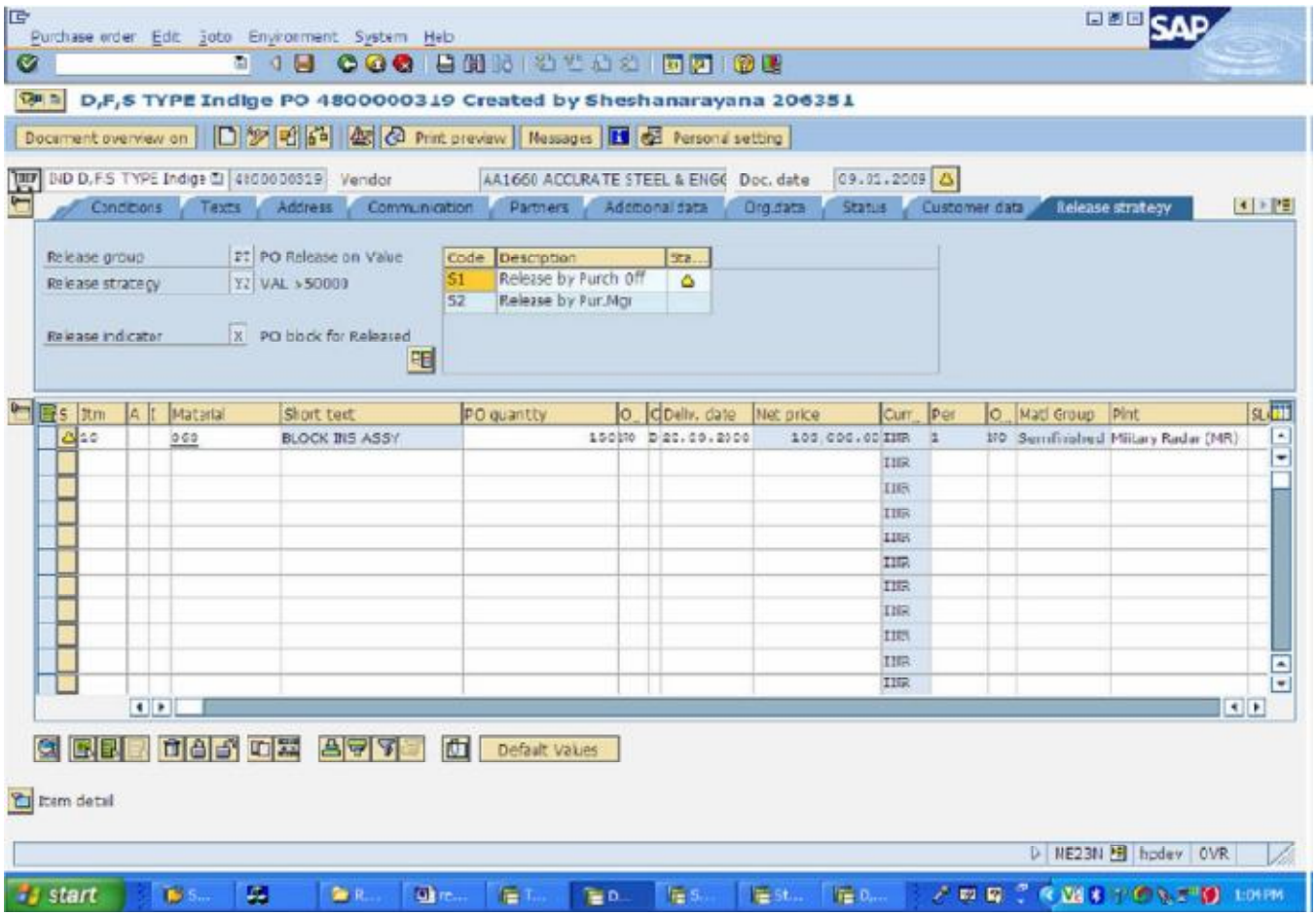
Purchase order Edit Goto Environment System Help
SAP
D,F,S TYPE Indige PO 4800000319 Created by Sheshanarayana 206351
Document overview on
Print preview
Messages
Personal setting
IND D,F,S TYPE Indige
4800000319
Vendor
AA1660 ACCURATE STEEL & ENG
Doc. date
09.01.2009
Conditions
Texts
Address
Communication
Partners
Additional data
Org.data
Status
Customer data
Release strategy
Release group
PO Release on Value
Release strategy
VAL >50000
Release indicator
PO block for Released
Code
Description
S1
Release by Purch Off
S2
Release by Pur.Mgr
Itm
Material
Short text
PO quantity
Deliv. date
Net price
Curr.
Per
Matl Group
Plnt
BLOCK INS ASSY
Default Values
Item detail
NE23N
hpdev
OVR
start

4. क्रय आदेश का प्रिंट आउट पुट -

यदि प्रिंट आउट पुट ड्राफ्ट स्तर पर लिया जाता है, तो आउट पुट पर ड्राफ्ट छपा आएगा । यदि प्रिंट क्रय आदेश जारी होने से पहले लिया जाता है, तो आउट पुट पर क्रय आदेश जारी नहीं किया गया है छपा आएगा । संस्करण की तिथि, क्रय आदेश के तौर पर छपी होगी ।

5. क्रय आदेश में आगे संशोधन -

प्रणाली में फाइनल जारी होने के बाद,जब तक प्रिंट आउट पुट नहीं ले लिया जाता क्रय आदेश में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं है ।

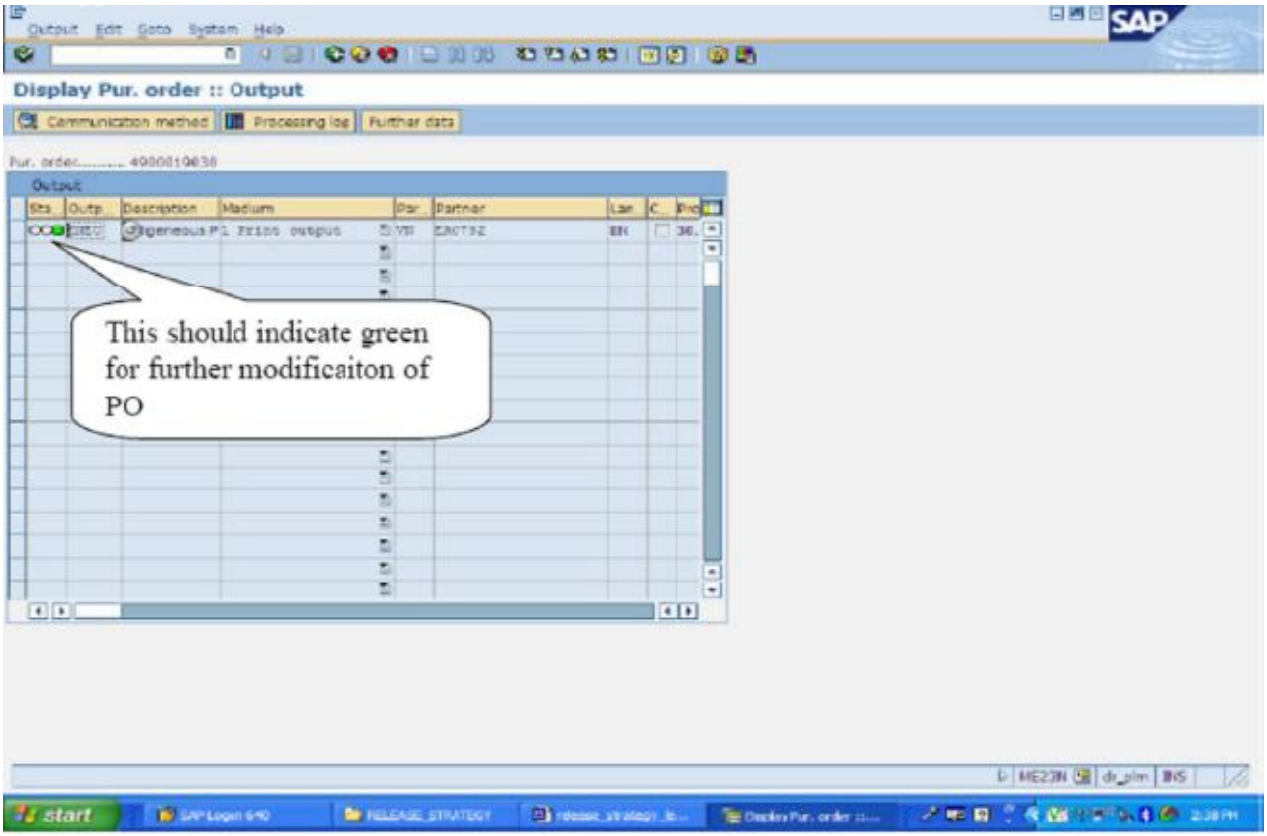

6. क्रय आदेश में बदलाव -

क्रय आदेश में बदलाव एमई 22 एन का उपयोग करके किए जा सकते हैं । यदि क्रय आदेश का जारी संकेतक आर है, तो पोस्टिंग के समय संस्करण आगे बढ़ जाएगा तथा संस्करण की तिथि भी अद्यतन हो जाएगी। उपयोक्ता बदलाव फील्ड के कारण का रिकार्ड रख सकते हैं । संस्करण में आगे बढ़ोतरी केवल तभी होती है जब क्रय आदेश के निम्न फ़ील्डों में परिवर्तन होता है -

1. आइटम का विलोपन हुआ हो
2. कंपनी कोड
3. आइटम लाइन संख्या
4. निवल मूल्य
5. मूल्य यूनिट
6. क्रय आदेश मुद्रा में निवल आर्डर वेल्यू
7. क्रय आदेश मुद्रा में सकल आर्डर वेल्यू
8. विक्रय कर कोड
9. देर से सुपुर्दगी की सहयता - सीमा
10. शिपिंग संबंधी अनुदेश
11. आइ एन सी ओ शर्तें 1
12. आइ एन सी ओ शर्तें 2
13. भुगतान - शर्तें

7. वर्तमान क्रय आदेश -

जारी हुए वर्तमान क्रय आदेश, सृजनता तिथि को आउटपुट में क्रय आदेश-तिथि के साथ, रिलिज्ड स्थिति में ही रहेंगे । इसमें आगे किसी बदलाव से एक नई जारी-रणनीति सक्रिय हो जाएगी ।

8. क्रय आदेश पुनरीक्षण हेतु जांच सूची -

क्रय आदेश के पुनरीक्षण हेतु वित्त विभाग द्वारा निम्न जांच सूची का उपयोग किया जा सकता है -

1. क्रय आदेश-टाइप, क्रय अनुरोध - टाइप के अनुसार होना चाहिए (एक्स आइ एन सी, टाइप स्वदेशी क्रय आदेश, डीईसी - रक्षा विदेशी क्रय आदेश आदि)
2. हेडर टेब में -

   भुगतान - शर्तें,आई एन सी ओ शर्तें प्रविष्ट की जानी हैं ।

   शर्तें - भाड़ा जहां लागू हो, विदेशी मुद्रा में एफ़ आर बी 2 में सप्लायर को देय भाड़ा अग्रेषक को देय देय भाड़ा-1 से 10 वेल्यू के साथ, प्रविष्ट किया जाना है ।

   अवस्था एफ़ आर बी आई के विवरणों में भाड़ा अग्रेषक का कोड दर्ज़ किया जाना चाहिए ।

   विविध प्रभार और पेकिंग अग्रेषण प्रभार, सम्बद्ध हेड़र की अवस्था का चयन करके प्रविष्ट किया जाना चाहिए ।
3. आइटम विवरण टेब में - इन्वायस टेब - कोटशन के अनुसार उपयुक्त कर कोड का चयन किया जाना चाहिए ।

   सुपुर्दगी टेब - शिपिंग अनुदेश फील्ड में प्रेषण (विधि)मोड का चयन किया जाना चाहिए।

   शर्तें टेब - पृविष्टि कर - शर्तें ज़ेड ई एन टी तथा ज़ेड एस एन टी, का चयन किया जाना चाहिए और जहां लागू हो, पूंजी गत आइटमों वी स्पेयर्स के संबंध में सम्बद्ध कर प्रतिशत को प्रविष्ट किया जाना चाहिए ।

   इस शर्त के साथ जे ई एक्स एस, शर्त को भी इसकी कोई वेल्यू दर्ज़ किए बगैर, प्रविष्ट किया जाना चाहिए। इस शर्त से, प्रविष्टि - कर की गणना के उद्देश्य से, निवल लागू मूल्य की गणना हो जाएगी ।

   सुपुर्दगी टेब - क्रय आदेश-टाइप (आई एन सी, आई एम पी, जैसे) के अनुसार लागू मूल्यांकन टाइप उपलब्ध होना चाहिए ।

   मात्रा एवं भार टेब - जहां अपेक्षित हों, मापन की विभिन्न यूनिटो हेतु आर्डर देने के लिए, मापन की संपरिवर्तन यूनिटें, दर्ज़ की जा सकती हैं ।
4. सेवा संबंधी आर्डरों के लिए, आइटम विवरणों के सेवा टेब में, सेवाओं के ब्योरे दर्ज़ किए जाने हैं ।
5. उप संविदा आर्डरों के लिए, विक्रेताओं को सप्लाई की जाने वाली सामग्री की जांच की जानी है तथा सही तरीके से (सामग्री आंकड़े आइटम विवरणों में उपकरण टेब) प्रविष्टि की जानी है।

रिलीज़ प्रक्रिया - क्रय आदेश संलग्नक

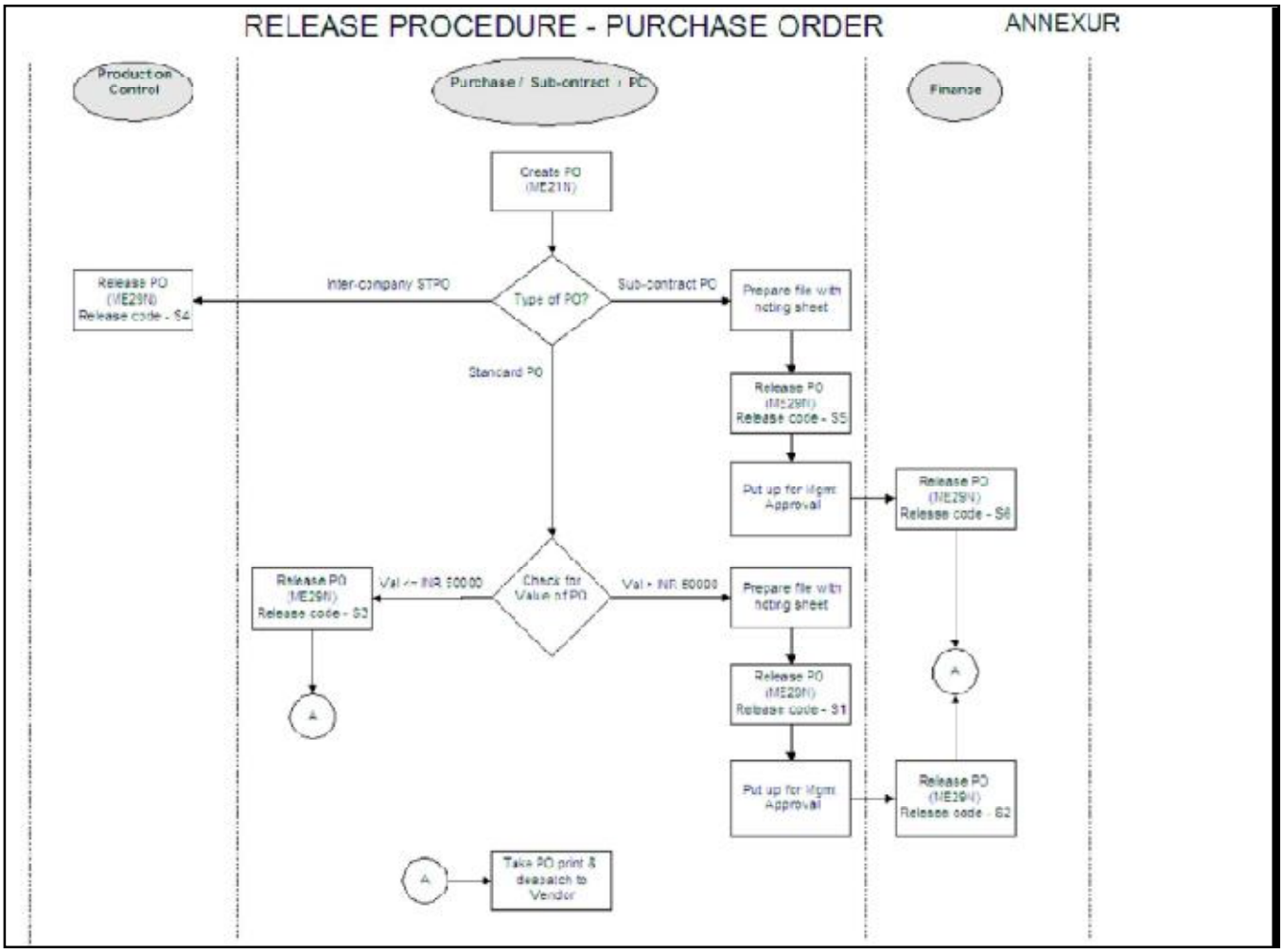

संलग्नक- 6

सामग्री के लिए बैंक गारंटी

(100/= के स्टांप पेपर पर निष्पादित की जानी है)

1. यह देखते हुए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद बीईएल कहा जाएगा), अपने विभिन्न उप संविदा आर्डरों के तहत, कम्पोनेंट्स/पार्ट्स/असेम्बलीज़ की संविरचना के लिए, मेसर्स_____(जिसे इसके बाद उप संविदा कार कहा जाएगा), को दिए गए उप संविदा आर्डर के अनुसार, सामग्री , कम्पोनेंट्स, टूल्स, जिग्स और फिक्सचर्स की सप्लाई करने पर सहमत हैं,बशर्ते कि उप संविदा कार विभिन्न उप संविदा आर्डरों के तहत बी ई एल द्वारा समय समय पर और बगैर किसी शर्त के_____रुपए की राशि तक की सीमा के साथ, सप्लाई की गई ऐसी सामग्री, कम्पोनेंट्स, टूल्स, जिग्स और फिक्सचर्स की वेल्यू के विरुद्ध _____ रुपए की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करे ।

2. यह कि हम (जिसे इसके बाद बैंक कहा जाएगा) तदनुसार, उप संविदा कार के अनुरोध पर एतत्द्वारा, उप संविदा कार को सप्लाई की गई, ऐसी सामग्री, कम्पोनेंट्स, टूल्स, जिग्स और फिक्सचर्स आदि को होने वाली किसी प्रकार की हानी/क्षति, की पूर्ति के लिए मुख्य बाध्यता धारी के तौर पर, अपरिवर्तनीय व स्पष्ट रूप से कुल रुपए की राशि तक की गारंटी देते हैं । बीईएल द्वारा यह निश्चित किए जाने कि _____तिक्रम हुआ हैहम मांग होने पर बी ई एल को बगैर किसी शर्त के और बगैर किसी आश्रय (बहाना) के, व्यतिक्रमी द्वारा अपेक्षित धन राशि का, ऊपर वर्णित अधिकतम राशि कि सीमा तक, का भुगतान करने का वचन देते हैं ।

3. बीईएल को भुगतान बीईएल से भुगतान हेतु पत्र,जिसके साथ निम्न कथन की लिखित घोषणा होनी चाहिए, प्राप्त होने पर किया जाएगा -

   क) कि _____ उप संविदाकार को सप्लाई किए गए सामग्री, कम्पोनेंट्स, टूल्स, जिग्स और फिक्सचर्स आदि खो गए / क्षति ग्रस्त हो गए हैं।

   ख) कि _____को व्यतिक्रम के लिए लिखित नोटिस दिया गया था

   ग) कि _____ लिखित नोटिस दिए जाने के 30 दिन के भीतर क्षति सुधार करने में विफल रहा है ।

   घ) कि खराब निष्पादन की ऐसी स्थिति दावा किए जाने की तारीख को भी बनी हुई है ।

4. हम एतत्द्वारा आगे सहमत हैं कि बीईएल को हमारी सहमति व जानकारी के, पार्टी के साथ परामर्श या आपसी समझौते से उप संविदा आर्डर कि किसी शर्त में फेर बादल करने तथा उप संविदा आर्डर में से किसी शर्त में संयम बरतने अथवा उसे लागू करने की पूर्ण आज़ादी होगी और ऐसा करने से हमारा दायित्व में कोई कमी नहीं होगी। बीईएल द्वारा किए गए किसी परिवर्तन या अनुग्रह अथवा ऐसे किसी मामले या तथ्य जो कानूनन ज़मानती के विषय में हो के कारण, बैंक को उसके दायित्व से मुक्ति नहीं मिलती, परंतु इस प्रावधान के प्रभाव से बैंक को उसके दायित्व से मुक्ति मिलेगी । बैंक गारंटी एक सतत बैंक गारंटी होगी और हमारे संविधान या बैंक - चार्टर में हुए किसी बदलाव की वजह से यह समाप्त नहीं होगी ।

5. बैंक गारंटी सप्लायर _____को सामग्री, कम्पोनेंट्स, टूल्स, जिग्स और फिक्सचर्स आदि प्रेषित कर दिए जाने पर प्रभावी हो जाएगी । बैंक गारंटी इसमें विहित प्रावधानों के साथ, गारंटी निष्पादित किए जाने की तिथि से बारह कलेंडर माह की अवधि तक, प्रभावी रहेगी । बहरहाल, बीईएल को (क) गारंटी निष्पादित किए जाने की तिथि से बारह कलेंडर माह की अवधि के बाद कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत गारंटी कि अवधि जारी रहने के दौरान, अर्थात (ख) गारंटी कि अवधि पूरी होने वाले माह के अंतिम दिन तक कोई डिमांड नोटिस न दिया गया हो ।

6. इस गारंटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व समाप्त हो जाएंगे और उपरोक्त समाप्ति - तिथि को बीईएल को प्राप्त समस्त अधिकार ज़ब्त हो जाएंगे और यदि उक्त रिलीज़ -तिथि से पहले बीईएल से कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत मिले सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे।

7. इसके अधीन अपना दायित्व पूर्ण एवं सुस्पष्ट होते हुए भी, हम किसी न्यायालय अथवा इससे सम्बद्ध ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित पड़े किसी आवेदन या कार्रवाई के तहत संविदाकार/(रों)/सप्लायर (रों)द्वारा उठाए गए किसी विवाद अथवा कार्यवाहियों के बावजूद , मांगी गईऐसी किसी राशि का कंपनी को भुगतान करने का वचन देते हैं ।

दिनांक---------- का दिन -------

हस्ताक्षर

----------कृते (बैंक का नाम)

(बैंक की मुहर)

क) यहाँ आर्डर के अंतर्गत सुपुर्दगी की अंतिम किश्त को कवर करने हेतु पर्याप्त महीनों की संख्या का उल्लेख करें ।

ख) यहाँ उपरोक्त (क) में दी गई अवधि पूरी होने वाले महीने के अंतिम दिवस की (तिथि) का उल्लेख करें ।

संलग्नक- 7

अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी

(100/- के स्टांप पेपर पर निष्पादित की जानी है)

1. यह देखते हुए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत समाविष्ट एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नागवारा बेंगलूरु - 560045 में तथा इसकी यूनिट -------- में है (जिसे इसके बाद बी ई एल कहा जाएगा और जिसमें, जब तक -----द्वारा अपवर्जित न किया गया हो,तथा संदर्भ के अनुकूल हों, इसके उत्तरवर्ती एवं समनुदेशिती शामिल हैं) क्रय/उप संविदा आदेश नं --------- में दी गई निबंधन व शर्तों के अनुसार,----------की सप्लाई करने के लिए, ------- रुपये के लिए किसी अनुसूचित बैंक, -------/राष्ट्रीय बैंक का गारंटी विलेख प्रस्तुत करने पर, मेसर्स ----------(जिसे इसके बाद सप्लायर कहा जाएगा और जिसमें, जब तक ----द्वारा अपवर्जित न किया गया हो, तथा संदर्भ के अनुकूल हों, इसके उत्तरवर्ती एवं समनुदेशिती शामिल हैं)---------- को ------- रुपए का, अग्रिम भुगतान करने पर सहमत हुए हैं।

2. हम---------- जिनका कार्यालय ---------- में है, एतदद्वारा उक्त संविदा के संबंध में कंपनी द्वारा अग्रिम के तौर पर दिए गए --------रुपये की सीमा तक, उक्त संविदा में दिए गए किसी कारण से कंपनी को हुई किसी तरह की क्षति नुकसान,लागत,प्रभार और खर्च की क्षति पूर्ति करने तथा आगे ऐसा करते रहने और कंपनी द्वारा मांगे जाने पर, दावा की गई राशि का बिना शर्त -------- रुपये की सीमा तक, भुगतान करने के लिए वचनबद्ध व सहमत हैं ।
3. हम आगे इस पर सहमत हैं कि इस विषय पर कि क्या उक्त सप्लायर द्वारा उक्त संविदा में दी गई निबंधन व शर्तों को भंग किया गया/का पालन नहीं किया गया और इसके कारण कंपनी कों क्या किसी तरह की क्षति नुकसान,लागत,प्रभार और खर्च हुआ तथा उक्त सप्लायर द्वारा शर्तें भंग कि गई हैं और इस वजह से कंपनी को हुए नुकसान की सीमा निर्धारण करने के मामले में कंपनी का निर्णय फाइनल होगा तथा हम उसे मानने को बाध्य होंगे ।
4. हम आगे इस पर सहमत हैं कि एतदद्वारा दी गई गारंटी उक्त संविदा के संतोष जनक निष्पादन हेतु निर्धारित किए गए समय,या संविदा में दी गई गई निबंधन व शर्तों के अनुरूप कार्य करते हुए गारंटी व वारंटी की तमाम अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगी तथा उक्त संविदा के तहत कंपनी के समस्त देय बाकी रहने अथवा संविदा कर द्वारा संविदा को अधिशासित करने वाली निबंधन व शर्तों को पूरी तरह से पूर्ण किए जाने तथा कंपनी द्वारा यह प्रमाणित करने कि संविदाकार द्वारा उक्त संविदा की निबंधन व शर्तों को पूरी तरह व सही ढंग से पूर्ण किया गया है और संविदा के तहत गारंटी का सही निर्वाह हो रहा है,तक लागू रहेगी । बहरहाल,------ के बाद,उक्त कंपनी को इस गारंटी के अंतर्गत तब तक कोई अधिकार नहीं रहेगा जब तक कि इस संविदा के अंतर्गत ------तक और इसको शामिल करते हुएकोई डिमांड नोटिस दायर न कर दिया हो ।
5. हम--------अंत में, इस गारंटी को इसकी क्रियान्वयन - अवधि के दौरान,सिवाय उक्त कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के, वापस न लेने पर सहमत हैं तथा इस पर भी सहमत हैं कि उक्त सप्लायर या बेनकर के संविधान में होने वाले किसी बदलाव से हमारे निम्न दायित्व समाप्त नहीं होंगे ।
6. उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता, इस शर्त के साथ कि मेसर्स --------- के नाम ----- रुपए का चैक जारी किया जाय,---------- रुपए तक सीमित है तथा हमारी गारंटी उक्त बैंक के खिलाफ इस गारंटी के अंतर्गत------को या इससे पहले, डिमांड/मुकदमा अथवा लिखित दावा दायर किए जाने तक, जारी रहेगी । इस गारंटी के अंतर्गत उक्त कंपनी को प्राप्त हुए समस्त अधिकार ज़ब्त हो जाएंगे और हम इसके अंतर्गत मिले सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे
7. ---------- पर ---------- को निष्पादित किया गया ।

संलग्नक 7 क

निदेशक (वित्त) का कार्यालय

नं 18281 / 99 /010 -001
28 फरवरी, 2007

सप्लाई/उप संविदा/एएमसी अनुबंधों में ब्याज मुक्त अग्रिम के भुगतान हेतु शक्ति - प्रत्यायोजन

क) प्रस्तावना -

1. बीईएल क्रय/उप संविदा प्रक्रिया के तहत, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन पर, मामला दर मामला आधार पर सप्लाई/उप संविदा आर्डरों मे ब्याज मुक्त अग्रिम के भुगतान की व्यवस्था की गई है। बाद में इस विषय में जारी शासकिय ज्ञापन नं.एनयू/पीओएल/19, दिनांक दिसंबर,1997, शासकिय ज्ञापन नं. एनयू/पीओएल/19, दिनांक 30.09.1998 तथा शासकिय ज्ञापन नं. 4 सी सी-1- सीटीई दिनांक 8.06.04 के माध्यम से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अग्रिम के भुगतान पर कुछ पाबन्दियाँ लगाई गई । तब से ऐसे अलग अलग मामले जिनमें ब्याज मुक्त अग्रिम के भुगतान की जरूरत है, अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे थे तथा आपातिक मामलों में पूर्व व्यापी अनुमोदन लिए जा रहे थे। प्रापण प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने और पूर्व व्यापी अनुमोदन से बचाव के लिए, यह अत्यंत आवश्यक समझा गया कि समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, जो कि- सीवीसी दिशा निर्देशों की मूल आत्मा है, के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुएमामलों में उपयुक्त निर्णय लेने में बीईएल प्रबंधन को शक्ति प्रदान करने के लिए, एक प्रक्रिया का गठन किया जाए । जनवरी, 2007 को हुए 328वीं बैठक में बोर्ड द्वारा ब्याज मुक्त अग्रिम देने के संबंध में प्रक्रिया का अनुमोदन कर दिया गया जिसके ब्यौरे पूर्ण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं ।

2. एसबीयू /यूनिटों/कार्यालयों को यह ध्यान देना है कि किसी प्रापण प्रस्ताव पर सप्लायरों / उप संविदाकारों/सेवा प्रदाताओं को बिना ब्याज मुक्त अग्रिम के हमारी भुगतान संबंधी शर्तों पर, सहमत करने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिए । यहाँ तक कि यदि अग्रिम हेतु सहमत होना अपरिहार्य हो जाए, सबसे पहले अग्रिम पर ब्याज लगाने संबंधी व्यावहारिकता जाँची जानी चाहिए । ऐसा करना न केवल सीवीसी के दिशा निर्देशों के कारण बल्कि, देन - दारों कि स्थिति एवं रक्षा प्रापण प्रक्रिया 2006, को लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप, अग्रिमों में आई कमी, जिसके कारण नकद प्रवाह पर भारी दबाव पड़ा है, के आधार पर अपने भविष्य में कोष प्रवाह को देखते हुए भी जरूरी है । निम्न पैराग्राफों में दी गई प्रस्तावित प्रक्रिया अनियंत्रित तरीके से अग्रिम देने का कार्टे ब्लंचे अधिकार नहीं देती, अत्यंत जायज़ मामले में ब्याज मुक्त अग्रिम देने की सुविधा हेतु एक प्रक्रिया है, ताकि उत्पादन/आर व डी/ विनिर्माण से जुड़े अन्य प्रक्रियाओं में कोई व्यवधान न आने पाए ।

ख) प्रक्रिया –

1 . ब्याज मुक्त अग्रिम कि स्वीकृति **चुनिन्दा मामलों** में की जा सकती है, जैसे नीचे दर्शाये गए मामले -

क) आयात किए जाने वाले लघु कीमत के आइटम (जहां आर्डर वेलयु >/= यूएस $ 5000 है), जहां उत्पादन के लिए उपकरण / सब असेंबलियों की आवश्यकता है और सप्लायर सामान्य तरीके से एल सी के माध्यम से भुगतान के लिए सहमत नही हुआ है ।

ख) ऐसे मामले जहां सप्लायर आइटम को केवल बीईएल के लिए ही मंगा रहा है, तथा जहां सप्लायर कंपनी कि वित्तीय प्रतिबद्धता के चलते, अग्रिम भुगतान पर ज़ोर दे रहा है ।

ग) टीओटी भुगतान के मामले में जहां सहयोगी आरंभिक अग्रिम और स्टेज- भुगतान (माइल स्टोन से लिंक्ड) पर ज़ोर दे रहा है । सुपुर्दनीय आइटम के मामले में, सप्लाई के एफ़एफ़, एसकेडी, आईएम स्तरों जैसे सभी स्तरों पर, जहां माइल स्टोन के विरुद्ध अग्रिम का भुगतान/प्रगामी भुगतान आपसी सहमति से तय की गई टीओटी - शर्तों/ सहयोगी के साथ सप्लाई संविदा / टीओटी भागीदार की शर्तों के एक भाग के रूप में किया जाना है ।

घ) जहां किसी डिजाइन ऐजेंसी द्वारा किसी स्वदेशी स्रोत की पहचान की गई है अथवा जहां कार्य बीईएल के विनिर्देशों के अनुसार केवल बीईएल लिए ही किया जा रहा है, अथवा ऐसे उप संविदा आदेशों के मामले में जहां टूल्स का विकास व डिजाइन बीईएल के डिजाइन के अनुरूप हैं ।

ङ) जहां पार्ट्स का स्वदेशी करण किया जा रहा है, और पहचाने गए सप्लायर द्वारा डिजाइन, मोल्ड, प्रोटो टाइप, जिग्स आदि का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में लागत को कवर करने के लिए अग्रिम भुगतान देने पर विचार किया जा सकता है, ताकि स्वदेशी करण हेतु किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने संबंधी कार्यों को हाथ में लेने के लिए विक्रेताओं को प्रोत्साहित किया जा सके ।

च) ओईएम/ओईएम के प्राधिकृत एजेंट तथा दूसरे सेवा प्रदाताओं द्वारा हासिल किए ग, एएमसी/अनुरक्षण संविदा अनुबंध के मामले में जहां सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए, आवधिक आधार पर अग्रिम के भुगतान पर ज़ोर दिया गया है ।

2 . यदि अग्रिम बिना ब्याज के स्वीकृत किया जाना है, ऐसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियां एवं तथ्य, संबन्धित प्रापण फाइल में स्पष्ट दिये जाने चाहिए ।

3. यद्यपि, एनआईटी में अग्रिम भुगतान का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है, निविदा दस्तावेज़ में यह स्पष्ट होना चाहिए कि निविदाओं का मूल्यांकन "बीईएल पर लागत आधार पर किया जाएगा और यदि आगे आने वाले सप्लायरों द्वारा भुगतान कि अलग शर्तें उद्धृत की जाती हैं, तो एल 1 का मूल्यांकन करने के लिए, बीईएल पर लागत का निर्धारण, डिस्काउंट केश फलो मेथड से किया जाएगा । प्रयोग में लाई गई ब्याज की दर, समय समय पर जारी होने वाली प्रचलित एसबीआई - पीएलआर - दर होगी (वर्तमान एसबीआई - पीएलआर - दर 12.25 % प्रति वर्ष है) ।

4. सांपत्तिक/एकल विक्रेता आइटम के मामले में जहां अग्रिम बिना ब्याज के स्वीकृत किया जाना है, उत्पाद और सेवा के लिए विक्रेता से, ब्याज के बदले संबन्धित लाभ हासिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। और ऐसे प्रयासों के परिणाम फाइल में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए ।

5. अग्रिम भुगतान हेतु अनुरोध यदि कोई है तो तकनीकी/ णिज्यिक मूल्य - बिड में प्रस्तुत/ उद्धृत किए जाने चाहिए। मूल्य - बिड खोले जाने के बाद, प्राप्त होने वाले अग्रिम भुगतान हेतु अनुरोध यदि कोई है, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

6. ऐसे मामले में जहां सप्लायर / उप संविदाकार किसी भी कारण वश आर्डर को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है,जिसके परिणाम स्वरूप सप्लाई का रद्दीकरण / शॉर्ट क्लोज़र /विलंब होता है, अग्रिम की राशि पर (प्रचलित वर्तमान एसबीआई - पीएलआर - दर से 2% अधिक के बराबर) दंड ब्याज लिया जाना चाहिए। आर्डर का रद्दीकरण / शॉर्ट क्लोज़र होने की स्थिति में, सप्लायर / उप संविदाकार द्वारा अग्रिम की शेष राशि दंड ब्याज के साथ वापस की जानी है। सप्लाई में विलंब होने की स्थिति में देय दंड ब्याज की राशि, सप्लायर/उप संविदाकार को देय भुगतान - राशि से वसूल की जानी है अथवा उनसे संग्रहीत, जैसी स्थिति हों, की जानी है। प्रदेय दंड ब्याज की राशि की गणना करने के उद्देश्य से क्रय/ उप संविदा आदेशों के अनुसार, सप्लाई/कार्य पूर्ण होने की तिथि के संदर्भ लेते हुए विलंब की अवधि की गणना की जाएगी। दंड ब्याज की प्रभारिता/वसूली से संबन्धित शर्त उन समस्त आर्डरों, जिनमें अग्रिम भुगतान के प्रावधान हैं, में सम्मिलित की जानी चाहिए ।

7. कैसा भी अग्रिम बैंक गारंटी (बीजी) के विरुद्ध दिया जाना चाहिए, जिससे दिए गए अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध होती है। बैंक गारंटी (बीजी) की ज़रूरत सिवाय उपरोक्त पैरा 1(ए) में यथा निर्दिष्ट आयात के छोटे मामलों, उपरोक्त पैरा 1 (च) में यथा निर्दिष्ट ओईएम/ ओईएम के प्राधिकृत एजेंटों को दिए गए अनुरक्षण संविदाओं के मामलों, रक्षा सार्वजनिक उद्यमों तथा अलग अलग मामले के आधार पर, सीएमडी के अनुमोदन से अन्य सार्वजनिक उद्यमों से संबन्धित मामलों के, प्रत्येक मामले में होगी। बैंक गारंटी (बीजी) के लिए वैधता - अवधि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से तीन माह अधिक होनी चाहिए ताकि ज़रूरत होने पर एसबीयू / यूनिट । बैंक गारंटी (बीजी) को भुनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकें। बैंक गारंटी (बीजी) की वेलयु,- दी गई अग्रिम राशि + इसकी 10 % राशि, अथवा दी गई अग्रिम राशि + शेष राशि पर पार्टी के पास रहने वाली संभावित अवधि के अनुसार अनुमानित ब्याज राशि, जो भी अधिक हो होगी, ताकि किसी संभावित ब्याज देयता से निपटा जा सके ।

8. प्रगामी अग्रिम के मामले में ऐसे भुगतान, कार्य की प्रगति पर संतुष्ट होने / निर्धारित कार्य पूर्ण होने के बाद ही सप्लायर से आवश्यक प्रमाणपत्र लेकर, और बैंक गारंटी (बीजी) के विरुद्ध किए जाने हैं ।

9. अग्रिम भुगतान वाले आर्डरों में अग्रिम राशि को प्रगामी रूप से बिलों के निपटान में समायोजित किए जाने की बात आर्डर की शर्तों में स्पष्ट तौर पर शामिल की जानी चाहिए, ताकि दिए गए अग्रिम को समायोजन करने संबंधी स्पष्टता बनी रहे ।

10. सप्लाई / उप संविदा आर्डरों में अग्रिम दिए जाने संबंधी धारा शामिल करने पर सहमत होने से पहले, यह सत्यापित किया जाना है कि अग्रिम का प्रस्ताव करने वाली संबन्धित एसबीयू/ यूनिट में सप्लायर / उप संविदाकार के पास कोई अग्रिम पहले से तो नहीं है । पहले लिए गए अग्रिम के संबंध में सप्लायर / उप संविदाकार के इतिहास के अनुवीक्षण कि ज़िम्मेदारी संबन्धित एमएम / उप संविदा विभाग कि होगी । एएम सी अनुबंध के मामले में, एएमसी राशि का अग्रिम भुगतान, उपयोक्ता द्वारा पिछली किश्त, यदि कोई है, का भुगतान किए जाने संबंधी संतोष जनक प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद किया जाएगा।

ग) प्रत्यायोजन –

अग्रिम भुगतान के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन **संलग्नक क** में दिया गया है। ऐसे सभी मामलों में, जहां ब्याज मुक्त अग्रिम दिए जाने की ज़रूरत है, शक्तियों का प्रत्यायोजन केअनुसार सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में यथा उपयुक्त आवश्यक ब्यौरों के साथ, एक विस्तृत फाइल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए । फाइल में कवर किए जाने संबंधी समस्त विवरणों की जांच सूची **संलग्नक ख** में दी गई है ।

घ) अनुवीक्षण और रिपोर्ट -

1. एसबीयू/यूनिटों में चल रही वर्तमान व्यवस्था के अलावा, एसबीयू / यूनिटों द्वारा विलंबित पड़े अग्रिमों पर एक रिपोर्ट, प्रत्येक मामले में अग्रिम के निपटान संबंधी प्रस्तावित कार्रवाई के साथ, संबन्धित निदेशकों को तिमाही आधार पर तथा निदेशक (वित्त) के माध्यम से, सीएमडी को छमाही आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए । रिपोर्ट तिमाही/छमाही समाप्त होने के 30 दिन के भीतर भेज दी जानी चाहिए ।

2. एमएम / उप संविदा विभाग को, दिए गए अग्रिम का निपटान होने तक बैंक गारंटी (बीजी) की वैधता सुनिश्चित करनी चाहिए । एमएम / उप संविदा विभाग द्वारा कम से कम एक माह पहले, ऐसी बैंक गारंटियों - जिनकी वैधता समाप्ती की तिथि निकट है, और बैंक गारंटियों को भुनाया जाना अपेक्षित है, के बारे में संबन्धित वित्त विभाग को सलाह दी जानी चाहिए ।

3. एमएम/उप संविदा विभाग द्वारा, दिए हुए अग्रिम पर सप्लाई में हुए विलंब के कारण किसी मामले में प्रभारित दंड ब्याज के बारे में संबन्धित वित्त विभाग को सलाह दी जानी चाहिए ।

उपरोक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है ।

हस्त/-
निदेशक (वित्त)

सभी यूनिटें / एसबीयू प्रमुख

<u>प्रति :</u>

निदेशक (अनु. व वि.)/निदेशक(का.)/निदेशक(अ.यू.)/निदेशक(बें.कॉ.)/निदेशक(विपणन)/सीवीओ

सीएमडी - सूचनार्थ

संलग्नक क

अग्रिम भुगतान हेतु प्रत्यायोजन

क्रम.सं.	विवरण	अग्रिम देने की सीमा	प्रत्यायोजन	बैंक गारंटी
1.	**आयात**		म. . - यूएस $ 2,500 निदेशक - यूएस $ 5000 तक	बैंक गारंटी नहीं
क	यूएस $ 5000 अथवा समतुल्य तक आर्डर	आर्डर वेल्यू के 100% तक		
ख	अन्य आर्डर	आर्डर वेल्यू के 50% तक, जिसके लिए आरंभिक अग्रिम आर्डर वेल्यू के 15% से अधिक नहीं, शेष 35% माइलस्टोन से जुड़े प्रगामी भुगतानों के रूप मे। अग्रिम भुगतान आरबीआई के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार होगा	म. . - **आर्डर वेल्यू के 15% तक**, अग्रिम की अधिकतम राशि यूएस $ 25000 होते हुए । निदेशक - **(आरंभिक अग्रिम को मिला कर) आर्डर वेल्यू के 25 % तक,** अग्रिम की अधिकतम राशि यूएस 1,00 000 होते हुए सीएमडी - पूर्ण शक्ति	दी गई अग्रिम राशि के 110% के बराबर , अथवा दिए गए अग्रिम पर इसके पार्टी के पास अग्रिम राशि रहने की संभावित अवधि के लिए (एसबीआई -पीएलआर दर से परिकलित) ब्याज को मिला कर,बनी राशि, जो भी अधिक हो की एस बी आई से सत्यापित किसी प्रथम श्रेणी के बैंक से , बैंक गारंटी
2.	**स्थानीय विक्रेता/उप संविदाकार से स्वदेशी खरीद**			
क	विकास एवं सप्लाई (उप संविदाकारों के लिए टूलिंग लागत सहित)	आर्डर वेल्यू के 50% तक, जिसके लिए आरंभिक अग्रिम आर्डर वेल्यू के 15% से अधिक नहीं, शेष 35% माइलस्टोन से जुड़े प्रगामी भुगतानों के रूप मे अग्रिम भुगतान	म. . - **आर्डर वेल्यू के 15% तक**, अग्रिम की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये होते हुए निदेशक - (आरंभिक अग्रिम को मिला कर) आर्डर वेल्यू के 25% तक, अग्रिम	दी गई अग्रिम राशि के 110% के बराबर, अथवा दिए गए अग्रिम पर इसके पार्टी के पास अग्रिम राशि रहने की संभावित अवधि के लिए (एसबीआई - पीएलआर दर से परिकलित) ब्याज को मिला कर,बनी

क्रम.सं.	विवरण	अग्रिम देने की सीमा	प्रत्यायोजन	बैंक गारंटी
			की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये होते हुए सीएमडी - पूर्ण शक्ति	राशि, जो भी अधिक हो, की भारत में किसी अनुसूचित बैंक (को आपरेटिव बैंक के अलावा) से, बैंक गारंटी
ख	अन्य खरीद	केवल आर्डर वेल्यू के 15 % तक आरंभिक अग्रिम	म. . - अग्रिम की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये निदेशक - अग्रिम की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये सीएमडी - पूर्ण शक्ति	उपरोक्त 2("क)" के अनुसार
3	एएमसी संविदा	छमाही भुगतान के मामले में आर्डर वेल्यू के 15% तक और तिमाही भुगतान के मामले में 25%	म. . - अग्रिम की राशि 2 लाख तक निदेशक - अग्रिम की राशि 10 लाख तक सीएमडी - पूर्ण शक्ति	ओईएम तथा ओईएम के प्राधिकृत एजेंट - अपेक्षित नहीं अन्य मामले - बैंक गारंटी भारत में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (कोआपरेटिव बैंक के अलावा) से, यदि अग्रिम की राशि 25,000 . से अधिक है ।

<u>टिप्पणी</u> - उपरोक्त 2 व 3 के मामले में, खरीद यदि रक्षा सार्वजनिक उद्यमों से है, बैंक गारंटी से छूट होगी । अन्य सार्वजनिक उद्यमों के मामलों में बैंक गारंटी से छूट अलग अलग मामले के अनुसार, सी एम डी के अनुमोदन से होगी ।

संलग्नक ख

ब्याज मुक्त अग्रिम की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव में शामिल किए जाने संबंधी

आवश्यक न्यूनतम विवरणों हेतु जांच सूची

एसबीयू / यूनिट

.सं.	विवरण
1	आइटम का नाम
2	..... के उत्पादन/विकास/एएमसी/उप संविदा हेतु अपेक्षित
3	आइटम की प्रकृति (श्रेणी का उल्लेख करें)
क)	कम वेलयु के आर्डर <$ 5000 - सांपत्तिक/गैर- सांपत्तिक
ख)	अन्य आर्डर- सं ।पत्तिक /गैर सांपत्तिक
ग)	सप्लायर द्वारा केवल बी ई एल के लिए लाया जा रहा आइटम
घ)	टीओटी भुगतान
ङ)	माइलस्टोन /टीओटी संविदा के तहत सुपुर्दगी भुगतान
च)	डिजाइन एजेंसी द्वारा पहचाने गए स्वदेशी सप्लायर, जो केवल बीईएल के लिए कार्य कर रहे हैं
छ)	उप संविदा आर्डर जिनमें विकास और डिजाइन बी ई एल की अपेक्षाओं के अनुरूप है
ज)	स्वदेशी करण प्रक्रियाओं की अपेक्षा
झ)	एएमसी अनुबंध
4	मात्र
5	मूल्य
6	आपूर्तिकर्ता
7	भुगतान की शर्तें
8	भुगतान हेतु प्रस्तावित अग्रिम
	आरंभिक
	प्रगामी
9	अग्रिम हेतु औचित्य/अग्रिम भुगतान न करने के लिए विक्रेता से वार्तालाप
	उद्धरण मे दिया गया लागत लाभ
	अग्रिम के साथ उद्धृत किया गया मूल्य
	अग्रिम के बगैर उद्धृत किया गया मूल्य
	वार्तालाप के दौरान हासिल किया गया लागत लाभ
	अग्रिम के साथ उद्धृत किया गया मूल्य
	अग्रिम के बगैर उद्धृत किया गया मूल्य
10	राशि और अवधि जिसमें अग्रिम लंबित रहेगा
11	बी.जी. ली जानी है
	राशि
	अवधि

महा प्रबंधक (वित्त) / का ऑ का कार्यालय

नं.18281/99/010-006
22 अप्रैल , 2009

विषय - <u>अग्रिम की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के साथ दी जाने वाली</u>
जांच सूची मे कवर किए जाने वाले अतिरिक्त ब्यौरे

यह इस विषय मे निदेशक (वित्त) के परिपत्र सं. 18281/99/010-001, 28 फरवरी, 2007 के संदर्भ मे है ।

2. इस विषय में ध्यान रखना है कि उन मामलों में जहां किसी आर्डर के तहत सप्लायर को दिया गया कोई अग्रिम समायोजन के लिए लंबित है और इसके लिए कोई वैध बैंक गारंटी भी नहीं है, अथवा ऐसी कोई सूचना अन्य यूनिटों से मिली है, आगे किसी अग्रिम के भुगतान कि अनुमति नहीं दी जाएगी । इसी संबंध में एक सत्यापन पत्र, वर्तमान जांच सूची फार्मेट के क्रम संख्या 12 मे संलग्न किया अपेक्षित जाना है । यदि ऐसे में भी आगे अग्रिम दिए जाने कि सिफ़ारिश कि जाती है, तो इसके लिए कारण जांच सूची फार्मेट के क्रम संख्या 13 मे दिए जाने हैं ।

3. उपरोक्त बिन्दुओं को शामिल करते हुए एक संशोधित जांच सूची संलग्न है। आप से अपेक्षित है कि भविष्य में प्रबंधन के अनुमोदन हेतु भेजे जाने वाले किसी अग्रिम के भुगतान संबंधी किसी प्रस्ताव के साथ, संशोधित जांच सूची संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें ।

हस्त/-
महा प्रबंधक (वित्त)

सभी यूनिट प्रमुख

सभी यूनिटों में वित्तीय प्रमुख,

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक (आंतरिक परीक्षा)

संलग्नक ख

ब्याज मुक्त अग्रिम की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव में शामिल किए जाने संबंधी आवश्यक न्यूनतम विवरणों हेतु जांच सूची

एसबीयू / यूनिट -

.सं.	विवरण
1	आइटम का नाम
2	_____ के उत्पादन/विकास/एएमसी/उप संविदा हेतु अपेक्षित
3	आइटम की प्रकृति (श्रेणी का उल्लेख करें)
	कम मूल्य के आर्डर <$ 5000 - सांपत्तिक/गैर-सांपत्तिक
	अन्य आर्डर - सांपत्तिक /गैर सांपत्तिक
	सप्लायर द्वारा केवल बीईएल के लिए लाया जा रहा आइटम
	टीओटी भुगतान
	माइलस्टोन / टीओटी संविदा के तहत सुपुर्दगी भुगतान
	डिजाइन एजेंसी द्वारा पहचाने गए स्वदेशी सप्लायर, जो केवल बीईएल के लिए कार्य कर रहे हैं
	उप संविदा आर्डर जिनमें विकास और डिजाइन बी ई एल की अपेक्षाओं के अनुरूप है
	स्वदेशी करण प्रक्रियाओं की अपेक्षा
	एएमसी संविदा
4	मात्र
5	मूल्य
6	आपूर्तिकर्ता
7	भुगतान की शर्तें
8	भुगतान हेतु प्रस्तावित अग्रिम
	आरंभिक
	प्रगामी
9	अग्रिम हेतु औचित्य / अग्रिम भुगतान न करने के लिए विक्रेता से वार्तालाप
	उद्धरण मे दिया गया लागत लाभ
	अग्रिम के साथ उद्धृत किया गया मूल्य
	अग्रिम के बगैर उद्धृत किया गया मूल्य
	वार्तालाप के दौरान हासिल किया गया लागत लाभ
	अग्रिम के साथ उद्धृत किया गया मूल्य
	अग्रिम के बगैर उद्धृत किया गया मूल्य
10	राशि और अवधि जिसमें अग्रिम लंबित रहेगा
11	बी.जी. ली जानी है
	राशि
	अवधि
12	क्या इस पार्टी को दिया गया कोई अग्रिम समायोजन हेतु प्रदेय है ? यदि हाँ,तो इसके कारण और तो विलंब के लिए कोई एलडी/दंड ब्याज लगाया/वसूल किया गया है? क्या इसकी बैंक गारंटी कराई गई है?
13	यदि इस पार्टी को दिया गया कोई अग्रिम प्रदेय व लंबित है, तो अब और अग्रिम के प्रस्ताव का क्या औचित्य है ?

<u>निदेशक (वित्त) का कार्यालय</u>

सं.18281/99/010-004
17 जुलाई, 2008

<u>सप्लाई/उप संविदा/एएमसी संविदों में ब्याज मुक्त</u>
<u>अग्रिम के भुगतान हेतु शक्ति - प्रत्यायोजन</u>

उपरोक्त विषय पर जारी परिपत्र सं. 18281/99/010-001, दिनांक 28 फरवरी 2007 के संदर्भ में है, जिसमें कुछ विशिष्ट मामलों में/बोर्ड द्वारा, सीएमडी, कार्यशील निदेशकों, महा प्रबन्धकों को यथा प्रत्यायोजित उल्लिखित सीमाओं तक, ब्याज मुक्त अग्रिम - भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया था । इसे सभी यूनिटों को भेजा गया था और इसका अनुपालन किया जा रहा था । इसके उपरांत सीवीसी द्वारा परिपत्र सं. 4 सीसीसीटीई-2, दिनांक 10 अप्रैल 2007 तथा 5 फरवरी, 2008 जारी किए गए, जिनमें स्पष्ट किया गया था कि ब्याज मुक्त अग्रिम को स्वीकृत करने का निर्णय संगठन में बोर्ड स्तर पर (वित्त विभाग कि सहमति से) लिया जाना चाहिए । इन परिपत्रों की प्रतियाँ कार्पोरट सतर्कता द्वारा सभी यूनिटों /एसबीयू प्रमुखों तथा यूनिटों /एसबीयू के वित्तीय अध्यक्षों को अपने पत्र संदर्भ संख्या 21326/31(34)/07-08/सीओवीआईओ, दिनांक 24 मार्च, 2008 का मध्यम से पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं **और यह अपेक्षा की जाती है कि सभी यूनिटों / एसबीयू मे इनका अनुपालन किया जा रहा है ।**

सीवीसी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए, आगे सप्लायर के साथ वार्ता के समय ही ब्याज मुक्त अग्रिम - भुगतान जैसी शर्तों पर, सहमत हो जाने कि परिपाटी को हतोत्साहित किए जाने कि ज़रूरत है । बीईएल की मानक भुगतान शर्तो में किसी तरह के ब्याज मुक्त अग्रिम - भुगतान - चाहे यह आरंभिक भुगतान हो अथवा प्रगामी भुगतान हो, की बात शामिल नहीं होनी चाहिए । तथापि जहां ब्याज मुक्त अग्रिम- भुगतान करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, ऐसे प्रस्तावों में बोर्ड से अनुमोदन ज़रूरी है और इसे यह सुनिशचित करने के बाद, कि सीवीसी के दिनांक 10 अप्रैल 2007 तथा 5 फरवरी 2008 में दी गईं अपेक्षाएँ पूर्ण कर ली गई हैं और कार्पोरेट ऑफिस परिपत्र सं. 18281/99/010-001, दिनांक 28 फरवरी, 2007 के अनुसार अपेक्षित विवरण दे दिए गए हैं, पूर्ण औचित्य के साथ कार्पोरेट ऑफिस को भेजा जाना है । सभी यूनिटों/एसबीयू प्रमुखों से उपरोक्त अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिशचित करने हेतु अनुरोध किया जाता है । परिपत्र सं. 18281/99/010-001, दिनांक 28 फरवरी 2007 में अपेक्षित आवश्यक संशोधन तैयार किए जा रहे हैं जो शीघ्र जारी किए जाएंगे ।

हस्त/-
निदेशक (वित्त)

सभी यूनिट प्रमुख / सभी एसबीयू प्रमुख
अपर महा प्रबंधक (वित्त)/कार्पो -बेंगलूर काम्प्लेक्स
सभी यूनिटों में वित्तीय प्रमुख / सभी एसबीयू में वित्तीय प्रमुख

प्रति - निदेशक (बे.कॉ.) निदेशक (अ.यू.) सीवीओ - सूचनार्थ

संलग्नक - 8

(विक्रेता से उसके पास पड़ी सामग्री के संबंध मे, लिया जाने वाला प्रमाण पत्र)

विक्रेता द्वारा सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि संलग्नक मे सूची बद्ध समस्त सामग्री, मात्रा और मूल्य, जो आपसे मिले विभिन्न आर्डरों के तहत हमें प्राप्त हुए थी, हमारे पास पड़ी है तथा 31 मार्च को हमारी कंपनी के स्टॉक में उपलब्ध है ।

हस्ताक्षर -

नाम -

कंपनी की मुहर -

संलग्नक - 1

विक्रेता के लिए एस सी स्टॉक अनुवीक्षण

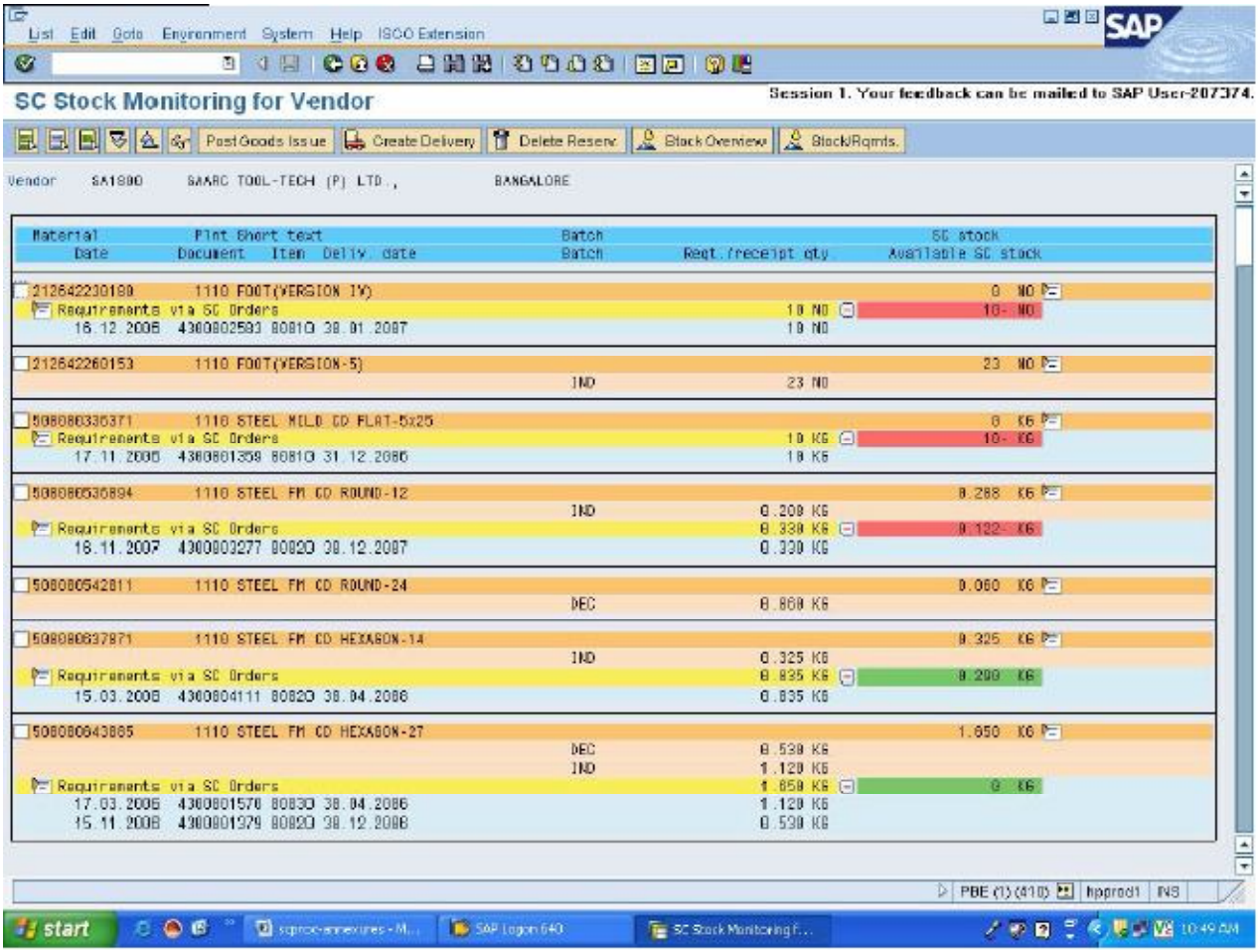

एम ई 20 की आउट पुट सूची (ऐक्सल शीट में प्रतिकृत) विक्रेता के लिए सत्यापन हेतु संलग्नक है / एमबीएलबी रिपोर्ट का उपयोग भी किया जा सकता है ।

<u>संलग्नक - 9</u>

सामान्य निबंधन व शर्तें (क्रय आदेशों - विक्रेता सामग्री हेतु)

1. कच्चा माल बी ई एल द्वारा सप्लाई नहीं किया जाएगा
2. सप्लायर को आइटम ड्राइंग के अनुरूप बनाना है ।
3. समस्त विमाएँ क्रांतिक और महत्व पूर्ण हैं ।
4. सप्लायर को संविरचन/मिल/टर्न/मोल्ड/वेल्ड/बैंड/ड्रिल/टेप/ग्राइंड आदि कार्य/ड्राइंग के अनुरूप करने हैं ।
5. सप्लाई अस्वीकृत हो जाने की स्थिति में, बदले में दूसरी सप्लाई निःशुल्क की जानी है ।
6. बड़ी मात्रा में सप्लाई करने से पहले, पहली सप्लाई के लिए बीईएल- क्यूए का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।
7. पुनः कार्य यदि कोई होता है, निः शुल्क किया जाना चाहिए ।
8. तैयार पार्ट्स अच्छी तरह से पैक व सप्लाई किए जाने चाहिए ।
9. कृपया आर्डर-स्वीकृति की पावती, वापसी डाक/ई-मेल/फैक्स के जरिए भेजें ।
10. कृपया डिलिवरी - चलान की प्रतियाँ, बिना चूक के, प्रबंधक/उप संविदा/एम आर को भेजें।
11. सुपुर्दगी / परि निर्धारित नुकसान

    क्रय आदेश में यथा निर्धारित भंडार की लिए समय और डिलिवरी की तिथि को संविदा का मूल तत्व माना जाएगा तथा डिलिवरी इसमें उल्लिखित तिथि से पहले पूरी कर दी जानी चाहिए । सप्लायर के कोई सामान अथवा परेषण की सुपुर्दगी, इसके लिए निर्धारित अवधि में का देने में असफल रहने की स्थिति में , बीईएल को निम्न विकल्पों का अधिकार होगा -

    क) सप्लायर से परि निर्धारित नुकसान की वसूली करना, विलंब के प्रत्येक सप्ताह अथवा सप्ताह के भाग की लिए समय पर सुपुर्द न किए गए साम्मान अथवा परेषण की कीमत के 0.5% (समय - प्राथमिकता आधार पर दिए गए क्रय आदेश के मामले में 2.5%) राशि का अर्थ दंड, 10%(समय - प्राथमिकता आधार पर दिए गए क्रय आदेश के मामले में 25 %) की अधिकतम सीमा के साथ वसूल करना अथवा

    ख) सुपुर्द न किए गए सामान की, सप्लायर के जोखिम व लागत पर, किसी अन्य से खरीद करना अथवा

    ग) क्रय आदेश को रद्द कर देना ।

    उपरोक्त ख और ग के अंतर्गत कोई कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, बीईएल को हुए किसी नुकसान के लिए सप्लायर उत्तरदाई होगा किन्तु, सप्लाई न होने के कारण की गई पुनः खरीद से होने वाली किसी प्राप्ति हेतु सप्लायर हकदार नहीं होगा ।

12. डिलिवरी के समय सामग्री - विश्लेषण और विमीय रिपोर्ट भी दी जानी है ।
13. भुगतान की शर्तें-आइटम को बीईएल, क्यूए द्वारा स्वीकृत किए जाने के 30 दिन के भीतर 100% भुगतान।
14. उत्पादन शुल्क से छूट - इस आर्डर के तहत आदेशित आइटम पूर्णत रक्षा उत्पादन के लिए बनाए जाने हैं, अतः केंद्रीय उत्पादन शुल्क-छूट अधिसूचना सं. 63/95 दिनांक 16.03.1995 तथा बाद के केंद्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. को रक्षा उत्पादन के लिए सप्लाई किए गए आइटम केंद्रीय उत्पादन शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। इसलिए इस आर्डर के तहत केंद्रीय उत्पादन शुल्क लागू नहीं है ।

15. विचलन युक्त आइटमों लिए बीईएल का पूर्व अनुमोदन लिया जाना है।

16. आर्डर को क्रियान्वित करने के दौरान/बाद मे, घोषित उत्पादन मे किसी तरह की गैर अनुरूपता पाए जाने पर, सप्लायर द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बी ई एल को सूचित किया जाना चाहिए ।

17. सप्लायर को अपेक्षाओं की अनुरूपता के प्रमाण उपलब्ध करने के लिए अभिलेख तैयार करने और रखने चाहिए तथा उन्हें बीईएल/हमारे ग्राहकों और नियमन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराना चाहिए । इसके अलावा नियमन प्राधिकारियों को जब भी अपेक्षित हो, सप्लायर/संगठन के परिसरों का दौरा और सत्यापन करने का अधिकार है ।

18. सप्लायर द्वारा प्रक्रिया के ब्यौरे और उप स्तरीय सप्लायर - सूचना समेत अन्य लागू अभिलेख दिए जाने चाहिए ।

19. कृपया संरक्षा, स्वास्थ्य और 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबद्धता का एक पत्र प्रस्तुत करें ।

20. सप्लायर द्वारा संदिग्ध गैर अनुरूपता / गैर अनुरूपता युक्त उत्पाद / प्रेषित आइटम, यदि कोई है, की लिखित सूचना, ऐसी गैर अनुरूपता/ गैर अनुरूपता युक्त उत्पाद / प्रेषित आइटम, की पहचान/प्रेक्षण/ बोध होने के 12 घंटों के भीतर, बगैर नागा के, कंपनी (बीईएल) को दी जानी चाहिए ।

21. कृपया पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस : आईएसओ 14001 : 2004) जैसे हवा, पानी, ज़मीन के प्रदूषण की रोक थ ।म के दिशा निर्देशों का पालन करें । पर्यावरणीय सांविधिक पुन: चक्रण को अपनाएं तथा प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु पुन: उपयोग की आदत डालें । अपने समस्त कर्मचारियों मे पर्यावरणीय जागरूकता फैलाएँ ।

22. किसी स्पष्टीकरण के लाइक कृपया संपर्क करें - संबन्धित उप संविदा प्रमुख /व्यक्ति, से उनके फोन नं/ ई-मेल पते पर संपर्क करें ।

<u>संलग्नक - 10</u>

सामान्य निबंधन एवं शर्तें (बीओएम आर्डरों के लिए)

1. कच्चा माल बी ई एल द्वारा सप्लाई किया जाएगा

2. सप्लायर को आइटम ड्राइंग के अनुरूप बनाना है ।

3. समस्त विमाएँ क्रांतिक और महत्व पूर्ण हैं ।

4. सप्लायर को संविरचन/मिल/टर्न/मोल्ड/वेल्ड/बैंड/ड्रिल/टेप/ग्राइंड आदि कार्य/ड्राइंग के अनुरूप करने हैं ।

5. सप्लाई अस्वीकृत हो जाने की स्थिति में, बदले में दूसरी सप्लाई नि:शुल्क की जानी है ।

6. बड़ी मात्रा में सप्लाई करने से पहले, पहली सप्लाई के लिए बीईएल का अनुमोदन लिया जाना चाहिए ।

7. पुन: कार्य यदि कोई होता है, नि: शुल्क किया जाना चाहिए ।

8. तैयार पार्ट्स अच्छी तरह से पैक व सप्लाई किए जाने चाहिए ।

9. कृपया आर्डर-स्वीकृति की पावती, वापसी डाक / ई मेल / फेक्स के जरिए भेजें ।

10. कृपया डिलिवरी - चलान की प्रतियाँ, बिना चूक के, प्रबंधक, उप संविदा/एम आर को भेजें ।

11. सुपुर्दगी / परि निर्धारित नुकसान

    क्रय आदेश में यथा निर्धारित भंडार की लिए समय और डिलिवरी की तिथि को संविदा का मूल तत्व माना जाएगा तथा डिलिवरी इसमें उल्लिखित तिथि से पहले पूरी कर दी जानी चाहिए । सप्लायर के कोई सामान अथवा परेषण की सुपुर्दगी, इसके लिए निर्धारित अवधि में का देने में असफल रहने की स्थिति में, बीईएल को निम्न विकल्पों का अधिकार होगा -

    क) सप्लायर से परि निर्धारित नुकसान की वसूली करना, विलंब के प्रत्येक सप्ताह अथवा सप्ताह के भाग की लिए समय पर सुपुर्द न किए गए सामान अथवा परेषण की कीमत के 0.5% (समय - प्राथमिकता आधार पर दिए गए क्रय आदेश के मामले में 2.5%) राशि का अर्थ दंड , 10% (समय - प्राथमिकता आधार पर दिए गए क्रय आदेश के मामले में 25 %) की अधिकतम सीमा के साथ वसूल करना अथवा

    ख) सुपुर्द न किए गए सामान की, सप्लायर के जोखिम व लागत पर, किसी अन्य से खरीद करना अथवा

    ग) क्रय आदेश को रद्द कर देना ।

    उपरोक्त ख और ग के अंतर्गत कोई कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, बीईएल को हुए किसी नुकसान के लिए सप्लायर उत्तरदाई होगा किन्तु, सप्लाई न होने के कारण की गई पुन: खरीद से होने वाली किसी प्राप्ति हेतु सप्लायर हकदार नहीं होगा ।

12. डिलिवरी के समय विमीय रिपोर्ट भी दी जानी है ।

13. भुगतान की शर्तें - आइटम को बीईल, क्यूए द्वारा स्वीकृत किए जाने के 30 दिन के भीतर 10% भुगतान।

14. उत्पादन शुल्क से छूट - इस आर्डर के तहत आदेशित आइटम पूर्णत रक्षा उत्पादन के लिए बनाए जाने हैं, अत: केंद्रीय उत्पादन शुल्क - छूट अधिसूचना सं. 63/95 दिनांक 16.03.1995 तथा बाद के केंद्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. को रक्षा उत्पादन के लिए सप्लाई किए गए आइटम केंद्रीय उत्पादन शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं । इसलिए इस आर्डर के तहत केंद्रीय उत्पादन शुल्क लागू नहीं है ।

15. विचलन युक्त आइटमों लिए बी ई एल का पूर्व अनुमोदन लिया जाना है।

16. आर्डर को क्रियान्वित करने के दौरान /बाद मे, घोषित उत्पादन मे किसी तरह की गैर अनुरूपता पाए जाने पर, सप्लायर द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बी ई एल को सूचित किया जाना चाहिए ।

17. सप्लायर को अपेक्षाओं की अनुरूपता के प्रमाण उपलब्ध करने के लिए अभिलेख तैयार करने और रखने चाहिए तथा उन्हें बीईएल/हमारे ग्राहकों और नियमन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराना चाहिए । इसके अलावा नियमन प्राधिकारियों को जब भी अपेक्षित हो, सप्लायर/संगठन के परिसरों का दौरा और सत्यापन करने का अधिकार है ।

18. सप्लायर द्वारा प्रक्रिया के ब्यौरे और उप स्तरीय सप्लायर - सूचना समेत अन्य लागू अभिलेख दिए जाने चाहिए ।

19. कृपया संरक्षा, स्वास्थ्य और 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबद्धता का एक पत्र प्रस्तुत करें ।

20. सप्लायर द्वारा संदिग्ध गैर अनुरूपता/ गैर अनुरूप्ता युक्त उत्पाद/प्रेषित आइटम, यदि कोई है, की लिखित सूचना, ऐसी गैर अनुरूपता/गैर अनुरूपता युक्त उत्पाद/प्रेषित आइटम, की पहचान/प्रेक्षण/बोध होने के 12 घंटों के भीतर, बगैर नागा के, कंपनी (बीईएल) को दी जानी चाहिए ।

21. कृपया पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस- आईएसओ 14001:2004) जैसे हवा, पानी, ज़मीन के प्रदूषण की रोक थाम के दिशा निर्देशों का पालन करें । पर्यावरणीय सांविधिक पुन: चक्रण को अपनाएं तथा प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु पुन: उपयोग की आदत डालें । अपने समस्त कर्मचारियों मे पर्यावरणीय जागरूकता फैलाएँ ।

22. किसी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया संपर्क करें - संबन्धित उप संविदा प्रमुख/व्यक्ति, से उनके फोन नं/ ई-मेल पते पर संपर्क करें ।

संलग्नक - 11

विक्रेता रेटिंग रिपोर्ट **09.05.2008**

1. ट्रांजेक्षन कोड - ज़ेडओएम 053

2. इनपुट -

क) क्रय कर्ता संगठन (विकल्प - बीईपीओ, एनवाईपीओ, एसआईपीओ) - अनिवार्य

ख) संयंत्र (उदाहरणार्थ - यदि रिपोर्ट सम्पूर्ण कंपनी - कोड के लिए तैयार की जानी है, जैसे कि बेंगलूरु, तो टाइप करें -11* । इसी प्रकार 13* गाजियाबाद के लिए इत्यादि)

ग) अवधि (अवधि के दौरान तैयार की गई समस्त जी आर को शामिल किया जाएगा) - अनिवार्य

घ) विक्रेता (रिपोर्ट एक विक्रेता, विक्रेताओं की सूची अथवा सम्पूर्ण विक्रेताओं के लिए हो सकती है) ।

ङ) रेडियो बटन ग्रुप 1 - क्रय पार्ट्स अथवा उप संविदा पार्ट्स के लिए रिपोर्ट चलाने का विकल्प (क्रय पार्ट्स अथवा उप संविदा पार्ट्स के लिए गुणवत्ता रेटिंग और सुपुर्दगी रेटिंग की गणना भिन्न भिन्न हैं)

च) रेडियो बटन ग्रुप 2 - एक सारांश रिपोर्ट (रैंकिंग सूची) अथवा विस्तृत रिपोर्ट (जी आर लाइन आइटमों के साथ) के चयन का विकल्प ।

छ) जांच बाक्स - केवल विदेशी विक्रेताओं, केवल स्थानीय विक्रेताओं, अथवा दोनों प्रकार के विक्रेताओं के लिए रिपोर्ट चलाने का विकल्प ।

3. आंकड़े चयन का आधार -

क) केवल उन्हीं आंकड़ों का चयन किया जाएगा जिनके लिए यूडी पूरी की जा चुकी है(अर्थात उन मामलों, जहां यूडी पूरी नहीं की गई है अथवा यूडी आंशिक रूप से पूरी की गई है पर विचार नहीं किया जाएगा)।

ख) गुणवत्ता रेटिंग के लिए महत्व 60 और सुपुर्दगी रेटिंग के लिए 40 है । इस प्रकार कुल मिलाकर विक्रेता की रेटिंग 100 है। (सेवा प्राचलों का ध्यान नहीं रखा जाता है) ।

ग) क्रय आर्डरों मे जहां लेखा समनुदेशन "एफ़" अथवा "के" है, गुणवत्ता रेटिंग 100% मानी जाती है। इन मामलों मे निरीक्षण क्षेत्र मे कार्यरत लोगों के पास,गुणवत्ता स्वीकृत/अस्वीकृत प्रविष्ट करने का विकल्प नहीं होगा।

घ) क्रय पार्ट्स के मामले मे "वापसी डिलिवरी "के अंतर्गत रखी गई गुणवत्ता को अस्वीकृत और उप संविदा आइटमों के मामले मे "ब्लोक्ड स्टॉक "के अंतर्गत रखी गई गुणवत्ता को अस्वीकृत माना जाएगा ।

ङ) क्रय आर्डरों मे लिखी गई "अंतरित डिलिवरी "के मामले मे, डिलिवरी में विलंब की गणना अद्यतन डिलिवरी की तिथि के अनुसार की जाती है ।

च) **विदेशी खरीद - क्रय आर्डर टाइप - आईएमपी, आईएमडी, डीईई, डीईसी**
स्थानीय खरीद - क्रय आर्डर टाइप - आईएनसी, आईएनडी
उप संविदा - क्रय आर्डर टाइप - सीएसपी, डीएसपी, एफ़एसपी, ईएसपी,

छ) विदेशी क्रय आर्डर के मामले में, विलंबित दिन होंगे [इन्वायस तिथि (एमआईआरओ)-क्रय आर्डर में डिलिवरी की तिथि], स्थानीय क्रय आर्डर के मामले में, विलंबित दिन होंगे [जीआर पोस्टिंग तिथि-क्रय आर्डर में डिलिवरी की तिथि] ।

4 . आउटपुट -

क. सारांश रिपोर्ट (क्रय पार्ट्स अथवा उप संविदा पार्ट्स के लिए समान)

सारांश रिपोर्ट में निम्न फील्ड होंगे -

- विक्रेता कोड
- विक्रेता नाम
- देश मूल
- गुणवत्ता रेटिंग
- डिलिवरी रेटिंग
- विक्रेता रेटिंग

जब रिपोर्ट विदेशी और स्थानीय दोनों विक्रेताओं हेतु चलाई जानी है, उपयोक्ता "देश मूल फील्ड" के आधार पर आउटपुट को फिल्टर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए "देश मूल फील्ड" पर फिल्टर - आईएन करने से स्थानीय विक्रेता दर्शाए जाएंगे, जबकि देश मूल फील्ड" पर फिल्टर#आईएन करने से सभी विदेशी विक्रेता दर्शाए जाएंगे। रिपोर्ट को किसी भी फील्ड से निकाला जा सकता है ।

ख. क्रय पार्ट्स - विवरण

विस्तृत रिपोर्ट में निम्न फील्ड होंगे -

- जीआर नं और जीआर में पोस्टिंग की तिथि
- क्रय आर्डर नं और तिथि
- देश मूल फील्ड - विदेशी और स्थानीय दोनों विक्रेताओं को फिल्टर करने के लिए
- संयंत्र - संयन्त्रों के सेट के लिए रिपोर्ट चलाने में उपयुक्त
- खरीदकर्ता ग्रुप- खरीदकर्ता ग्रुप के रिकार्ड फिल्टर किए जा सकते हैं (तथापि विक्रेता के लिए गुणवत्ता, डिलिवरी और विक्रेता रेटिंग केवल कुल मिलाकर ही दर्शाई जाएगी, केवल किसी एक खरीद कर्ता ग्रुप के नही) ।
- क्रय आर्डर टाइप रेटिंग
- डिलिवरी तिथि (क्रय आर्डर) मे
- विलंबित दिन-जीआर/इन्वायस तिथि- क्रय आर्डर मे दी गई डीडी
- सामग्री नं.
- निरीक्षण लोट नं.
- प्राप्त हुई मात्रा, जी आर मात्रा में,
- स्वीकृत मात्रा, यू डी एसीसीपी के विरुद्ध अप्रतिबंधित उपयोग हेतु पोस्टिड मात्रा होगी ।
- विचलन के साथ स्वीकृत मात्रा, यू डी एसीयूडी के विरुद्ध अप्रतिबंधित उपयोग हेतु पोस्टिड मात्रा होगी
- अस्वीकृत मात्रा," वापसी डिलिवरी "हेतु पोस्टिड मात्रा होगी (केवल सूचनार्थ) ।
- गुणवत्ता रेटिंग की गणना निम्न प्रकार की जाती है -

क = कुल जी आर मात्रा स्वीकृत/कुल जी आर मात्रा)*100

ख = [विचलन के साथ स्वीकृत कुल मात्रा,*0, 4]

फाइनल गुणवत्ता रेटिंग=(क + ख)* 0, 6

- डिलिवरी रेटिंग की गणना निम्न प्रकार की जाती है - क्रय प्रक्रिया में यथा विहित डिलिवरी अनुसूची के आधार पर स्कोर निर्धारित किया जाता है, [विदेशी विक्रेताओं के मामले में, एमआई आरओ में, जीआर तिथि के स्थान पर इनवाइस तिथि को माना जाता है]

विलंबित डिलिवरी - सप्ताहों की संख्या	डिलिवरी रेटिंग
समय से पहले या समय पर	100%
0 से 1 सप्ताह	90%
1 से 2 सप्ताह	80%
2 से 3 सप्ताह	70 %
3 से 4 सप्ताह	60 %
4 से 5 सप्ताह	50 %
> 5 सप्ताह	0 %

फाइनल डिलिवरी रेटिंग= डिलिवरी रेटिंग*0.4

- विक्रेता रेटिंग= गुणवत्ता रेटिंग + डिलिवरी रेटिंग
- विक्रेता टाइप प्रदर्शित करता है-स्थानीय अथवा विदेशी(केवल सूचनार्थ, इस फील्ड में फिल्टर नहीं हो सकता) ।

- लेखा समनुदेशन - ई (बिक्री आर्डर), क्यू (परियोजना),एफ़ (आंतरिक आर्डर), के (लागत केंद्र),अथवा खाली (स्टॉक) । "एफ़" तथा "के" के मामले में, गुणवत्ता रेटिंग 100% मानी जाती है, अर्थात पूर्ण स्कोर माना जाता है।

टिप्पणी - गुणवत्ता, डिलिवरी और रेटिंग, विक्रेता के लिए सभी अभिलेखों के अंत में, हरे रंग की पंक्ति में आते हैं । प्रत्येक विक्रेता के संबंध में प्राप्त हुई स्वीकृत मात्रा, विचलन के साथ स्वीकृत मात्रा, अस्वीकृत मात्रा, का सब टोटल डिस्प्ले किया जाता है । रिपोर्ट के अंत में उपरोक्त चार फ़ील्डों के लिए सकल योग डिस्प्ले किया जाता है ।

ग. उप संविदा - विवरण

विस्तृत रिपोर्ट में निम्न फील्ड होंगे -

- जी आर नं और जी आर में पोस्टिंग की तिथि
- क्रय आर्डर नं और तिथि
- देश मूल फील्ड - विदेशी और स्थानीय दोनों विक्रेताओं को फिल्टर करने के लिए
- संयंत्र - संयन्त्रों के सेट के लिए रिपोर्ट चलाने में उपयुक्त
- खरीद कर्ता ग्रुप -
- क्रय आर्डर टाइप
- डिलिवरी तिथि (क्रय आर्डर) मे
- विलंबित दिन : जीआर -तिथि- क्रय आर्डर मे दी गई डी डी
- सामग्री नं .
- निरीक्षण लॉट नं .
- प्राप्त हुई मात्रा, जीआर मात्रा होगी,
- स्वीकृत मात्रा, यूडी कोड एसीसीपी के विरुद्ध अप्रतिबंधित उपयोग हेतु पोस्टिड मात्रा होगी ।
- विचलन के साथ स्वीकृत मात्रा, यूडी एसीयूडी के विरुद्ध अप्रतिबंधित उपयोग हेतु पोस्टिड मात्रा होगी
- रिवर्क के साथ स्वीकृत मात्रा, यूडी एआरडबल्यूके के विरुद्ध अप्रतिबंधित उपयोग हेतु पोस्टिड मात्रा होगी
- बदले जाने के बाद,स्वीकृत मात्रा, यूडी कोड एसीआरपी के विरुद्ध अप्रतिबंधित उपयोग हेतु पोस्टिड मात्रा होगी।
- अस्वीकृत मात्रा, " ब्लोक्ड स्टॉक" हेतु पोस्टिड मात्रा होगी (केवल सूचनार्थ) ।
- गुणवत्ता रेटिंग की गणना निम्न प्रकार की जाती है -

  क = कुल जी आर मात्रा स्वीकृत / कुल जी आर मात्रा)*100

  ख = [रीवर्क के साथ स्वीकृत कुल मात्रा,* 0, 5] / कुल जी आर मात्रा)*100

  ग = [रिपलेसमेंट के साथ स्वीकृत कुल मात्रा,* 0, 4] / कुल जी आर मात्रा)*100

  घ = [विचलन के साथ स्वीकृत कुल मात्रा,* 0, 7] / कुल जी आर मात्रा)*100

फाइनल गुणवत्ता रेटिंग=(क+ख+ग+घ)* 0.6

- डिलिवरी रेटिंग-क्रय प्रक्रिया में यथा विहित डिलिवरी अनुसूची के आधार पर स्कोर निर्धारित किया जाता है ।

विलंबित डिलिवरी - सप्ताहों की संख्या	डिलिवरी रेटिंग
5 तक (और समय से पहले या समय पर)	100%
6 से 10	90%
11 से 15	85 %
16 से 20	70 %
21 से 25	5 0 %
26 से 30	2 5 %
31 से अधिक 5	0 %

फाइनल डिलिवरी रेटिंग= डिलिवरी रेटिंग * 0, 4

- विक्रेता रेटिंग= गुणवत्ता रेटिंग + डिलिवरी रेटिंग

विक्रेता टाइप प्रदर्शित करता है -" स्थानीय" अथवा विदेशी (केवल सूचनार्थ, इस फील्ड में फिल्टर नहीं हो सकता)।

- लेखा समनुदेशन - ई (बिक्री आर्डर), क्यू (परियोजना), एफ़ (आंतरिक आर्डर), के (लागत केंद्र), अथवा खाली (फ्रीस्टॉक) । "एफ़" तथा" "के" के मामले में, गुणवत्ता रेटिंग 100% मानी जाती है, अर्थात पूर्ण स्कोर माना जाता है ।

  टिप्पणी - गुणवत्ता, डिलिवरी और रेटिंग, विक्रेता के लिए सभी अभिलेखों के अंत में, हरे रंग की पंक्ति में आते हैं। प्रत्येक विक्रेता के संबंध में प्राप्त हुई, स्वीकृत मात्रा, विचलन के साथ स्वीकृत मात्रा, अस्वीकृत मात्रा, का सब टोटल डिस्प्ले किया जाता है । रिपोर्ट के अंत में उपरोक्त चार फ़ील्डों के लिए सकल योग डिस्प्ले किया जाता है।

टिप्पणी - यदि विक्रेता रेटिंग व्यापक आंकड़ों के लिए चलाई जानी है, उदाहरण के लिए - संयंत्र के अंदर, एक वर्ष के लिए सभी विक्रेताओं के संबंध में, रिपोर्ट कृपया पृष्ठ भूमि में चलाएं।

रिपोर्ट पृष्ठ भूमि में चलाया जाना -

क. संबन्धित इनपुट प्रविष्ट करने के बाद, मीनू में, चयन करें, प्रोग्राम → पृष्ठ भूमि में चलाएं।

ख. पॉप अप में "पृष्ठ भूमि प्रिंट प्राचल"संबन्धित प्रिन्टर व सेटिंग का चयन करें, हारा टिक मार्क मार्क पर क्लिक करें ।

ग. पॉप अप में "स्टार्ट टाइम" "इमिडीएट" बटन पर क्लिक करें । "सेव "बटन पर क्लिक करें ["चेक से अगला बटन नीचे]

घ. यह सूचित करते हुए कि पृष्ठ भूमि जाब,ज़ेड क्यू एम आर 0047 हेतु अनुसूचित था , एक संदेश डिस्प्ले होगा ।

ङ. रिपोर्ट का निष्पादन पूर्ण होने के बाद, "सिस्टम →ओवन स्पूल रिक्वेस्ट " पर क्लिक करके , आउटपुट कि जांच करें ।

च. सम्बद्ध स्पूल रिक्वेस्ट नं का चयन करें, और "टाइप "पर क्लिक करें ।

छ. इसके बाद, "स्पूल रिक्वेस्ट (रिक्वेस्ट नं) का आरेखीय चित्र" डिस्प्ले होगा । "सेटिंग" पर क्लिक करें और डिस्प्ले क्षेत्र को , स्पूल के अधिकतम पृष्ठों तक परिवर्तित करें। ज. स्क्रीन पर सारे पृष्ठ डिस्प्ले हो जाने पर, मीनू से स्पूल रिक्वेस्ट → फारवर्ड → स्थानीय फ़ाईल में सेव करें । पॉप अप में "स्प्रेड शीट" का चयन करें, फ़ाईल का कोई नाम प्रविष्ट करें और अपेक्षित पाथ में सेव करें ।

<u>स्क्रीन शाट्स (सेमपल डाटा)</u>

क्रय पार्ट्स के लिए सेमपल इनपुट सारांश रिपोर्ट

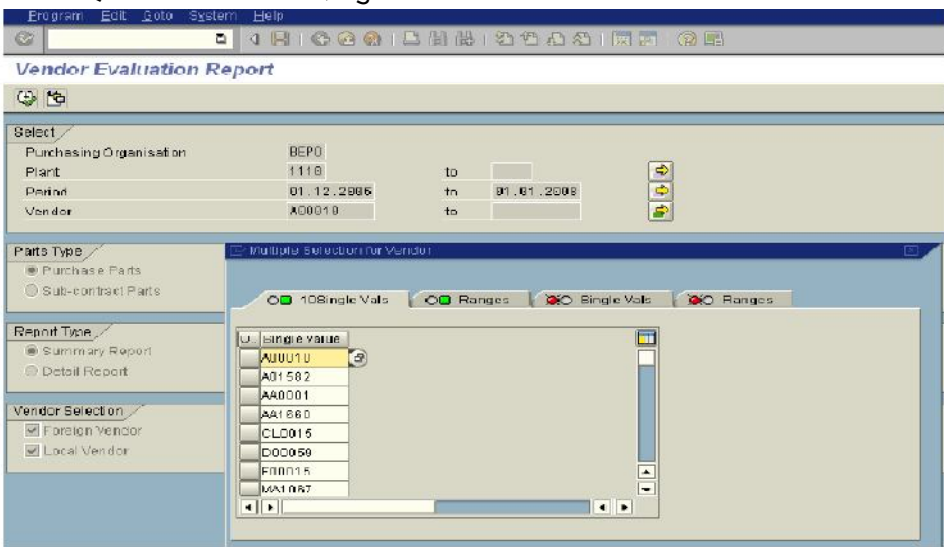

विक्रेता मूल्यांकन सारांश रिपोर्ट -

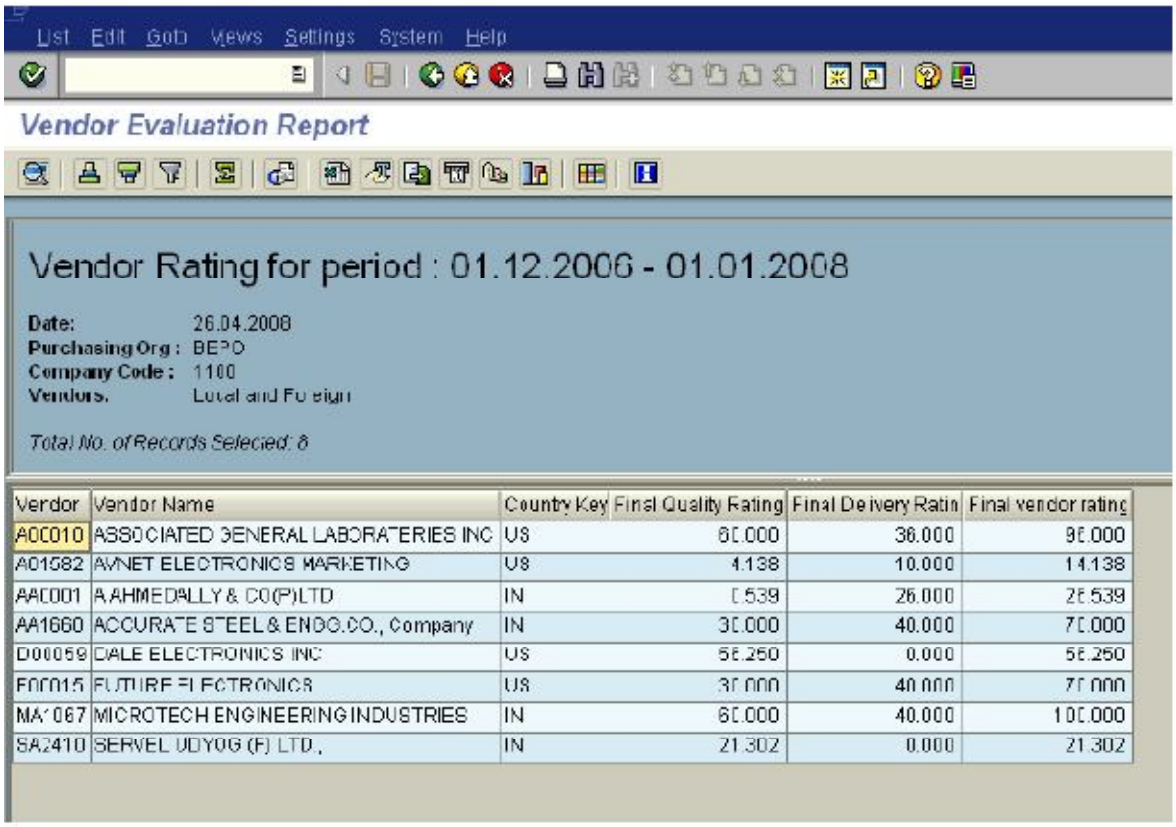

List Edit Goto Views Settings System Help

Vendor Evaluation Report

Vendor Rating for period : 01.12.2006 - 01.01.2008

Date: 26.04.2008
Purchasing Org : BEPO
Company Code : 1100
Vendors: Local and Foreign

Total No. of Records Selected: 8

Vendor	Vendor Name	Country Key	Final Quality Rating	Final Delivery Ratin	Final vendor rating
A0C010	ASSOCIATED GENERAL LABORATERIES INC	US	60.000	36.000	96.000
A01582	AVNET ELECTRONICS MARKETING	US	4.138	10.000	14.138
AAC001	A AHMEDALLY & CO(P)LTD	IN	0.539	26.000	26.539
AA1660	ACCURATE STEEL & ENGG.CO., Company	IN	30.000	40.000	70.000
D00059	DALE ELECTRONICS INC	US	56.250	0.000	56.250
F00015	FUTURE ELECTRONICS	US	30.000	40.000	70.000
MA1067	MICROTECH ENGINEERING INDUSTRIES	IN	60.000	40.000	100.000
SA2410	SERVEL UDYOG (P) LTD.,	IN	21.302	0.000	21.302

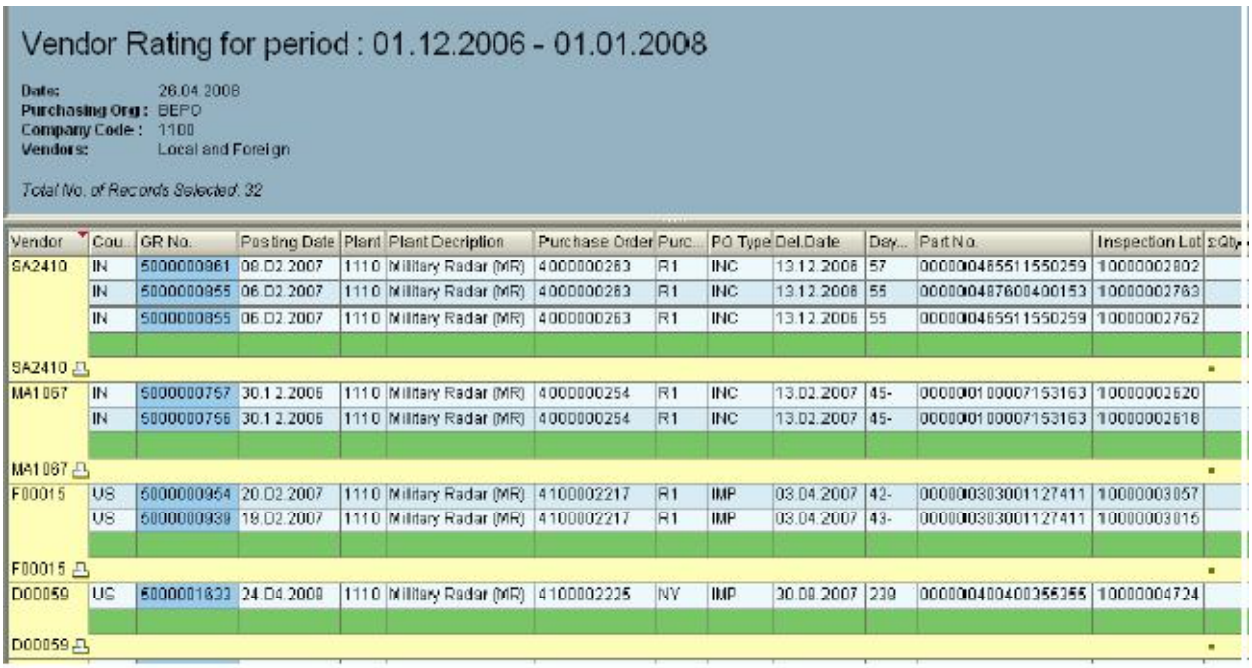

विक्रेता मूल्यांकन विस्तृत रिपोर्ट -

Vendor Rating for period : 01.12.2006 - 01.01.2008

Date: 26.04.2008
Purchasing Org : BEPO
Company Code : 1100
Vendors: Local and Foreign

Total No. of Records Selected: 32

Vendor	Cou..	GR No.	Posting Date	Plant	Plant Decription	Purchase Order	Purc...	PO Type	Del.Date	Day...	Part No.	Inspection Lot	ΣQty
SA2410	IN	5000000961	08.02.2007	1110	Military Radar (MR)	4000000263	R1	INC	13.12.2006	57	000000465511550259	10000002802	
	IN	5000000955	06.02.2007	1110	Military Radar (MR)	4000000263	R1	INC	13.12.2006	55	000000487600400153	10000002763	
	IN	5000000855	06.02.2007	1110	Military Radar (MR)	4000000263	R1	INC	13.12.2006	55	000000465511550259	10000002762	
SA2410													
MA1067	IN	5000000757	30.12.2006	1110	Military Radar (MR)	4000000254	R1	INC	13.02.2007	45-	000000100007153163	10000002620	
	IN	5000000756	30.12.2006	1110	Military Radar (MR)	4000000254	R1	INC	13.02.2007	45-	000000100007153163	10000002616	
MA1067													
F00015	US	5000000954	20.02.2007	1110	Military Radar (MR)	4100002217	R1	IMP	03.04.2007	42-	000000303001127411	10000003057	
	US	5000000939	19.02.2007	1110	Military Radar (MR)	4100002217	R1	IMP	03.04.2007	43-	000000303001127411	10000003016	
F00015													
D00059	US	5000001633	24.04.2008	1110	Military Radar (MR)	4100002225	NY	IMP	30.08.2007	239	000000400400355355	10000004724	
D00059													

विक्रेता मूल्यांकन विस्तृत रिपोर्ट - (पार्ट 2)

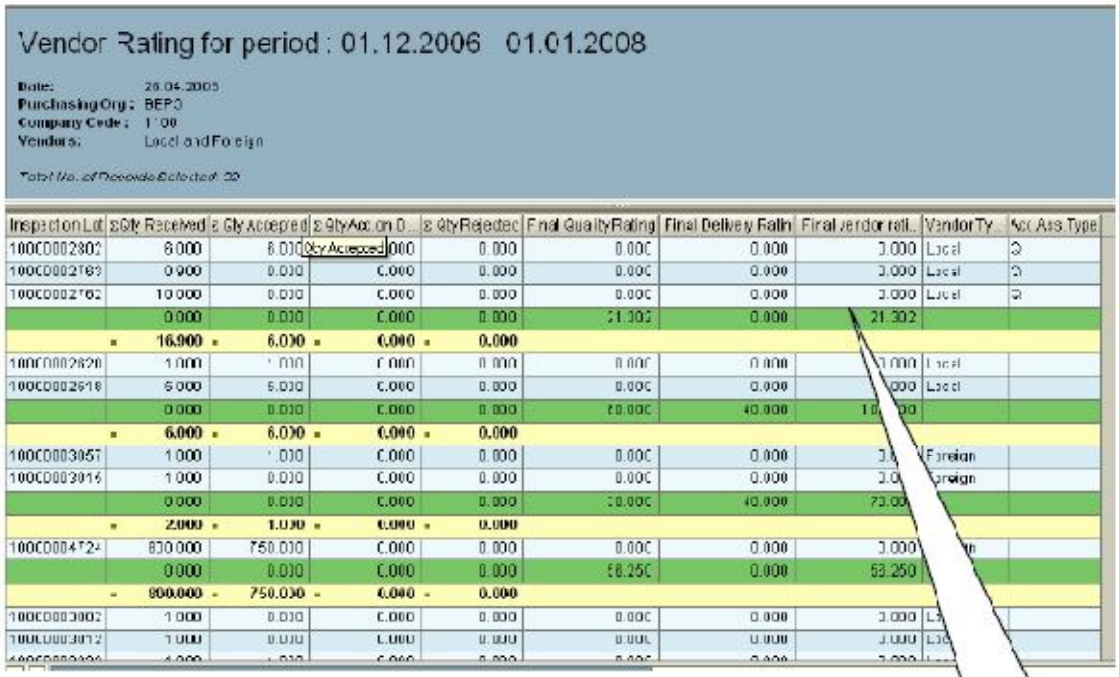

Vendor Rating for period : 01.12.2006 01.01.2008

Date: 26.04.2005
PurchasingOrg : BEPO
Company Code : 1100
Vendors: Local and Foreign

Total No. of Records Selected: 32

Inspection Lot	ΣQty Received	Σ Qty Accepted	Σ QtyAcc.on D...	Σ QtyRejected	Final QualityRating	Final Delivery Ratin	Final vendor rati...	VendorTy...	Acc.Ass.Type
100000002802	6.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Local	Q
100000002763	0.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Local	Q
100000002762	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Local	Q
	0.000	0.000	0.000	0.000	21.303	0.000	21.302		
	= 16.900	= 6.000	= 0.000	= 0.000					
100000002620	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	[illegible]0.000	Local	
100000002618	5.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	[illegible]	Local	
	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000	40.000	10[illegible]		
	= 6.000	= 6.000	= 0.000	= 0.000					
100000003057	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	[illegible]	Foreign	
100000003015	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	[illegible]	Foreign	
	0.000	0.000	0.000	0.000	30.000	40.000	70.00[illegible]		
	= 2.000	= 1.000	= 0.000	= 0.000					
100000004724	800.000	750.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	[illegible]	
	0.000	0.000	0.000	0.000	53.250	0.000	53.250		
	= 800.000	= 750.000	= 0.000	= 0.000					
100000003002	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	L[illegible]	
100000003012	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Lo[illegible]	

विक्रेता के लिए, गुणवत्ता, डिलिवरी और विक्रेता रेटिंग ग्रीन बैंड पर डिस्प्ले कि गई हैं।

उप संविदा पार्ट्स के लिए सेमपल इनपुट, विस्तृत रिपोर्ट -

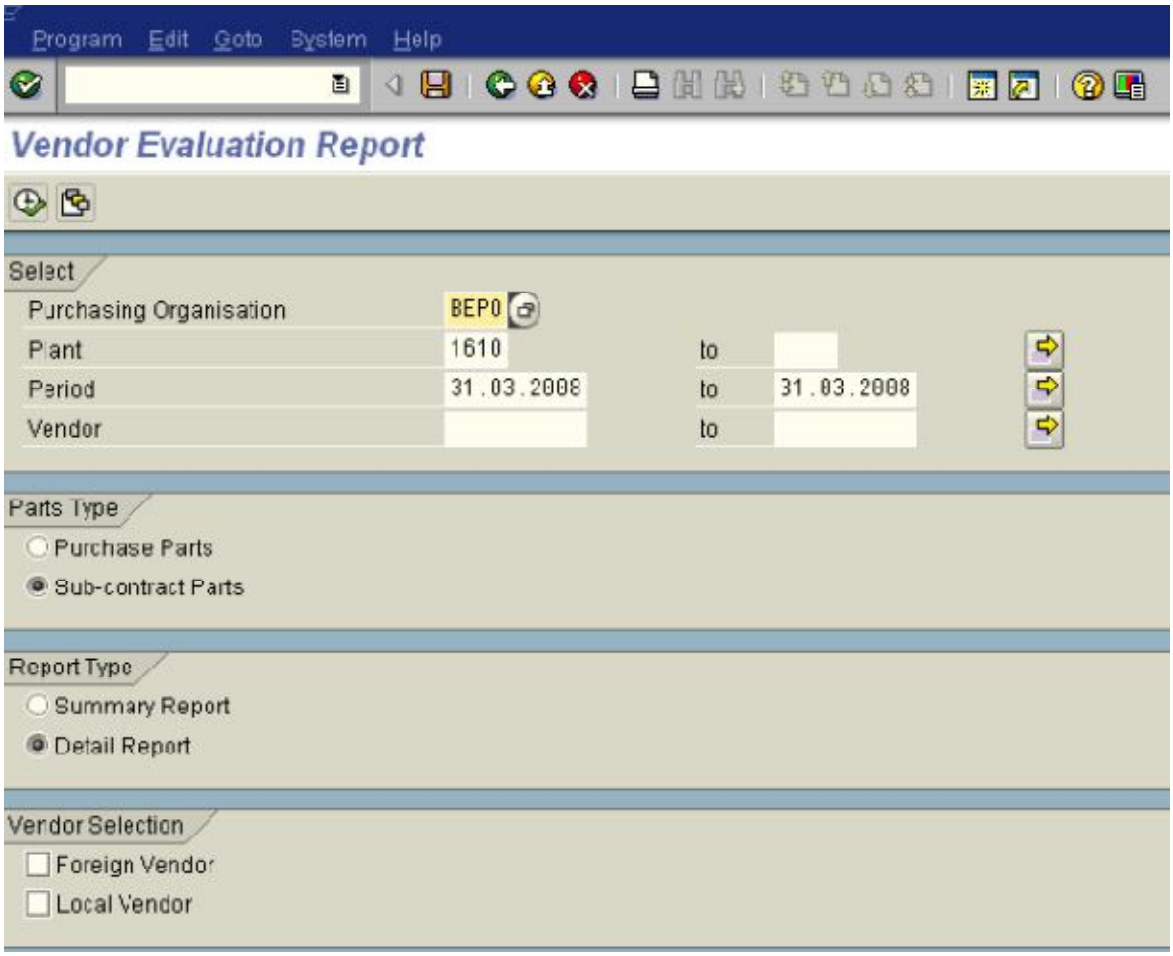

विक्रेता मूल्यांकन विस्तृत रिपोर्ट - (पार्ट 2) - उप संविदा (पार्ट 1), क्रय पार्ट्स के लिए विस्तृत रिपोर्ट - पार्ट 1 की तरह होगा)

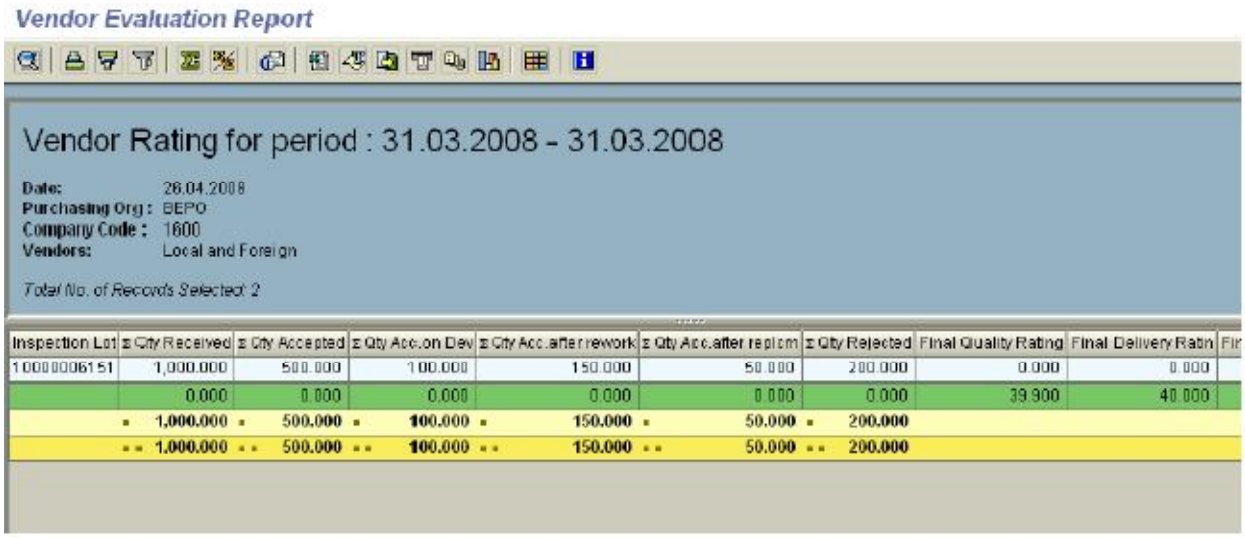

संलग्नक 12

(पेरा - 7.3.1.3)

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

(कारपोरेट आफिस)

बेंगलूरु

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय

सं. 21326/18/07-08/सीओ-वीआईजी दिनांक - 31 मई, 2007

परिपत्र

विषय - आर्डर - मात्रा का विखंडन - विषय पर सीवीसी के दिशा निर्देश, संशोधित प्रक्रिया

1. बोली दाताओं के बीच, उनकी क्षमता- सीमाओं के आधार पर, आर्डर - मात्राओं के संरक्षण का विभाजन / विखंडन के विषय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । सीवीसी के पत्र सं. 98/ओआरडी/1, दिनांक 15.03. 9 (प्रति **संलग्नक** "क" पर) के अनुसार, उन मामलों में जहां एल-1 के पास पूरी मात्रा में सप्लाई करने की क्षमता नहीं है, आर्डर को एल-2, एल-3, के क्रम में, उनकी क्षमता के आधार पर निष्पक्ष, पारदर्शी और साम्य - पूर्ण ढंग से वितरित कर दिए जाने चाहिए ।

2. पुनः, अभी हाल ही में, सीवीसी द्वारा अपने पत्र सं. 98/ओआरडी 1, दिनांक 15.03.99 (प्रति **संलग्नक** "क" पर) के माध्यम से मात्रा -वितरण के विषय में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । इस परिपत्र के अनुसार, जहां एल-1 फर्म समेत बोली दाताओं की क्षमता के बारे में पहले जानकारी नहीं है तथा बोली - दस्तावेज़ में मात्रा - वितरण की पूर्व जानकारी देना व्यवहारिक नहीं है, साथ ही एल-1 के पास पूरी मात्रा में सप्लाई करने की क्षमता नहीं है, ऐसी स्थिति में आर्डर की मात्रा को दूसरे बोली दाताओं के बीच निष्पक्ष, पारदर्शी और साम्य -पूर्ण ढंग से वितरित कर दिए जाने चाहिए । बहरहाल, जहां - (आइटम की क्रांतिक व महत्वपूर्ण प्रकृति के कारण) एक से अधिक स्रोत रखने का निर्णय पहले ही ले लिया जाता है, अनिवार्य रूप से सप्लाई विखंडन का अनुपात, निविदा इंक्वायरि में पहले ही घोषित कर दिया जाना चाहिए ।

3. सीवीसी के उपरोक्त दिशा निर्देशों को देखते हुए समस्त एसबीयू /यूनिट अध्यक्ष तथा कंपनी के क्रय/संकर्म /उप संविदा प्रबंधक और वित्त प्रबंधक सहमति के अनुसार निम्न लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :

3.1 जहां निविदा इंक्वायरि से पहले ,बोली दाता की क्षमता की पूर्व जानकारी है -

जहां पूर्व में की गई सप्लाई की स्थिति अथवा अन्य तरीकों से यह जानकारी उपलब्ध है कि कोई भी बोली दाता आर्डर के अनुसार, पूरी मात्रा में सप्लाई करने की क्षमता नहीं रखता है, और जहां एल-1 फर्म समेत, बोली दाताओं के बीच विखंडित किया जाना आशयित है । निम्न लिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए -

क) निविदा इंक्वायरि (सीमित/खुली) में यह स्पष्ट करते हुए कि बोली दाताओं की क्षमता के अनुसार, बोली दाताओं के बीच आर्डर की पूरी मात्रा एल-1 दरों पर विखंडित की जाएगी, एक खंड शामिल किया जाना चाहिए ।

...2/-

ख) एक खंड इस आशय का भी शामिल किया जाना चाहिए कि बोली दाताओं को अपनी बोली में सामान निर्धारित डिलिवरी - अवधि के अंदर सप्लाई करने की क्षमता के संबंध में विशिष्ट प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए ।

ग) निविदा खोलने और एल-1 को फाइनल करने के बाद, एल-1 को निर्धारित डिलिवरी - अवधि के अंदर सप्लाई करने की क्षमता - सीमा तक का आर्डर दिया जाए । शेष मात्रा को एल-2, एल-3, एल-4, के क्रम में, दिया जाना चाहिए ।

घ) यदि एल-1, एल-2, के मूल्य दर पर सप्लाई करने को तैयार होता है, एल-2 को एल-1, के मूल्य दर पर, निर्धारित डिलिवरी -अवधि के अंदर सप्लाई करने की क्षमता कि सीमा तक का आर्डर दिया जाए ।

ङ) यदि एल-2, आर्डर स्वीकार करता है अथवा एल-1 मूल्य पर नहीं और यदि मात्रा अभी भी शेष रहती है, एल-1 के मूल्य दर पर, एल-3, से संपर्क करें । यदि एल-3, एल-1 , के मूल्य दर पर सप्लाई करने को तैयार होता है, एल-3 को एल-1, के मूल्य दर पर, निर्धारित डिलिवरी -अवधि के अंदर सप्लाई करने की क्षमता कि सीमा तक अथवा शेष बची हुई मात्रा का आर्डर दिया जाए ।

च) सम्पूर्ण आर्डर - मात्रा पूरी होने तक उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार इसी क्रम में शेष बोली दाताओं को भी आर्डर दें ।

छ) यदि कोई बोली दाता एल-1, के मूल्य दर को स्वीकार नहीं करता, एल-1 को उसकी सप्लाई - क्षमता की सीमा तक का आर्डर दिया जाए तथा शेष बची हुई मात्रा के लिए एल-1 को छोड़ कर, पुन: निविदाएँ जारी कि जाएँ । यदि केवल कुछ बोली दाता एल-1, के मूल्य दर को स्वीकार करते हैं, तो शेष बची हुई मात्रा के लिए एल-1 की मूल्य दर स्वीकार करने वालों को छोड़ कर, पुन: निविदाएँ जारी की जाएँ ।

3.2 जहां निविदा इंक्वायरि से पहले, बोली दाता की क्षमता की पूर्व जानकारी नहीं है - जहां बोली दाताओं की क्षमता के बारे में पहले जानकारी नहीं है तथा बोली - दस्तावेज़ में बोली दाताओं के बीच मात्रा - वितरण की पूर्व जानकारी देना व्यवहारिक नहीं है, तथा निविदाएँ खोलने पर पता लगता है कि आर्डर किए जाने वाली मात्रा अकेले एल-1,द्वारा सप्लाई करने की क्षमता से बहुत अधिक है, मात्रा को प्रत्येकबोली दाता की सप्लाई - क्षमता के आधार पर एल-1, के मूल्य दर पर, एल-1, एल-2, एल-3, के क्रम में, वितरित कर दिया जाना चाहिए । निम्न लिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ।

क) एक खंड इस आशय का शामिल किया जाना चाहिए कि बोली दाताओं को अपनी बोली में स ।मान निर्धारित डिलिवरी -अवधि के अंदर सप्लाई करने की क्षमता के संबंध में विशिष्ट प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए ।

ख) इसके आगे उपरोक्त पेरा 3.1 के (ग) से (छ) में दी गई प्रक्रिया अपनाएं ।

...3/-

3.3 जहां आइटम की क्रांतिक प्रकृति के कारण आर्डर दो या अधिक स्रोतों को दिए जाने का अग्रिम निर्णय लिया गया है -

जहां आइटम की क्रांतिक व महत्वपूर्ण प्रकृति के कारण, विक्रेताओं की सप्लाई संबंधी क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना, आर्डर दो या अधिक स्रोतों को दिए जाने का अग्रिम निर्णय ले लिया गया है, सप्लाई विखंडन का अनुपात,निविदा इंक्वायरि में पहले ही अनिवार्य रूप से, घोषित कर दिया जाना चाहिए और आर्डर एल-1, एल-2,एल-3,के क्रम में, (सप्लाई - क्षमता के आधार पर) एल-1, के मूल्य दर पर, पूर्व घोषित अनुपात के अनुसार, दिया जाना चाहिए । निम्न लिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए -

क) निविदा इंक्वायरि (सीमित/खुली) में यह स्पष्ट करते हुए कि सप्लाई विखंडित करने का अनुपात तथा विखंडन- कार्य, केवल एल-1 दरों पर, सप्लाई करने की क्षमता के अनुसार, होगा ।

ख) एक खंड इस आशय का भी शामिल किया जाना चाहिए कि बोली दाताओं को अपनी बोली में स ।मान निर्धारित डिलिवरी -अवधि के अंदर सप्लाई करने की क्षमता के संबंध में विशिष्ट प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए ।

ग) निविदा खोलने और एल-1 को फाइनल करने के बाद, एल-1 को पूर्व घोषित अनुपात के अनुसार, एल-1, के मूल्य दर पर,निर्धारित डिलिवरी -अवधि के अंदर सप्लाई करने के लिए आर्डर दिया जाए। शेष मात्रा को एल-2, एल-3, एल-4, के क्रम में, पूर्व घोषित अनुपात के अनुसार, दिया जाना चाहिए। पूर्व घोषित अनुपात के अनुसार आर्डर का विखंडन , केवल एल-1, मूल्य दर स्वीकार करने वाले बोली दाताओं को उनकी सप्लाई करने की क्षमता की शर्त पर किया जाएगा ।

घ) यदि आर्डर क्लि सम्पूर्ण मात्रा एल-1,के मूल्य दर पर पूरी नहीं होती है, शेष बची हुई मात्रा के लिए, आर्डर प्राप्त कर चुके बोली दाताओं को छोड़ कर, पुन: निविदाएँ जारी की जाएँ।

4. समान्यत, सप्लाई-विखंडन के उपरोक्त सभी मामलों में, यदि अपेक्षित हो, आरंभ में वार्तालाप केवल एल-1, के साथ और आपवादिक परिस्थितियों में, वार्तालाप के औचित्य के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, ही की जानी चाहिए । प्रापण प्राधिकारी को भी आर्डर वितरण का प्रस्ताव करते समय, अपनी जांच या अन्य तरीकों से बोली दाताओं की निर्धारित डिलिवरी -अवधि के अंदर सप्लाई करने के लिए प्रतिबद्ध क्षमता के बाबत संतुष्ट होना चाहिए। इंक्वायरि के परिणाम देते हुए उपयुक्त औचित्य का हवाला भी प्रस्ताव मे दिया जाना चाहिए ।

5. यदि एल-1,उसे आर्डर दिए जाने से पहले या सम्पूर्ण आर्डर दे दिए जाने के बाद हट जाता है, तो एल-1 को अलग रखते हुए, पूरी मात्रा मात्रा के लिए, पुन: निविदाएँ जारी की जानी चाहिए। बहरहाल, आर्डर की मात्रा एल-1, एल-2, एल-3, आदि के बीच वितरित किए जाने की स्थिति में, तथा आर्डर दे दिए जाने के बाद, एल-1, एल-2, एल-3, आदि में से कोई एक हट जाने की स्थिति में, ऐसी फर्म को दी गई मात्रा (फर्म की क्षमता के अनुसार सीमित होते हुए) एल-1,के मूल्य दर पर एल-1, एल-2, एल-3, आदि के बीच वितरित की जा सकती है । **दंडात्मक कार्रवाई** एल-1 यदि उसे आर्डर दिए जाने से पहले या सम्पूर्ण आर्डर दे दिए जाने के बाद, हट जाता है तथा यदि अन्य आर्डर दिए जाने के बाद, हट जाते हैं, के विरुद्ध निविदा/संविदा के प्रावधानों के तहत (प्रतिबंध/काली सूची में डालना/सुरक्षा/बयाना राशि की जब्ती),की कार्रवाई भी शुरू की जानी चाहिए ।

...4/-

6. आर्डर के विखंडन विषयक उपरोक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा क्रय प्रक्रिया/ संकर्म संविदा प्रक्रिया / कंपनी की उप संविदा प्रक्रिया तदनुसार संशोधित मनी जाएंगी ।

हस्त/-
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सभी यूनिट / एसबीयू प्रमुख

सभी महाप्रबंधक

- सभी संबद्धों को अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु

अध्यक्ष, उप संविदा प्रक्रिया समिति

अध्यक्ष, क्रय प्रक्रिया समिति

अध्यक्ष, संकर्म संविदा प्रक्रिया समिति

- सूचनार्थ

सभी निदेशक - सूचनार्थ